राजस्थान विधान सभा

२२वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक ३ अप्रेल, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजकर ५ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २६४

इन्स्पेक्टर ओफ स्कूल्स, किशनगढ़ के आधीन १९५५-५६ का स्वीकृत बजट भेजना

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इन्सपेक्टर ओफ स्कूल्स, किशनगढ के मताहत स्कूलों का १९५५, ५६ का बजट स्वीकृत किया जा कर इन्स्पेक्टर के ओफिस में कब भेजा गया ?

(ख) उक्त इन्स्पेक्टर के मातहत इंटर, ट्रेंड इंटर, मैट्रिक ट्रेंड और मेट्रिक ग्रेड के कितने कितने स्थान स्वीकृत किये गये हैं।

(ग) बजट के स्वीकृत होने के पूर्व उक्त ग्रेडों के कितने कितने अध्यापक सर्विस में थे ?

(घ) किन किन अध्यापकों को ग्रेड प्रोमोशन दिया गया है ?

(ङ) ऐसे कौन २ अध्यापक हैं जिनकी इन्टर और मैट्रिक ग्रेड में नई नियुक्तियां की गई हैं ?

(च) ऐसे कौन २ अध्यापक हैं जो इन्टर एस. टी. सी. मेट्रिक ट्रेन्ड होते हुए भी मिडिल की ग्रेड पा रहे हैं ?

[श्री चांदमल मेहता]

(छ) उक्त अध्यापकों की कितने २ वर्ष की सर्विस है और क्या २ योग्यताएं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मुझे यह निवेदन करते हुए बहुत अफसोस है कि अभी इन प्रश्नों के उत्तर आये नहीं हैं, आ रहे हैं।

प्रश्न संख्या २६५

राजस्थान सचिवालय में अपर व लोअर डिविजन क्लर्क्स एवं चपरासियों तथा साइकिल सवारों में हरिजनों की नियुक्ति

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान सेक्रेटेरियेट में यू. डी. सी. एवं एल. डी. सी. की कितनी संख्या है ?

(ख) उनमें कितने हरिजन एल. डी. सी. एवं यू. डी. सी. की जगह पर काम कर रहे हैं ?

(ग) उनके नाम व जाति क्या २ हैं ?

(घ) शिड्यूल्ड कास्ट के कितने चपरासी एवं साइकिल सवार हैं ? उनके नाम व जाति क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) —(क) राजस्थान सेक्रेटेरिएट में इस समय २६० अपर डिविजन क्लर्क्स और ३१४ लोअर डिविजन क्लर्क्स हैं।

(ख) इस समय एक भी हरिजन अपर डिविजन क्लर्क या लोअर डिविजन क्लर्क की जगह पर नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शिड्यूल्ट कास्ट के निम्नलिखित चपरासी व साइकिल सवार सेक्रेटेरियेट में हैं :

श्री चुन्नीलाल चमार, रामचन्द्र भंगी, व भंवर लाल बलाई।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—अब तक क्लर्कों की जगह पर हरिजनों को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—कस्टम्स के सरप्लस स्टाफ को एब्सोर्ब करना था इस लिये।

Page No 3

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—रिजर्व है, फिर इसका क्या मतलब है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मतलब सही है।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—हरिजन उपलब्ध होते हैं, फिर उनको क्यों नहीं लिया जाता ?

श्री रामकिशोर व्यास—बहुत कम उपलब्ध हैं, अभी नया रिक्रूटमेंट बन्द करके और डिपार्टमेंट से सरप्लस आदमी आये हैं उनको एब्सोर्ब किया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६६

सरकार द्वारा नियुक्त एम्बेज़लमेंट इन्क्वायरी कमेटी की जांच हेतु उसे दिये गये मामले

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा नियुक्त एम्बेजलमेन्ट एन्क्वायरी कमेटी को जांच के लिए कितने मामले दिये गये ?

(ख) उक्त समिति द्वारा कितने मामलों की जांच किससे करवाई गई और उनका क्या नतीजा रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) ७७.

(ख) समिति द्वारा ६९ मामलों की जांच की गई तथा भंग होने के दिन उसके पास ८ मामले विचाराधीन थे।

(ग) जो मामले समिति के पास विचाराधीन थे उनकी जांच के लिये विभागीय अध्यक्षों को लिखा गया है। उनकी अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भैरूंसिंह—इस समिति को भंग करने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—काम खत्म हो गया इस लिये।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि जो ८ मामले समिति के विचाराधीन थे पहले ही उन विभागों के अध्यक्षों द्वारा जांच होकर इस समिति के पास आये थे ?

Page No 4

श्री रामकिशोर व्यास—विभागीय अध्यक्षों द्वारा जांच होकर नहीं आये, प्राइमाफेसी केस कमेटी के पास गये। जांच फिर इस कमेटी द्वारा की गई।

श्री भैंरू सिंह—एम्बेजलमेन्ट के नये केसेज़ भी आये होंगे?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग सवाल पूछें।

श्री भैंरू सिंह—जो ८ मामले दुबारा विभागीय अध्यक्षों के पास भेजे गये, उनका क्या रिज़ल्ट रहा?

श्री व्यास—मैंने अर्ज किया कि अभी रिपोर्ट आई नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि एम्बेज़लमेंट इन्क्वायरी कमेटी को जांच किये डेढ़ वर्ष हो गया?

श्री रामकिशोर व्यास—समय का मालूम नहीं।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार ने जांच कर ली है कि जिन केसेज़ में एम्बेज़लमेन्ट हुआ है उनमें विभागीय अध्यक्षों का हाथ नहीं है?

श्री व्यास—ऐसी शिकायत तो नहीं आई है।

श्री भैंरूसिंह:—क्या सरकार के उन विभागीय अध्यक्षों के पास उन केसेज़ को भेजने से पहले यह तसल्ली हो गई कि उन विभागीय अध्यक्षों का हाथ उन एम्बेज़लमेंट के केसेज़ में नहीं है?

श्री व्यास:—जी हां।

श्री भैंरोंसिंह:—किस आधार पर सरकार को यह तसल्ली हुई?

श्री व्यास:—जो शिकायतें आई हैं उन शिकायतों में उनका नाम नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह:—क्या सरकार को तसल्ली हो गई है कि उन केसेज में हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट का हाथ नहीं है?

श्री अध्यक्ष:—इसका जवाब दे दिया गया है कि पेंडिंग है।

प्रश्न संख्या २६७

द्वितीय विश्व युध्द में सेवा किये हुए जयपुर जिले के डाक्टर

श्री चांदमल मेहता:—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) जयपुर जिले में ऐसे कितने डाक्टर हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युध्द में सेवायें की थी ?

(२) ऐसे कौन कौन डाक्टर हैं जिन्होंने द्वितीय युध्द की सेवाओं के कार्यकाल राज्य सेवा में मान्यता देने के लिये प्रर्थनापत्र पेश किये थे ?

(३) उक्त डक्टरों के कब २ प्रार्थना पत्र आये और कब कब रिमाइन्डर दिये ?

(४) भारत सरकार द्वारा युद्ध की सेवाओं को मान्यता देने के लिए कब सरक्यूलर निकला ?

(५) उक्त सरक्यूलर के तहत कितने प्रार्थना पत्र का फैसला किया जा चुका है और कितने अभी तक विचाराधीन हैं।

श्री बद्रीप्रसाद (स्वास्थ्य मंत्री)—

(१) ६.

(२) निम्नलिखित डाक्टरों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये।

(३) डा० शुब्रमन्यम् ने सन् १६५५ में,

(१) डा० शुब्रमन्यम्।

(२) डा० आर. डी. पटेल।

(३) डा० आर. एस. भटनागर।

(४) डा० गोपलदास।

डा० आर. एस. भटनागर ने २०. ८. १६५४ में,

डा० आर. डी. पटेल ने सन् १६५३ में,

डा० गोपालदास ने सन् १६५६ में,

प्रार्थनापत्र संचालक-स्वास्थ्य विभाग को दिये ।

(४) १. ६. ५०

(५) एक का भी नहीं।

श्री चांदमल मेहता:—क्या कारण है कि भारत सरकार का सरक्युलर होते हुए भी उनको मान्यता नहीं दी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त:—जब तक उनकी सेवाओं के लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं हो तब तक सरकार उसको मान्यता देने में असमर्थ है।

श्री चांदमल मेहता:—क्या यह सही है कि उन्होंने सेवा करने के सम्बन्ध में वेरिफिकेशन करा दिया।

श्री बद्रीप्रसाद:—जिन जिन ने वेरिफिकेशन करा दिया है उनको मान्यता दे दी है ?

श्री चांदमल मेहता:—क्या यह सही है कि डा० गोपालदास का केस ५६ से नहीं, वह १९५२,५३ से पेन्डिग पड़ा हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद:—मेरी जानकारी में तो यह नहीं है। फिर भी आप कहते हैं तो जानकारी प्राप्त की जावेगी और जांच की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता:—क्या जांच करने के बाद जिसने गल्त जानकारी दी है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जावेगा।

श्री बद्रीप्रसाद:—मेरे पास जानकारी थी वह मैंने आपको बताई, आप कहते हैं तो जानकारी प्राप्त की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता:—क्या उनकी ५६ की दरख्वास्त है, वह दरख्वास्त नहीं है; वह तो उसकी दरख्वास्त का रिमाइन्डर है।

श्री बद्रीप्रसाद:—मैंने कहा कि आपने जो बात बताई है उसकी जांच करेंगे।

श्री चांदमल मेहता:—जांच करने से अगर यह सूचना गल्त पाई जावे तो क्या उसके खिलाफ जिसने यह गल्त सूचना दी है कोई कार्यवाही की जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद:—जरूर कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६८

श्री अध्यक्ष:—श्री भोपाल सिंह।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No 7

प्रश्न संख्या २६६.

राजस्थान में सीमेन्ट के कारखाने चलाने के आवेदन-पत्र

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में सीमेन्ट के कारखाने चालू करने के लिये कितने आवेदन पत्र सरकार के पास आये हैं ?

(२) उक्त आवेदन—कर्ताओं में किस किस ने क्या क्या सुविधायें प्रदान की जाने की मांग की है ?

(३) सरकार द्वारा उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री)—(१) इस कार्यालय में सीमेन्ट के कारखाने चालू करने के लिये एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

(२) यह आवेदन पत्र एस. जोराष्ट्र एन्ड कं० जयपुर से प्राप्त हुआ है और उन्होंने निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करने की मांग की है ;

१. सरकार ३३ परसेन्ट शेयर ४ करोड़ लागत रुपयों में से खरीदे।

२. सेन्ट्रल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन, देहली से १,५०,००,००० रू० ऋण दिलाने के हेतु राजस्थान सरकार उनके प्रार्थना पत्र को भेजे।

३. दस साल के लिये इनकम टेक्स (आयकर) से मुक्त किया जावे।

४. १०० एकड़ भूमि फेक्ट्री के लिये उचित स्थान पर मुफ्त दी जावे।

५. चम्बल प्रोजेक्ट दरों के अनुसार बिजली दी जावे।

६. पानी इन्डस्ट्रीयल रेट : (औद्योगिक दर) पर दिलाया जावे।

७. कन्ट्रोल्ड कोमोडिटीज़ जैसे लोहा सीमेन्ट इत्यादि के प्राप्त करने के परमिट दिलाये जावें।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

८. वेगन्स सप्लाई की सुविधा प्राप्त करने के लिये रेल्वे के सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा जावे।

९. सीमेन्ट के ट्रान्सपोर्टेशन के लिये खास रियायती रेट जो रेल्वे देती है उसके लिये सिफारिश की जावे।

१०. रेल्वे साइडिंग फेक्ट्री में व खानों में दिलाने की सम्बन्धित अधिकारियों से अनुरोध किया जावे।

११. इम्पोर्ट लाइसेन्स मशीनरी, व दीगर सामान के लिये जिसकी आवश्यकता पड़े दिलाया जावे।

१२. नये सामान, पेकिंग का सामान, मशीनरी प्लाइन्ट व कारखाने के बनाये हुए माल को बिक्री कर (सेल्स टेक्स) से मुक्त किया जावे।

१३. लाइम स्टोन, जिप्सम, क्ले और स्लेट इत्यादि की सम्बन्धित खानों को उचित दरों पर लीज़ पर दिलाया जावे।

१४. अन्य सुविधायें जो नये कारखानों की दी जाती हैं दिलाई जावे।

(३) इनका प्रार्थना पत्र इन्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एन्ड रिग्यूलेशन एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कलकत्ते की पार्टीज़ भी आपसे इस सम्बन्ध में मिली थी?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, उनके प्रार्थनापत्र भी आये हैं। वैसे तो काफी प्रार्थना पत्र आये हैं लेकिन मेसर्स जयपुरिया ब्रॉदर्स लिमिटेड, कानपुर, राधेश्याम और मोरारका, कलकत्ता तथा साहू जैन लिमिटेड कलकत्ता के भी राजस्थान में सीमेन्ट का उद्योग स्थापित करने के लिये प्रार्थनापत्र आये। उनको लिख दिया गया है कि उनको क्या क्या सुविधा चाहिये वह सब फोर्म भर कर भेजें। उनके प्रार्थनापत्र पूरे फोर्म के साथ नहीं आए इसलिये उनको लिखा गया कि फोर्म भर कर भेजें।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सीमेन्ट के कारखाने के लिये लोगों को क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिये, इसके लिये सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ने जिन जिन लोगों ने जो जो सूचना मांगी थी उनको भेज दी है और जो लोग मिले थे उनको बता दिया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया कि सीमेन्ट के कारखाने वालों को क्या क्या सुविधाएं दी जावेंगी? क्या यह सही है।

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, यह सही नहीं, है। मैंने कहा कि जिन जिन ने बात चीत की उनको बता दिया गया कि यह यह सुविधा देंगे। जमीन की सुविधा, सेल्स टेक्स की सुविधा आदि सब उनको बता दिया गया है। एक-आध बात ऐसी है जिसका भारत सरकार से सम्बन्ध है; कुछ रुपया मांगा था, उसके लिये सिफारिश कर दी।

श्री चांदमल मेहता—सीमेन्ट के बारे में क्या गजट में शाया किया गया है कि यह यह सुविधा दी जावेगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—हर एक इन्डस्ट्री के लिये गजट में शाया करने की जरूरत नहीं। जो सुविधा देते हैं; जैसे जमीन की, बिजली, पानी, सेल्स टेक्स, रेल्वे साइड की बात आदि ये सारी बातें उनको बता दी गईं।

श्री चांदमल मेहता—जो साधारण सुविधाएं कारखानों को दी जाती हैं उसके सिवाय विशेष सुविधा देने के लिये सरकार ने कोई निर्णय किया है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो जो मांग करते हैं उसके लिये सुविधा दी जाती है। कहीं सीमेन्ट के लिये पत्थर दूर निकलते हैं और कहीं नजदीक इसलिये कोई नियम नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार इस मसले पर पार्टी को देख कर विचार करती है?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह आपका ख्याल हो सकता है। जो मांग करते हैं उसकी मांग पर ध्यान दिया जाता है। अगर आपके ध्यान में ऐसी बात हो तो बताई जावे। बिना ध्यान में हुए इस प्रकार की बात करना उचित नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कुछ कलकत्ते की पार्टीज़ आपके पास आई थी उनसे माननीय मन्त्री ने यह कहा कि पार्टी के आधार पर यह तय किया जाता है?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप प्रायः ऐसा ही कहा करते हैं। आपको गलत इन्फोर्मेशन मिलती है और उसके अनुसार आप कहते हैं जुबानी, बात चीत नहीं की जाती है। इसलिये उनसे यह कहा जाता है कि जो कुछ मांग करनी हो लिख कर की जाए। इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि पार्टी को देख कर दिया जाता है या चेहरा देख कर दिया जाता है। अगर इस प्रकार की आपके अन्दर भावना है तो वह निकाल दी जानी चाहिये। यह मैं आपको सलाह देता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, सलाह देने की बात कही गई है। इस तरह के शब्द कहे गये हैं; आपका इस पर निर्णय चाहता हूँ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं भी यह कहूँगा कि चेहरा देख कर या व्यक्ति विशेष की बात कह सकते हैं उसको जवाब यही दिया जा सकता है,

श्री अध्यक्ष—For me the only solution is to pass over to the next question. Next, Question No. 270.

श्री वेदपाल त्यागी—श्री सज्जनसिंह अनुपस्थित हैं। चूंकि यह कोटा के सम्बन्ध में बहुत इम्पोरटेन्ट प्रश्न है इसका जवाब दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—You know to what level the supplementaries are being put and the time is being wasted for these things.

श्री हिम्मतसिंह—टाइम बहुत है।

श्री अध्यक्ष—But time is not to be wasted.

श्री वेदपाल त्यागी—इस प्रश्न को पूछने की इजाजत दे दी जावे।

श्री अध्यक्ष—Hon'ble members may put supplementaries which are relevant. They should not waste time.

प्रश्न संख्या २७०

कोटा बून्दी एवं भालावाड़ जिलों में द्वितीय पंच वर्षीय योजना में चम्बल इत्यादि योजनाओं के कारण उद्योग प्रारम्भ करने की योजनायें

श्री सज्जनसिंह–Will the Minister for Planning be pleased to state.

(1) Have any industries been planned to be started in Kotah, Bundi and Jhalawar districts in view of the immense increase in वाह! वाह!!

[श्री सज्जनसिंह]

production of raw material such as cotton and sugar etc. due to Chambal and various other medium and minor irrigation schemes in those districts in the Second Five Year Plan.

(II) If so, what places have been earmarked for the purpose ?

श्री भोगीलाल पंडया (योजना मंत्री)—बून्दी झालावाड और कोटा के लिये कुछ प्रार्थनापत्र आये थे जिसमें कोटा में एक रोड रोलर फेक्टरी लगाने के लिये प्रार्थनापत्र आया था उसके लिये भारत सरकार को सिफारिश कर दी गई थी और वहां से स्वीकृति भी हो चुकी है ।

शूगर मिल के लिये भी प्रार्थनापत्र आया था उसकी भी सिफारिश कर दी गई हैं ।

वहां पर रेयों फेक्टरी लगाने के लिये भी एक प्रार्थना पत्र आया था उसमें सारी कार्यवाही की जा चुकी है, केवल एग्रीमेन्ट होना बाकी है । इसी तरह से वहां पर एक कपड़े की मिल खोलने के बारे में भी प्रस्ताव आया था, उसमें कुछ स्पिन्डल्स लगाने की शर्त थी हमने उनके लिये भारत सरकार को लिख दिया, जिस तरह से स्पिन्डल्स वे लगाना चाहते थे उस तरह की स्वीकृति नहीं मिली । जापानी स्पिन्डल्स नहीं मिलते हैं वे नहीं लगाये जा सकते । आधे जापानी और आधे देशी लगाने की बातचीत उनसे की जा रही है ।

श्री हिम्मतसिंह--गवर्नमेन्ट ने कोई प्लान बनाया है क्या, जब कि वहां पर इतना पानी और बिजली उपलब्ध हो जायगी, तो उससे फायदा उठाने के लिये गवर्नमेंट ने किसी प्रकार की योजना बनायी है क्या ?

श्री भोगीलाल पंडया—गवर्नमेन्ट ने प्राइवेट पार्टीज को एप्रोच किया, हमारे पास तो कोई योजना नहीं लेकिन उनको बुलाया गया ।१९६० के अन्दर बिजली मिलेगी । सिंचाई के साधन मिलेंगे, ऐसी स्थिति में उन लोगो द्वारा कुछ प्रार्थना पत्र आये गवर्नमेंट उनको सहयोग दे सकती है ।

श्री वेदपाल त्यागी—पब्लिक सेक्टर की तहत यहां पर कोई उद्योग धंधे खोलने की योजना है क्या ?

श्री भोगीलाल पंडया—इस समय कोई योजना नहीं है ?

श्री हिम्मतसिंह—प्लान आपके पास मौजूद है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—प्लान पर तो आपने कल डिस्कस किया ही था । [हंसी]

प्रश्न संख्या २७१

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस व कन्ट्रीब्यूशन वसूल होने वाले जयपुर जिले के ठिकाने

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिले में ऐसे कितने ठिकानेजात हैं जिनसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस व कन्ट्रीब्यूशन वसूल किया जाता है ?

(ख) जब से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम हुआ है तब से अब तक ठिकाने वाईज कितनी कितनी सेस व कन्ट्रीब्यूशन वसूल हुई है ?

(ग) ऐसे कितने ठिकानेजात हैं जिनमें सेस व कन्ट्रीब्यूशन बाकी निकलती हैं और इसका क्या कारण है ?

(घ) क्या यह सच है कि जिन ठिकाने में सेस व कन्ट्रीब्यूशन निकलता है उनके अन्तर्कालीन मुआवजे में से कोई रकम काटी गई है ? यदि हां, तो कृपया बतावें कि वे कौन कौन से ठिकाने हैं और यह रकम किस आधार पर काटी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क. जयपुर जिले में किशनगढ़ सब डिविजन के अतिरिक्त कुल २६०१ ठिकाने दर्ज हैं जिनसे सेस की रकम वसूल की जाती है। सहायता की रकम दस हजार से अधिक आय वाले ठिकानेदारों से ही वसूल की गई है, क्योंकि राजस्थान सरकार की आज्ञानुसार सम्वत् २००५ से ५ वर्ष के लिये दस हजार रुपये से कम आयवाले ठिकानों से सहायत की रकम वसूल नहीं की गई थी।

(ख) सन् १९४९ से जनवरी सन् १९५६ तक कुल सेस ६,८६,८७२।१५।३ व सहायता २,१४,२२० रु० ३ आ० ६ पाई वसूल हुए हैं। प्रत्येक ठिकाने की सेस व सहायता की वसूली के सम्बन्धित तहसीलों में रहते हैं जिनको इतने कम समय में उपलब्ध किया जाना संभव नहीं था।

(ग) प्राय : सभी ठिकानों में थोड़ी बहुत सेस व सहायता की रकम बाकी हैं जिसके कारण निम्न प्रकार हैं:

१. छोटे जागीरदारों ने तहसील के निरन्तर लिखने पर भी पूरी जमा कायमी नहीं दी इसलिये अभीतक सही डिमान्ड नहीं लगाई जा सकती है।

२. सन् ५०-५१ में करीब २०० जागीरदारों ने रिट पेश की थी और राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे आर्डर्स जारी कर दिये थे। उसका फायदा उठाकर बहुत से जागीरदारों ने सेस व

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

सहायता की रकम जमा नहीं कराई। ऐसे जागीरदारों की संख्या का वितरण भी तहसील से प्राप्त करके सदन को बताया जा सकता है।

जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट की धारा २२ के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बकाया की रकम जागीरदारों के मुआवजे में से काटने का कोई प्रोवीजन न होने के कारण जो ठिकाने सरकार द्वारा रिज्यूम कर लिये गये उनकी बकाया वसूल नहीं हो सकी है।

(घ) इस संबन्ध में रेवेन्यू विभाग से पूछा जाय। वहीं से यह सूचना प्राप्त हो सकती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि उणियारा ठिकाने की रकम इन्टेरिम कम्पेनसेशन की रकम में से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की काटी गई?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वहां पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एकट की तहत कोई कार्यवाही हुई हो, यह मुझे मालूम नहीं। किसी तरह कानून के अन्तर्गत वसूल नहीं कर सकते।

श्री सरदारसिंह—कानन के अन्दर तो नहीं, उसके मुत्तल्लिक रिट दायर कर दी गई थी उसके बावजूद भी वह रकम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भेज दी गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रकम जागीर विभाग ने वसूल की होगी। पी. डी. आर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रकम वसूल करने का कोई इस तरह का कानून नहीं है।

श्री सरदारसिंह—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड महकमे भी तो आप ही माननीय मंत्री हैं, आपको पूरी सूचना नहीं तो जो उनसे ताल्लुक रखते है वे ही इसका जवाब दे दें?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जागीर विभाग से कोई रकम वसूल हुई है तो उस विभाग के मंत्री से पूछ लिया जाय।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय राजस्व मंत्रीजी इसमें ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं वे ही बतादें?

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे से ज्यादा तो सदस्य महोदय दिलचस्पी रखते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी लिस्ट नहीं मिली!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जैसा मैंने जवाब दिया, तहसील वाइज़ लिस्ट इकट्ठी की जा रही है उसके आने पर पेश कर दी जायगी।

प्रश्न संख्या २७२

राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कारखाने एवं उनसे आय इत्यादि

श्री चांदमल महता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान सरकार द्वारा किन किन कारखानों को चलाया जाता है ?

(२) उक्त कारखानों मे १ जनवरी, १९५५ के बाद किस किस को खरीद करने के लिये कितने कितने रुपये के अफसर आये ?

(३) किस किस कारखानों को कितने कितने रुपये में बेचा गया है ?

(४) जिन कारखानों को बेचा गया है उनसे राजस्थान सरकार को पिछले पांच वर्ष में कितनी कितनी आमदनी हुई है ?

श्री भोगीलाल पंडया—राजस्थान सरकार द्वारा निम्न लिखित कारखानों को चलाया जाता है :

१. जीनिंग एन्ड प्रेसिंग फेक्ट्री भीलवाड़ा ।
२. ,, कपासन ।
३. ,, गुलाबपुरा ।
४. जीनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्टरी चित्तोडगढ ।
५. ,, ,, छोटी सादडी ।
६. ,, ,, शाहपुरा ।
७. ,, ,, पेच की वावडी ।
८. ,, ,, टोंक ।
९. आइस एन्ड ऐसेटेड वाटर फेक्ट्री जोधपुर ।
१०. ,, ,, बीकानेर ।
११. आइस फैक्ट्री डूंगरपुर ।
१२. ऑयल मिल कोटा ।
१३. वीविंग फैक्ट्री टोंक ।

इनके अतिरिक्त गंगानगर शुगर फैक्टरी भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है इनमें नं० ५, ६. ७, १०, ११, १२ बन्द पडे हैं ।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

२. यह सूचना असेम्बली भवन की मेज पर रख दी है।

३. किसी कारखाने को नहीं बेचा गया है ।

४. यह प्रश्न नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने इन कारखानों को बेचना स्थगित कर दिया है

श्री भोगीलाल पंड्या—स्थगित नहीं किया है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो आवेदन पत्र आये उनमें से किसी को नहीं बेचा जा कर दूसरों को बेचा जाने का इरादा है ?

श्री भोगीलाल पंडया—यह आपका खयाल ठीक नहीं है। जिनके प्राथना पत्र आये और उसमें जिन-जिन के टेंडर ज्यादा से ज्यादा थे उनको बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई। इस संबन्धी कागजात फाइनेन्स डिपार्टमेंट का भेजे गये हैं जो यह देखेगा कि इनको लीज पर देने से ज्यादा फायदा हो सकता है या इनको बेचने से फायदा हो सकता है । फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट इनका वेजुएशन कर रहे हैं। जब हमें यह मालूम हो जायगा कि गवर्नमेन्ट को इन्हें बेचने से किसी प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं है तब उनको बेचा जायगा। एक समय एक फेक्टरी बेची गई है और एक लीज पर दी गई है। जो कोई बरसों से बन्द पडी थी जिसमें हमें काफी घाटा हुआ । पांच हजार रुपये पर दो साल के लिये दी है फिर उसको या तो बेच दी जायगी या लम्बे समय के लिये लीज पर दे दी जायगी ।

श्री जसवन्तसिंह—वह कौन सी फेक्टरी है ?

श्री भोगीलाल पंडया—टोंक फेक्टरी।

श्री चांदमल मेहता—क्या इन कारखानों के लिये खरीद के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये थे और उनके लिये कोई निश्चित तारीख निर्धारित की गई थी ?

श्री भोगीलाल पंडया —जी हां।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कुछ लोगों के आवेदन पत्र निश्चित तारीख से बाद में आये फिर भी गवर्मेन्ट उस पर विचार कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो आपका खयाल है। जो निश्चित तारीख तक प्राथना पत्र आये उसमें भी जिनके टेन्डर हाइएस्ट थे उनको बुलाया गया।

श्री चांदमल मेहता—किन किन कारखानों को बेचने के मामले अन्डर कन्सीडरेशन हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिनकी सूची मैने आपको दी है उन सब के लिये टेन्डर मांगे गये हैं, सब को बेचने की व्यवस्था है।

श्री चांदमल मेहता—जिन कारखानों के बारे में दो बार टेन्डर मांगे गये उन्हीं कारखानों को बेचने का इरादा है या पहले वालों को भी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आइस फेक्टरी जोधपुर और डूंगरपुर की स्थिति ऐसी नहीं थी, अभी तक शुरू नहीं हो सकी, इस साल भी बंद रखना पड़ा। इन दोनों को बेचने के लिये हाइएस्ट टेन्डर आमन्त्रित किये गये है। इस बारे में वेल्युएशन होने पर यह तय किया जायगा कि इसको बेचना है या नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या इन कारखानों को बेचने के लिये जो आमदनी होने वाली है इसमें जितना सरकार का रुपया लगा हुआ है उनकी जांच करने के संबन्ध में कोई समिति का निर्माण किया गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले समिति का निर्माण किया गया था।

श्री चांदमल मेहता—इस समीति ने जो इन कारखानों का वेल्यूएशन दिया है उससे कम कीमत पर इन कारखानों को बेचा जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बेचा नही जा रहा हैं टेंडर मांगे गये हैं. अभी तक बेचने का, किस कीमत पर, यह निर्णय नहीं किया गया हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या दुबारा टेन्डर मागे जा रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पांड्या—टेन्डर मांगे जा चुके हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या आयन्दा के लिये भी सरकार की यह नीति हैं कि कोई कारखाना अपने अन्डर में न रखा जाय, सब को बेच दिया जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—छोटे छोटे कारखानों के लिये यह नीति बना ली गई हैं कि उनको बेच दिया जावे और उनसे अच्छी आमदनी होती है तो लीज पर दे दिया जावे।

प्रश्न संख्या २७३

जयपुर डिवीजन में अभ्रक व बेरियल क्षेत्र तथा उनमें खाने तथा उनके धारण कर्ता

रावत श्री शम्भूसिंह—क्या मंत्री, खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) उदयपुर डिवीजन में अभ्रक और बेरियल के कितने क्षेत्र कहां कहां हैं, प्रत्येक क्षेत्र में कितनी खानें हैं, कहां कहां कितने कितने समय से चालू हैं और कितनी कहां कहां बंद हैं ?

(२) उपरोक्त खानों के लीज़ होल्डर्स कौन कौन हैं और उनकी लीज़ की अवधि किस किस की कब कब समाप्त होने वाली है ?

(३) उपरोक्त खानों और क्षेत्रों में कौन कौन से रिक्त घोषित किये जा चुके हैं और उन्हें प्राप्त करने हेतु किस किस के प्रार्थनापत्र पेश हुए हैं और कितनी खानों और क्षेत्रों के अभीतक कोई प्रार्थनापत्र पेश नहीं हुए हैं ?

श्री भोगीलाल पांड्या—(१.) अभ्रक और बेरियल के क्षेत्र उदयपुर डिविजन के जिले भीलवाडा और उदयपुर में हैं खानों की गिनती निश्चित नहीं है कारण कि वे समय समय पर चालू और बन्द कर दी जाती है।

(२.) माइका एवं बेरियल के खानों की लीज होल्डर्स की सूची सदन कीमेज पर रख दी गई, उनके समाप्त होने की तिथि उनके आगे अंकित कर दी गई है।

(३.) जिन जिन क्षेत्रों के लीजों की अवधि समाप्त हो जाती है वह समय समय पर राजपत्र द्वारा रिक्त घोषित किये जाते हैं एवं विभाग द्वारा मेन्टेन होने वाले रजिस्टर एवं नक्शे पर समयानुसार रिक्त होने की तिथि अंकित कर दी जाती है जिसका निरीक्षण इच्छुक व्यक्ति मिनरल कन्सेशन रूल्स, १६४६ के अनुसार शुल्क जमा कर सकते हैं। इस समय इस कार्यालय में ४६ प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री शम्भूसिंह—जिन क्षेत्रों के वास्ते एक से अधिक प्रार्थनापत्र पेश हुए उसमें से जिसका स्वीकार किया जा है और किसका नहीं ; इसका क्या क्राइटेरिया है ?

श्री भोगीलाल पांड्या—इसके लिये सन् १९४९ का मिनरल कन्सेशन रूल्स है। उनमें आप देखेंगे तो मालूम होगा कि ऐसे क्षेत्र को फ्री डिक्लेअर कर दिया जाता है और बाद में उसके लिये लोगों से प्रार्थनापत्र मांगे जाते हैं। इसमें नियम बने हैं प्राथमिकता के और उन नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न संख्या २७४

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् राजस्व विभाग में अपर डिवीजन में क्लर्कों को लेने के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न—लिखित-प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद राजस्व विभाग के मातहत क्लर्कों को अपर डिवीजन में लेने के लिये क्या क्या क्राइटेरिया निश्चत किया गया था?

(ख) उक्त क्राइटेरिया किस किस जिले में किस किस रूप में अमेन्ड किया गया ?

(ग) भूतपूर्व राजस्थान के किन किन अपर डिविजन क्लर्क्स को जयपुर जिले में लोअर डिविजन क्लर्क बना दिया गया है ?

(घ) ऐसे कितने क्लर्क हैं जिनको अपर डिविजन में फिक्स करने के रिप्रेजेन्टेशन कलेक्टर जयपुर के पास पेन्डिग में हैं ?

(ङ) उक्त केसेज कब से और क्यों पेंडिग में हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—राजस्थान के निर्माण के बाद अपर डिविजन क्लर्क के लेने के लिये निम्न क्राइटेरिया निश्चत किया गया था (१) सात साल का सेवा काल (२) १—१—५० को ६० रूपया माहवार वेतन व (३) हाईस्कूल या उसके ऊपर की कोई परीक्षा पास। परन्तु बाद में यह तीसरी यानि मैट्रिक की शर्त हटा दी गई है। यही क्राइटेरिया राजस्व अथवा सब अन्य विभागों के क्लर्कों के लिये समान ही है और इसमें कोई परिवर्तन नही हुआ है।

(ख) यह क्राइटेरिया राज्य से स्वीकृत हैं और किसी जिले के लिये कोई तब्दीली करने का कोई आदेश नहीं दिया गया।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ग) भूतपूर्व राजस्थान के तीन लेखक सर्व श्री गोपालसिंह, विष्णुदत्त व भंवरलाल को जयपुर जिले के लोअर डिविजन क्लर्क इसलिये बनाया गया था कि १—४—५० को वेतन ६० रुपये नहीं था परन्तु इनमें से श्री गोपालसिंह व श्री विष्णुदत्त को उनकी योग्यता तथा सेवा काल के आधार पर अपर डिविजन क्लर्क बना दिया गया और श्री भंवरलाल अब शीघ्रलिपि लेखक का कार्य कर रहे हैं।

(घ) अब जिलाधीश जयपुर के पास १६ व्यक्तियों की उज्रदारी पेन्डिंग है।

(ड़) उक्त उज्रदारियां सन् १९५४ से पेन्डिंग हैं और इस सिलसिले में २१—२—५६ दरख्वास्त के लिये मुकर्रर था और ५ व ६ मार्च इन्टरव्यू के वास्ते मुकर्रर है। अब इनका जल्दी ही निर्णय हो जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—५४ के रिप्रेज़ेन्टेशन का फैसला अब तक नहीं किये जाने का क्या कारण है।

श्री दामोदरलाल व्यास—५४ के रिप्रेजेन्टेशन हुआ, मैटीरियल इकट्ठा किया गया तारीख मुकर्रर की गई, दरख्वास्तें मंगाई गई, इन्टरव्यू हुए और अब उस पर फैसला कर दिया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—५४ के बाद रिप्रेजेन्टेशन जो पेश हुए उनमें कुछ का फैसला कर दिया गया और जिनको चाहा उनको पेन्डिंग में रख दिया गया, क्या यह सही नहीं है?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि केवल किशनगढ सब डिविजन के क्लर्कों की यह स्थिति हुई। भूतपूर्व राजस्थान में जो अपर डिविजन क्लर्क थे उन्हें लोअर डिविजन क्लर्क बना दिया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी बात नहीं है, सब को जो नियम बने उसी नुक्ते नजर से देखा गया है। केवल तीन नाम ऐसे थे जो रह गये थे और जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। ये कहां के हैं किशनगढ के हैं या कहीं और जगह के हैं यह मुझे नहीं मालूम। यह आप देख लें।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ सब डिवीजन के ही अपर डिवीजन क्लर्क को लोअर डिवीजन क्लर्क बनाया गया यह कोई विशेष स्थिति के कारण ही किया गया है; क्या यह सही है?

Page No 20

श्री **दामोदरलाल व्यास**—काइटेरिया में फिक्स नहीं हुआ होगा इसलिए कर दिया गया होगा।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही नहीं है कि भूतपूर्व राजस्थान की जितनी रियासतों के जो अपरडिविजन क्लर्क थे उनमें किसी में भी अपर को लोअर डिवीजन क्लर्क नहीं बनाया गया ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**—मैंने आपको बताया कि भूतपूर्व रियासतों के तीन अपर डिवीजन क्लर्क को लोअर डिवीजन क्लर्क बनाया गया है और उनमें से भी अब दो को अपर डिवीजन क्लर्क में ले लिया गया है और एक शीघ्रलिपी लेखक हो गया है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि किशनगढ़ के अतिरिक्त और किसी भी पुरानी स्टेट के अपर डिवीजन क्लर्क को लोअर डिवीजन क्लर्क नही बनाया गया।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—मैंने तीनों नाम बता दिये हैं। उनके अलावा और किसी का नाम है नहीं। अब वे किशनगढ़ के हैं, या कहां के हैं,आप देख लें।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि भूतपूर्व राजस्थान की रियासतों के जितने अपर डिवीजन क्लर्क थे उनके लिए उस वक्त जो क्राइटेरिया तय किया गया उसके बाद फैसला किया जा चुका था कि उनमें से किसी को भी लोअर डिवीजन क्लर्क नहीं बनाया जावेगा।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करके किशनगढ़ सब डिविजन के साथ न्याय करने की कृपा करेंगे ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**—मैंने बताया आपको कि हजारों की तादाद में यह सूची है। उसमें से तीन नाम मैंने आपको बताये। अब आप बताइये कि इनमें किशनगढ़ सब डिविजन के कौन से हैं ? आप साफ बताइये कि आप किसमें इन्ट्रेस्टेड हैं?

श्री **चांदमल मेहता**—ये तीन नाम आपने जो बताये वे किशनगढ़ सब डिविजन के हैं।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—दो को तो फिर बना दिया गया है और एक ने शीघ्रलिपि लेखक का काम ले लिया है।

श्री **चांदमल मेहता**—उनको सन् ५० से बनाया जाना चाहिये था जब कि उनको ५५ से बनाया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—आप अगर मेरा जवाब ठीक तरह से सुनते तो यह प्रश्न नहीं करते। वे उस समय तक क्राइटेरिया की शर्तों को पूरी नहीं करते थे। उनकी पे ६० रूपया उस समय नहीं थी। जब वह शर्त पूरी हुई तो ५५ से उनको तरक्की दे दी गई।

श्री चांदमल मेहता—यह बात नहीं है। उनको पहले भी ६० से ज्यादा मिलता था।

श्री दामोदरलाल व्यास—आप यह स्पेसिफिक केस बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री अध्यक्ष—श्री जगतसिंह।

प्रश्न संख्या २७५

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डिस्पेन्सरी भवन निर्माण का कार्य

श्री जगतसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या डिस्पेन्सरी भवन निर्माण के कार्यों के कराने सरकार विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो किन किन जगहों पर डिस्पेन्सरी भवन निर्माण का कार्य कराया जावेगा ?

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी सादड़ी चित्तोड़ जिले में डिस्पेन्सरी जिस मकान में है वह अपर्याप्त व सेनीटेशन के लिहाज से अनुपयुक्त है।

(घ) क्या यहां एक नया डिस्पेन्सरी भवन बनाने के लिये सरकार विचार करेगी ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—(क) जी हां।

(ख) यह प्रश्न विचारधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) जब विभिन्न स्थानों पर इमारतें बनाने का निर्णय किया जावेगा, उस समय इस स्थान को भी ध्यान में रक्खा जावेगा।

प्रश्न संख्या २७६

१ जनवरी, ५५ के बाद जयपुर जिले में पटवारियों के तबादले

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद जयपुर जिले में कुल कितने पटवारियों के तबादले किये गये हैं ?

(ख) ऐसे कितने पटवारी हैं जिनके तबादले अपने सब डिविजन से बाहर किये गये हैं ?

(ग) ऐसे कितने पटवारी हैं जिनके तबादले १ जनवरी, १९५५ के बाद एक से अधिक बार किये गये हैं।

(घ) उक्त तबादलों के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—१ जनवरी, १९५५ के बाद जयपुर जिले में कुल ७५ पटवारियों के तबादले किये गये।

(ख) ऐसे १० पटवारी हैं जिनके तबादले अपने सब डिविजन के बाहर किये गये।

(ग) कोई नहीं।

(घ) तबादले अक्सर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह।

प्रश्न संख्या २७७

देवड़ीजी के मन्दिर, जयपुर की दुकानों का श्री सुभद्रकुमार पाटनी में बकाया ७००० रु० का किराया

श्रीभैरूंसिंह—क्या मंत्री देवस्थान विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री रतनबिहारी, देवडीजी, जयपुर की दुकानों के किराये के करीब सात हजार रुपया श्री सुभद्रकुमार पाटनी में बकाया है ?

(ख) यदि हां, तो इस बकाया की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा वह बकाया किस किस वर्ष का कितना कितना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) सात हजार रुपयों का बकाया नहीं है।

(ख) श्री पाटनी और देवस्थान विभाग में आपस में किराये के बारे में झगड़ा चल रहा था। श्री पाटनी रेन्ट कन्ट्रोल के कानून के तहत कम किराया देना चाहते थे और देवस्थान विभाग किरायेनामे की शर्तों के माफिक पूरा किराया लेना चाहता था। पर अब बाहमी फैसला हो गया है और उसके अनुसार तीन हजार दो सौ एक [(३२०१] रुपया तो वसूल हो चुका है और बाकी दो हजार के करीब और हैं जो वसूल किये जा रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह—यह बाहमी फैसला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि रेन्ट कन्ट्रोल आर्डर के मुताबिक वह किराया देना चाहते थे और देवस्थान विभाग किरायेनामे की शर्तों के माफिक लेना चाहता था। वो

Page No 23

[श्री दामोदरलाल व्यास]

कानून की तहत यह फैसला किया गया।

श्री भैरूं सिंह—यह बतावें कि रेन्ट कन्ट्रोल के मातहत वह रकम बकाया कितनी होती थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने बताया अभी आपको कि ३२०१) रुपया तो वसूल हो चुका है और दो हजार और बाकी है।

श्री भैरूं सिंह—मेरा प्रश्न यह नहीं है कि कितना आपने वसूल किया और कितना बाकी है; मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न साफ है और वह यह है कि देवस्थान विभाग द्वारा कितने रूपये मांगे जा रहे थे और रेन्ट कन्ट्रोल से कितना लेना वाजिब था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वाजिब रकम ५३००) होती थी। अब रहा सवाल देवस्थान विभाग कितना चाहता था, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—जितना देवस्थान रूपया चाहता था उस रकम की इत्तला नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—तो क्या इस बात की तो इत्तला है कि रेन्ट कन्ट्रोल के मातहत कितना वाजिब होता था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—५३०० होते थे।

श्री भैरूं सिंह—जब ५३००) वाजब होते थे और वही आपने बाहमी फैसले में लिया तो रेन्ट कन्ट्रोल का फैसला क्यों नहीं हो जाने दिया, बाहमी फैसले की कौनसी बात आ गई ? जब कि कानून तौर पर हम उसके हकदार थे ही।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसलिये कि किरायेनामे की रूह से ज्यादा होते थे और रेन्ट कन्ट्रोल की रूह से कम होते थे ?

श्री भैरूं सिंह—कम का फैसला करने का सवाल ही नहीं, जब कि रेन्ट कन्ट्रोल के मातहत आप कोर्ट के द्वारा रकम वसूल कर सकते थे। फिर बाहमी फैसले की नौबत क्यों आई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—That is quite clear रेन्ट कन्ट्रोल के तहत इससे भी कम मिलते। इसलिये बाहमी फैसले से हमने अधिक ही रकम वसूल की।

श्री भैरूं सिंह—वह रकम ही तो मैं जानना चाहता हूं कि रेन्ट कन्ट्रोल से कितने मिलते ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह जितने भी तय कर देते।

श्री भैरूं सिंह—यह अन्दाज कैसे कर लिया कि रेन्ट कन्ट्रोल के मातहत बाहमी से भी कम रकम मिलेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसलिये कि सरकार के मंत्री और अधिकारी कानून जानते हैं।

(हंसी)

श्री भैरूं सिंह—कानून जानने और नहीं जानने का प्रश्न नहीं। यह आपने किस आधार पर नतीजा निकाला कि रेन्ट कन्ट्रोल से कम रकम मिलेगी और बाहमी से ज्यादा मिलने वाली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कानून को देखकर, पिछले फैसलों को देखकर और अनुभव आधार पर यह निर्णय किया गया था।

श्री भैंरूसिंह—क्या इस नतीजे पर पहुंचने के लिए सरकार ने किसी विशेष अधिकारी को मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। राजस्व विभाग ने खुद ने इसकी जांच की थी।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि इस मामले के लिए रेन्ट कन्ट्रोल ऑर्डर के संबंध में सरकार के जितने वकील हैं उनके अनुसार राय ली और वह इस नतीजे पर पहुँच कर ही फैसला किया गया था।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी राय लॉ डिपार्टमेंट में से ली गई थी।

श्री भैंरूसिंह—लॉ डिपार्टमेंट से राय ली होगी कि रेन्ट कन्ट्रोल आर्डर के मातहत केस चलाना उचित हो सकता है या नहीं, लेकिन रूपया कितना वसूल कर सकते हैं, क्या सरकार ने इस संबंध में लॉ डिपार्टमेंट से राय ली ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जितनी आवश्यक थी उतनी राय ली थी।

श्री भैंरूसिंह—मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न यह था कि रूपया क्या मिला और कितना मिलना चाहिए, इस तरह की राय क्या लॉ डिपार्टमेंट से ली गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—रेन्ट कन्ट्रोल में जिन जिन बातों की आवश्यकता थी उनमें यह राय ली गई थी।

श्री जसवन्तसिंह–ला डिपार्टमेंट ने, कितना रूपया वसूल हो सकेगा रेन्ट कन्ट्रोल आर्डर के मातहत और वह रूपये की क्या फीगर्स थी, यह भी बताया था।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिए अलग से फीगर्स पूछेंगे तो बता दूंगा।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि बाहमी फैसला नहीं किया जाता तो रेन्ट कन्ट्रोल आर्डर के मातहत ज्यादा रूपया वसूल किया जा सकता था ?

(घंटी)

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

प्रश्न संख्या २७८

जिला विकास बोर्डों में सरकारी व गैर सरकारी सदस्य विशेषतया चित्तोड़ में

श्री जगतसिंह झाला—क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जिला विकास बोर्ड में सरकारी तथा गैर सरकारी किन किन सदस्यों को रखा जाता है ?

(ख) चित्तोड़गढ़ जिला विकास बोर्ड के सदस्यों के नाम तथा पद क्या हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(विकास मंत्री) (क) जिला विकास समितियों में सरकारी तथा गैर सरकारी निम्न प्रकार के सदस्यों को रखा जाता है —

१. लोक सभा के सदस्य।
२. विधान सभा के सदस्य।
३. तहसील कमेटियों के सरपंचगण।
४. सरकारी विभागों के जिला अधिकारीगण।
५. एक भारत सेवक समाज का प्रतिनिधि।
६. दो समाज सेवक जिनमें से एक महिला हो।
७. दो सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य।

(ख) चित्तोड़गढ़ जिला विकास समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री जगतसिंह झाला—मुझे तो नहीं मिली है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष भी सदस्य हो सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं यह लिस्ट पढ़ देता हूं —

१. कलेक्टर चित्तोड़गढ़।
२. श्री यू. एम. त्रिवेदी, एम. पी.
३. श्री प्रतापसिंह, एम. एल. ए.
४. श्री बद्रीलाल वकील, एम. एल. ए.
५. श्री सुगनचंद जैन, एम, एल. ए.
६. श्री जगतसिंह झाला, एम. एल. ए.

Page No 26

[श्री रामकिशोर व्यास]

७. श्री जयचंद मोहल, एम. एल. ए.

८. श्री मन्ना भील, एम. एल. ए.

९.श्री. रतनसिंह, सरपंच, तहसील चित्तोड़गढ़ ।

१०. श्री चतुर्भुज, सरपंच, तहसील गंगरार,

११. श्री बन्सीलाल, सरपंच, तहसील राश्मी,

१२. श्री भोपालसिंह, सरपंच, तहसील निम्बाहेड़ा,

१३. श्री धूलीराम, सरपंच, तहसील कपासिन,

१४. श्री भैरूलाला, सरपंच, तहसील डूंगला,

१५. श्री सज्जन, सरपंच, तहसील बड़ी सादड़ी,

१६. श्री चतुरसिंह, सरपंच, तहसील भदेसर,

१७. श्री पदमसिंह,सरपंच, तहसील छोटी सादडी,

१८. श्री कमला शंकर, सरपंच, तहसील प्रतापगढ,

१९. श्री मोतीलाल, सरपंच, तहसील अचेरा

२०. श्री हरनारायण, सरपंच, तहसील कनेडा,

२१. श्री कंवरलाल, सरपच, तहसील भैंसरोड़गढ़,

२२. श्री लक्ष्मीचंद, सरपंच, तहसील बेंगू,

२३. डिविजनल फारेस्ट, आफिसर, चित्तोड़गढ़,

२४. डिस्ट्रक्ट एग्रीकलचर आफिसर, चित्तोड़गढ़,

२५. असिटेन्ट इन्जीनियर, पी. डब्ल्यू. डी. (बी. एण्ड- आर),

२६. दी इन्सपेक्टर ग्राम पंचायत, चित्तोड़गढ़,

२७. दी एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, इरीगेशन, उदयपुर,

२८. दी. डी. एम. एण्ड एच. ओ. प्रतापगढ़,

२९. दी असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर को० सोसाइटीज, चित्तोड़गढ़,

३०. दी रीजनल इन्सपेक्टर आफ लोकल बोडीज़, उदयपुर,

३१. दी डि० इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, चित्तोड़गढ,

३२. दी इन्सपेक्टर आफ बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर डि०, चित्तोड़गढ़,

३३. श्री भवानी शंकर ननवाणा, कपासन, रिप्रेजेन्टेटिव आफ भारत सेवक समाज ।

[श्री रामकिशोर व्यास]

३४. श्री लादूराम, चेयरमेन, म्युनिसिपल बोर्ड, चित्तोड़गढ़, सोशल वर्कर,

३५. श्रीमती शांति दास, हैड मिस्ट्रेस गर्ल्स स्कूल, चित्तोड़गढ़, सोशल वर्कर,

३६. श्री श्रीनिवास शारदा, निम्बाहेड़ा

३७. श्री इंद्रदेव, अधिष्ठाता, गुरुकुल, चित्तोड़गढ़ ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि इसमें हमारे डिप्टी स्पीकर श्री लालसिंहजी भी इसके सदस्य हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने जो नाम पढ़े हैं उनमें तो नहीं है ।

श्री जगतसिंह झाला—वह मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो कैसे करते हैं ? वह वहां पर चित्तोड़ में रहने के बाद में हमेशा ज्वाइन करते हैं, तो किस हैसियत से ज्वाइन करते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास—उनको बुला लिया होगा इसलिए उन्होंने अटेन्ड होगी । वे सदस्य नहीं है ।

श्री जसवन्तसिंह—यह किस बेसिस पर समाज सेवक चुने गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—भारत सेवक समाज से ।

श्री जसवन्तसिंह—आपने कहा कि समाज सेवक दो वर्कर होते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास—सोशल वर्कर ।

श्री जशवन्तसिंह—वह किस क्राइटेरिया पर हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—क्राइटेरिया सोशल वर्कर को आप को आप भी पहचानते हैं ।

श्री भैंरूसिंह—इस जिले की विकास में केवल एक म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन को सदस्य बनाया गया है जब कि वहां कई म्युनिस्पल बोर्ड हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जो बनाये गए उनकी सूची पेश कर दी गई है और उनके डेजिगनेशन भी बता दिये हैं ।

श्री जगतसिंह—क्या यह माना जाय कि केवल कांग्रेस अध्यक्ष ही इसका मेम्बर हो सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सभी एम. एल. एज. मेम्बर हैं। आप खुद भी मेम्बर हैं।

श्री जगतसिंह—मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि जो म्युनिसिपलटीज के अध्यक्ष हैं उनके लिए फरमाया कि वे एक हैं और जगह के म्युनिसिपल अध्यक्ष नहीं है।

अध्यक्ष—श्री भैंरूसिंह।

प्रश्न संख्या २७६

श्री बाबूलाल, भूतपूर्व सेटिलमेंट आफिसर के पद में वृद्धि

श्री भैंरूसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सीकर के भूतपूर्व सेटिलमेंट आफिसर श्री बाबूलाल के राज्य-सेवाकाल में वृद्धि की गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों और अब उन्हें किस स्थान पर नियुक्त किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) जी नहीं। उनको रिटायर होने के बाद वन विभाग में फोरेस्ट सेटिलमेंट आफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता है।

श्री भैंरूसिंह—रिटायर करने के बाद वन विभाग में दुबारा उनको नियुक्त करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वहा सेटिलमेंट आफिसर की आवश्यकता थी और योग्य आदमी मिल नहीं रहे थे इसलिए रखा है।

श्री भैंरूसिंह—सरकार को और आदमी मिले नहीं थे तो काबिल आदमी मिलें इस संबंध में क्या प्रयत्न किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हमारी जानकारी में जितने थे उनको रख दिया।

श्री भैंरू सिंह—सरकार ने इस जानकारी का क्या तरीका अपनाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार के पास जानकारी रहती है कि सेटिलमेंट के एक्सपीरियन्स्ड आदमी कौन कौन हैं।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार की जानकारी में सिवाय बाबूलालजी के फोरेस्ट सेटिलमेंट में काम करने के लिए कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अनुभवी व्यक्ति जितने सरकार की जानकारी में थे उनमें से उनको रिएम्प्लाय कर लिया।

श्री भैंरू सिंह—क्या फोरस्ट सेटिलमेंट आफिसर के लिए पी. एस. सी. से एडवरटाइटमेंट कराया गया था ? यदि कराया जाता जो एक नये पद की नियुक्ति के लिए उनसे ज्यादा किसी अनुभवी आदमी को मिल जाता।

श्री दामोदरलाल व्यास—वह महज एक टेम्पोरेरी पोस्ट है। उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है पी. एस. सी. के जरिये रिक्रूट करने की।

श्री भैंरू सिंह—टेम्पोरेरी क्या वह परमानेन्ट होने वाली है क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं। वह कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। महज टेम्पोरेरी है डिमार्केशन करने के लिए।

श्री भैंरू सिंह—कितने के लिए रखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब तक फारेस्ट का सेलिटलेमेंट चल रहा है।

श्री भैंरू सिंह—क्या उनको ६ महीने से ज्यादा टेम्पोरेरी एप्वाइन्टमेंट मिला है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनको एक साल के लिए रिएम्प्लाय किया है।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार को एक साल के लिए रिएम्प्लाय करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—That is a matter of Rules

Page No 30

प्रश्न संख्या २८०

सीकर, खेतड़ी व उनियारा के जागीरी कर्मचारियों के पेंशन के मामलो पर निर्णय

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने सीकर, खेतड़ी और उनियारा के जागीरी कर्मचारियों के पेंशन के प्रश्न पर निर्णय ले लिया है ?

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को पेंशन मिलना प्रारम्भ हो गया है और कितनों को अभी तक नहीं मिली है और उन्हें कब तक मिलने की आशा है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—सरकार ने तीन ही ठिकानों के लिए नहीं बल्कि राजस्थान की सारी जागीरों के पेन्शन पाने वालों के संबंध में निर्णय लिया है ।

(ख) व (ग) सीकर व खेतड़ी के ८८ व्यक्तियों के पेंशन मिलने के आदेश जारी हो चुके है । १४० पेंशन के मामले पेंशन पेमेन्ट आर्डर जारी करने के लिये एकाउन्टेन्ट जनरल को भेजे गये हैं । उनियारे के केवल ६ ही मामलों में स्वीकृति दी गई है । जिसका कारण यह है कि ठिकाने ने कर्मचारियों के मुकम्मिल रेकार्ड कलेक्टर के मंगाने पर भी उपलब्ध नहीं किये हैं । जागीर कार्यालय से भी श्री रावराजा सहाब को एक सरकारी पत्र भी ता: १६-३-५६ को भेजकर प्रार्थना की गई कि पेंशनरों के रेकार्ड आदि दिलाने की समुचित व्यवस्था करा दें। इन तीनो ठिकानों के जिन मामलों में अभी स्वीकृति नहीं हुई है उनकी संख्या निम्न प्रकार है—

खेतड़ी	३५
सीकर	३८
उनियारा	६५

पेंशन के मामलों में जिस ब्यौरे की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की प्रतीक्षा में स्वीकृति नहीं दी जा सकी है । जागीरदारों एवं पेंशनरों से विवरण प्राप्त होते ही पेंशन दिये जाने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे । कार्यवाही जल्द करो के लिए संबंधित कलेक्टरों को ताकीद की जा रही है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि जितने कागजात जागीर कमिश्नर ने मांगे थे वह कलेक्टर ने मांगे थे वह तीन, चार दफा भेज दिये गये हैं ?

Page No 31

श्री रामकिशोर व्यास—१६ मार्च को चिट्ठी लिखी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—१६ मार्च को चिट्ठी कागजात के लिए नहीं बल्कि कागजात के वेरीफिकेशन आफ सर्विसेज के लिए लिखा गया था उसका मैंने जवाब दे दिया कि ठिकाने का कुल रेकार्ड गाड़ी में भरकर टोंक नहीं पहुँचाया जा सकता है। आप कृपा करके किसी आफिसर को भेजकर वेरीफिकेशन करा लें।

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने निवेदन किया है मना कर दिया था कि रेकार्ड नहीं भेज सकते हैं तो, हमने लिखा है कि आदमी भेजेंगे तो दिखला दीजियेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—उनमें ६५ आदमियों में से कितने आदमी जीवित हैं और कितने मर चुके हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह आप ज्यादा जानते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—आपने किस किस को जिन्दा रखा है ?

श्री जसवन्तसिंह—आपने तो जितने जिंदा थे उनको सरकार को सौंप दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हमारे पास आने बाद उनकी हिफाजत की जा रही है।

प्रश्न संख्या २८१

राजस्थान में विभिन्न डिविजनों में राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों के नाम भूमि

श्री जगत सिंह झाला—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के हर एक डिविजन में कितने कितने बीघा जमीन अब तक राजनैतिक पीड़ितों के नाम से दी जा चुकी है ?

(२) उदयपुर डिवीजन में किन किन को कितनी कितनी कहां कहां पर किस किस साल में दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मन्त्री)—(१) राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों को जमीन देने के प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(२) उदयपुर डिविजन में अब तक राजनैतिक पीड़ितों के नाम से कोई भूमि नहीं दी गई है ।

श्री जसवन्तसिंह—अलवर का पोलो ग्राउन्ड किस नीति के आधार पर दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप इसके लिए अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दे देंगे। इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—कोटा में राजनैतिक पीड़ितों को कितनी जमीन दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह उदयपुर डिविजन का सवाल पूछा था उसका जवाब दे दिया गया है।

श्री जगतसिंह झाला—नाहर मगरा के पास जो जमीन दी गई है वह कैसे दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—राजनैतिक पीडितों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जगतसिंह झाला—राजनैतिक पीड़ितों को जमीन देना कब से विचाराधीन था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जमीन देने का सवाल नहीं है इस सम्बन्ध में नियम बना दिये गये हैं उनमें आते हैं तो जमीनें दे दी जावेंगी।

कु० श्री जसवन्त सिंह—राजनैतिक कारणों से जमीनें देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—कौनसी जमीन के लिये पूछा था ?

श्री जसवन्त सिंह—जिसके लिए अभी सवाल चल रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कोटा के लिए भी है।

कु० श्री जसवन्त सिंह—उदयपुर के लिए पूछा था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उदयपुर के लिए मैंने अर्ज किया कि वहां जमीन राजनैतिक पीड़ितों को कोई राजनैतिक कारणों से नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष—श्री प्रभूदयाल।

Page No 33

प्रश्न संख्या २८२

राजगढ़ जिला चूरु के तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

श्री प्रभूदयाल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या सरकार के पास तहसील राजगढ़ जिला चूरू के तहसीलदार व नायब तहसीलदार के खिलाफ कोई शिकायतें आई हैं?

(२) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(१) जी हां।

(२) तहसीलदार के विरुद्ध ४ शिकायतें की थीं और मामले की जांच की जा रही है।

श्री प्रभूदयाल—क्या नायब तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतों के बारे में जांच की गई?

श्री दामोदरलाल व्यास—उसके विरुद्ध शिकायतें हैं?

श्री प्रभूदयाल—शिकायतें कई हुई थीं। कौनसी तारीख को हुई थीं, अब तक क्या कार्यवाही हुई और किस अधिकारी द्वारा जांच की गई?

श्री दामोदरलाल व्यास—शिकायतों की सही तारीख मुझे मालूम नहीं है।

श्री प्रभूदयाल—कौन से अधिकारी जांच के लिए गये?

श्री दामोदरलाल व्यास—कलेक्टर चूरू।

कु० श्री जसवन्त सिंह—शिकायतें किनके द्वारा की गई?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह इस वक्त मुझे याद नहीं है।

(हंसी)

प्रभूदयाल—शिकायतों की दरख्वास्तें कितनी आयीं और कौनसी तारीख को आयीं?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि तारीख तो मुझे इस वक्त में याद नहीं है, जानकारी करके बता सकता हूँ।

श्री प्रभूदयाल—शिकायतें किस किस किस्म की थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तहसीलदार के विरुद्ध उसके व्यवहार की शिकायत थी। मुफस्सिल मुझे याद नहीं।

श्री प्रभूदयाल—शिकायतें करने वाले किस किस जाति के थे और शिकायतें करने का कारण क्या था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—शिकायतें करने वालों का नाम मुझे इस वक्त में याद नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो मैं बाद में जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा।

श्री प्रभूदयाल—नायब तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतें आयीं थी उसके लिये जवाब नहीं मिला।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि कई शिकायतें थीं और उसकी जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—श्री घासीराम।

प्रश्न संख्या २८३

अलवर जिले के पटवारी एवं कुछ को कानुन्गो बनाने का आधार

श्री घासीराम—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) अलवर जिले में कितने पटवारी हैं और उनका सीनियोरिटी में कौन कौन सा स्थान है ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार कुछ पटवारियों को तरक्की दे रही है ? यदि हां, तो कितने पटवारियों को कानूनगो बनाया जा रहा है ? उनके नाम क्या २ हैं ?

(ग) सीनियोरिटी के अलावा किन किन नियमों के आधीन तरक्की दी जावेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) अलवर जिले में इस समय कुल पटवारियों की संख्या ३७८ है। उसकी सीनियोरिटी लिस्ट माननीय सदस्य को दिखा दी गई है।

(हंसी)

Page No 35

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ख) जब कानूनगो का स्थान खाली होता है तो आम तौर से उपयुक्त पटवारियों को तरक्की दी जा कर कानूनगो बनाया जाता है। जिले अलवर में अब तक तीन पटवारियों को कानूनगो बनाया गया है। उनके नाम हैं:—

श्री भगवानसहाय, श्री बाला बक्स और श्री भोरीलाल। सीनियोरिटी लिस्ट के क्रमशः १. २. व ३ हैं।

(ग) पटवारीयान की तरक्की राजस्थान लैंड रेकार्डर्स मेन्यूअल के पार्ट द्वितीय के रूल ७ के अनुसार होती है अगर सीनियोरिटी में कोई अयोग्य हो तथा उसका रिकार्ड असंतोषजनक हो तो उसको सुपरसीड किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—श्री प्रभुदयाल।

प्रश्न संख्या २८४

ग्राम दूदवा खारा (जिला चुरु) के हाईस्कूल स्वीकृति के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही।

श्री प्रभुदयाल—क्या शिक्षा मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम दूदवा खारा जिला चुरु में हाईस्कूल की स्वीकृति की दरख्वास्त कब दी गई थी तथा अब तक उस पर क्या कार्यवाहीं की गई है ?

(२) देरी का क्या कारण है, और अब तक कब स्वीकृति हो जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षा मंत्री) — (१) माह दिसम्बर १९५५ में उक्त दरख्वास्त को विश्वविद्यालय को मान्यता देने के लिए भेज दिया गया था।

चूंकि यह दरख्वास्त सेठों द्वारा देर से दी गई थी। अतः विश्वविद्यालय ने मान्यता नहीं दी।

अब विश्वविद्यालय के इन्सपेक्टरों ने स्कूल का निरीक्षण कर लिया है अतः आशा है कि इस वर्ष हाई स्कूल खोल दिया जायगा यदि सेठों ने हाई स्कूल खोलने का विचार स्थगित न किया।

श्री प्रभुदयाल—यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या आशा की जाय कि अगले एकेडेमिक ईयर तक हाईस्कूल हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—राजस्थान में १५ हाईस्कूल खुलने वाले हैं। मैं खास तौर पर अभी से यह कहना पसन्द नहीं करूंगा कि कहां कहां खोल दी जावेंगी। इन पन्द्रह में किन किन स्थानों पर खुलती हैं उसके बाद देखा जायगा।

प्रश्न संख्या २८५

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित —कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २८६

शिक्षा विभाग में अध्यापकों के फिक्सेशन सम्पूर्ण करने की अन्तिम अवधि

श्री घासी राम—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) शिक्षा विभाग में क्या अभी तक फिक्सेशन पूरा नहीं हुआ है। यदि हां, इसके क्या कारण हैं ? अब फिक्सेशन कब तक पूरा हो जायगा ?

(ख) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में अध्यापकों का फिक्सेशन हो चुका है और अलवर में नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(मुख्य मंत्री)—(क) जी हां। फिक्सेशन कार्य अभी पूर्णरूप तय नहीं हुआ है क्योंकि फिक्सेशन केसेज को तय करने के लिये सरकार द्वारा जो एक कमेटी नियुक्त की गई थी, यह प्रश्न उसके विचाराधीन था। अब कमेटी की सिफारिश पर इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कुछ नियम बना दिये गये हैं और वह नियम समस्त निरीक्षकों को भेज दिये गये हैं और सम्भावना है कि यह कार्य माह अप्रेल के अंत तक पूरा हो जावेगा।

(ख) जी नहीं। भरतपुर में भी कुछ अध्यापक बाकी हैं जिनका फिक्सेशन अभी नहीं हुआ है और अलवर में कुछ अध्यापकों का फिक्सेशन तो हो चुका है और कुछ अध्यापकों का बाकी है, जो अप्रेल तक पूरा हो जावेगा।

Page No 37

श्री घासीराम—यहां कैसे हो गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका मुझे पूरी तरह से पता नहीं है किसका कैसे हो गया और क्या हुआ। रिकार्ड एकत्रित किया जा रहा है और सबका फिक्सेशन करने के लिये हम स्वयम प्रयत्नशील हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाय और मैं समझता हूं कि मई महीने में सब का फिक्सेशन हो जायगा।

प्रश्न संख्या २८७

श्री अध्यक्ष--श्री श्रीदास गोयल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थिति—कृपया परिशिष्ट १ देखिये।

श्री कुम्भाराम।

प्रश्न संख्या २८८

बीकानेर डिविजन की प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में अध्यापकों का समुचित प्रबन्ध

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर डिविजन में कहां कहां और कितनी प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल खुले हुए हैं ? क्या इनमें नये खोले गये स्कूलों में अध्यापक भेज दिये गये हैं ?

(ख) ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जहां अभी अध्यापकों कमी है और वह कितनी कितनी ? इसका क्या कारण है ?

(ग) खाली जगहों के लिए अध्यापक अब कब तक भेज दिये जावेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षा मंत्री)—(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां। कुछ स्कूलों में मास्टरों की कमी थी उसकी पूर्ति की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री कुम्भाराम आर्य—सूची अधूरी भेजी गई है।

Page No 38

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या इनमें ऐसे स्कूल हैं जहां अध्यापक नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

श्री कुंभाराम आर्य—मैं और पूछना चाहता हूं। तीन जिले की भेजी है क्या आपने ?

श्री प्रभूदयाल—क्वश्चन बीकानेर डिविजन का था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हमारे अफसर गंगानगर जाते हैं अक्सर, सवाल उठा है मैं दो जिले की भी भेज दूंगा।

श्री कुम्भाराम आर्य—गंगानगर में जितने मिडिल स्कूल खोले हैं वहां आज की तारीख में पूरा स्टाफ नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कुछ कमी है, मेरी जानकारी में है और उसको पूरा किया जा रहा है।

श्री कुम्भाराम आर्य—कुछ शब्द निकाल दें तो पूरा होजायगा।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप यह कहें। कुछ तो आवश्यक होगा।

(हंसी)

श्री कुम्भाराम आर्य—मंत्री महोदय वहां एक भी स्कूल बता दें कि जिसमें पूरा स्टाफ है तो यह मेरा चेलेंज है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जहां कुछ मास्टरों की कमी है उसको पूरा किया जारहा है।

श्री कुम्भाराम आर्य—आप कुछ शब्द को ही क्यों नहीं निकाल देते हैं। आप स्कूलों में कमी है इसको स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने स्वीकार किया कि ज्यादा स्कूलों में कुछ मास्टरों की कमी है।

(हंसी)

कुं० श्री जवसन्त सिंह—इस कुछ शब्द के निकाल देने से से क्या हर्ज है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस बेचारे 'कुछ' शब्द ने ही इतना एतराज किया है।

(हंसी)

श्री कुम्भाराम आर्य—पूरी लिस्ट कब मिल जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक दो दिन में भेज दूंगा।

प्रश्न संख्या २८६

श्री अध्यक्ष—महाराज श्री केशरीसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २९०

श्री अध्यक्ष—महाराज श्री केशरीसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)।

प्रश्न संख्या २९१

श्री श्रीदास गोयल

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

यस। श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २९४

इन्सपेक्टर ओफ स्कूल्स, किशनगढ़ के आधीन १९५५-५६ का स्वीकृत बजट भेजना

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इन्सपेक्टर ओफ स्कूल्स, किशनगढ़ के मातहत स्कूलों का १९५५-५६ का बजट स्वीकृत किया जाकर इन्सपेक्टर के आफिस में कब भेजा गया ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) उक्त इन्सपेक्टर के मातहत इन्टर ट्रेण्ड, मेट्रिक ट्रेण्ड और मेट्रिक ग्रेड के कितने २ स्थान स्वीकृत किये गये हैं ?

(ग) बजट के स्वीकृत होने के पूर्व उक्त ग्रेडों के कितने कितने अध्यापक सर्विस में थे ?

(घ) किन किन अध्यापकों को ग्रेड प्रोमोशन दिया गया है ?

(ङ) ऐसे कौन कौन अध्यापक हैं जिनकी इन्टर और मैट्रिक ग्रेड में नई नियुक्तियां की गई हैं ?

(च) ऐसे कौन कौन अध्यापक हैं जो इन्टर, एस. टी. सी, इन्टर, मैट्रिक ट्रेण्ड होते हुए भी मिडिल ग्रेड की पा रहे हैं ?

(छ) उक्त अध्यापकों की कितने कितने वर्ष की सर्विस है और क्या क्या योग्यतायें हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षा मंत्री)—(क) अगस्त सन् १९५५ के तीसरे सप्ताह में—

(ख) इन्टर ट्रेन्ड	३७
इन्टर	३८
मेट्रिक ट्रेन्ड	५७
,, ग्रेड	५२
(ग) इन्टर ट्रेंड	१६
इन्टर	४१
मैट्रिक ट्रेंड	१३
मैट्रिक ग्रेड	८१

(घ) किसी को भी नहीं।

(ङ) मैट्रिक ग्रेड

	श्री गोविंदनारायण	ड्राइंग मास्टर
	श्री मंगलचंद	इंटर, सी. टी
इन्टर ग्रेड :	श्री बैरीसाल सिंह	कृषि अध्यापक

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(च) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(छ) यह सूचना प्रश्न भाग 'च' के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई तालिका में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—यह बजट स्वीकृत करके इतनी देरी से भेजने का क्या कारण था ? अगस्त में भेजने का बताया है सो इतनी देरी से भेजने का क्या कारण ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बजट पास होने के बाद डिटेल्स के लिए कुछ समय लग जाता है इसलिए देरी हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे जब कि मैट्रिक ट्रेन्ड कर्मचारी मौजूद थे तो नई नियुक्तियां की जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कुछ टेम्परेरी पोस्टस होती हैं उन पर टेम्परेरी तौर पर नई नियुक्तियें की जाती हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि नई नियुक्तियें टेम्पोरेरी पोस्टस पर नहीं हुई हैं बल्कि परमानेन्ट पोस्टस पर हुई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—परमानेंट पोस्टस के अगेन्स्ट में टेम्परेरी आदमियों की नियुक्तियें कुछ समय के लिए की गई होंगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से यह फैसला किया जा चुका था मैट्रिक या इन्टर ट्रेंड नये आदमियों को नहीं लिया जावे और दूसरे नीचे के अध्यापकों का प्रमोशन किया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मेरी जानकारी में नहीं है। ऊपर से नहीं लिया जावे ऐसा आदेश शायद नहीं होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या ऐसा आदेश माननीय मंत्रीजी के सामने रखने पर इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे ?

Page No 42

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह आदेश किस प्रकार का है इस पर निर्भर करेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इंसपेक्टर ओफ स्कूल्स ने जो आदेश पहले दिया गया था उसके अनुकूल सिफारिश की गई थी और ऊपर से उसको न मानकर दूसरा आदेश दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इतने डेवलपमेन्ट के बारे में मुझे मालूम नहीं है कि नीचे से क्या लिखा गया और ऊपर से क्या आदेश दिया गया। इसकी माननीय सदस्य को ज्यादा जानकारी है वे बतायेंगे तो और जानकारी करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है नयी नियुक्तियें मंत्रीजी और उपमंत्राणीजी के आदेश से की गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कौनसी नियुक्तियें ? मुझे पता नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—ये नई नियुक्तियें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे आदेश से किये जाने का सवाल नहीं खड़ा होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उप मंत्राणीजी की ओर से बार बार टेलीफोन किया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उप मंत्राणीजी स्वयं बैठी हैं। उनके बारे में मैं कैसे कहूँ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि विधान सभा में मंत्रीजी द्वारा एक बार जवाब देने के बाद भी नयी नियुक्तियां इस तरीके से की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या अर्ज किया गया था/क्या नहीं, इसकी जानकारी करने की आवश्यकता होगी। टेम्पोरेरी अपोइंटमेंट्स नये किये जा सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या टेम्पोरेरी अपोइंटमेंटस बंद करने का विचार कर सकते हैं

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह बडा प्रश्न है जिस पर सोचा जा सकता है। कारण यह है कि किसी टीचर को एक जगह भेजा जाता है या प्रमोशन दिया जाता है तो उसके पीछे या एक टेम्पोरेरी अपोइंटमेंट के साथ कई केसेज लिंक अप हो जाते हैं। इस लिए हम विचार कर रहे हैं कि प्रमोशन टेम्पोरेरी पोस्ट के लिए करें या नहीं।

Page No 43

श्री चांदमल मेहता—सब्सटिट्यूट के बारे में प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि नयी पोस्ट क्रिएट की गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यदि क्लीयर वेकेन्सी है तो मैं समझता हूँ प्रमोशन किये जाने चाहिये।

वित्त लेखा १९५३-५४ व अंकेक्षा प्रतिवेदन १९५४, की प्रस्तुति

श्री वृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त लेखा १९५३-५४ तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन १९५४ को सदन की मेज पर रखता हूँ।

राज्य पुनर्गठन विधेयक, १९५६

(राजकीय संकल्प पर वाद-विवाद)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन ने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और वह थी भारत के आगामी पंच वर्षीय योजना पर। आज हम एस. आर. सी. बिल पर विचार करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस बिल के संबंध में जब कि एस. आर. सी. रिपोर्ट यहां सबमिट हुई थी, इस सदन ने पहले विचार किया था और मैं समझता हूं, देश में जितने भी राज्य हैं उनमें से शायद राजस्थान ही एक राज्य है कि जिस राज्य ने एस. आर.सी.रिपोर्ट का सबसे ज्यादा स्वागत किया। जो एस.आर.सी. की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भविष्य का नक्शा बनता है वह इस प्रकार का है कि जिसके अन्दर राय में मतभेद बहुत कम होगा और मतभेद नहीं था सिवाय इसके कि कुछ बातों के बारे में इस मौके पर कुछ चीजें यहां कही गई। लेकिन आज जब हम यहां विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं उस रिपोर्ट और बिल के बीच के समय में केवल एक अंतर और हुआ है और वह यह कि जो लोहारू तहसील का भाग राजस्थान में मिलने वाला था उसे पंजाब के साथ रखा गया है। यह परिवर्तन इस कारण से किया गया है कि लोहारू सब तहसील की लगभग सभी पंचायतों ने या गांवों के लोगों ने लगातार भारत सरकार के पास और दूसरे स्थानों पर इस बात के लिए कोशिश की और जोर दिया कि लोहारू सब तहसील पंजाब में रहनी चाहिये। इस परिवर्तन के अलावा इस बिल में जो एस. आर. सी. रिपोर्ट में बातें थीं उनमें और इसमें कोई अंतर नहीं हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ। स्वतन्त्रता के बाद जितनी राजनैतिक चर्चायें और उतार चढ़ाव इस रिपोर्ट पर हो रहे हैं शायद और कोई घटना इस मौके पर नहीं हुई सिवाय इसके कि जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ और रिफ्यूजीज़ इधर उधर आये उन बातों को छोड़ दें तो राजनैतिक उथल पुथल उस मौके पर हुए। आज हम इस चीज पर विचार करने को एकत्रित हो रहे हैं इस समय वापिस देश में एक राय का निर्माण हुआ। जो बातें होने वाली हैं उनके सम्बन्ध में इस बिल में जिक्र हैं।

जहां दूसरी बातों का इस बिल में जिक्र है उसके साथ साथ ज़ोनल कौंसिल का भी जिक्र है जिनमें कुछ विषयों पर या और किसी विषय पर जिस पर आपस में मेम्बर्स

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मिलकर चर्चा करना चाहते हों, एडवाइजरी तौर पर उन चीजों पर विचार किया जा सकता है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, इसके अनुसार हम नोर्दन जोन में पंजाब, वर्तमान पेप्सू, हिमाचल प्रदेश, काश्मीर, दिल्ली और राजस्थान का समावेश होता है। तो इस प्रकार से यह उत्तर प्रदेश बनता है। यह जो जोन बनेगा उसका कान्सटिट्यूशन किस प्रकार का होगा और फंक्शन्स क्या होंगे इसका जिक्र भी इस बिल में किया गया है। मैं समझता हूँ जिन्होंने इसको पढा होगा उनको स्पष्ट होगा कि जोन्स के फंक्शन्स एडवाइजरी हैं और खास तौर से जो एक दूसरे से मिले हुए प्रश्न हैं जैसे रियासतों की सीमा का प्रश्न है, प्लानिंग की चर्चा है, लिंगिस्टिक माइनोरिटीज़ की चर्चा है या और कोई कोमन बातें हैं तो उन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐसे जो प्रश्न हैं उन पर विचार किया जा सकता है इन जोनल कौंसिल्स में।

इन के अलावा इस बिल में जो राज्य एक दूसरे में मिलेंगे जैसे हमारे यहां अजमेर और राजस्थान की बात खास तौर से आती है या आबू का हिस्सा हमें मिलता है, इस प्रकार के जो हिस्से एक दूसरे में मिलते हैं उनकी एसेम्बलीज़ या लेजिस्लेचर्स का तरीका दिया है। सर्विसेज के मामले में प्रोसिजर दिया गया है कि क्या उनका होगा, किस प्रकार का फैसला आगे किया जायगा। काफी डिटेल्स में हर चीज पर इस में विचार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस में हाई कोर्ट के जजेज़ के संबंध में भी एक निश्चित तौर से बात कही गई है कि राजस्थान, ट्रावनकौर कोचीन और मैसूर इन तीन स्टेटस में जो हाई कोर्टस के जजेज हैं उनका वेतन २५०० रुपये होगा जब कि दूसरी जगह के हाई कोर्टस के जजेज़ का वेतन ३५०० रुपये होगा। इस विषय को लेकर मैं समझता हूँ काफी चर्चा है और चर्चा होना स्वाभाविक भी है और मैं समझता हूं सदन के समक्ष भी इसके बारे में विचार आयेंगे। मैं सदन के माननीय सदस्यो के विचार सुनने से पहले कुछ कहूं यह उचित नहीं होगा। इस लिये मैं समझता हूँ सदस्यों के विचार आने के बाद गंभीरतापूर्वक विचार करें और हमारी यदि कुछ राय इस विषय में बनती है तो उसे हम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को कनवे कर सकते हैं। इसको कनवे करने में कोई रुकावट हो ऐसी बात नहीं है।

जोनल कौंसिल का सवाल है, इसमें भी राजस्थान के अन्दर राय का मतभेद है, ऐसा मालूम होता है, कुछ माननीय सदस्यों का, कुछ लोगों का विचार इस पर और तरह का होता है, कुछ अनुभव करते हैं कि हमारा जोन सेंट्रल जोन होना चाहिये, कुछ चाहते है वेस्टर्न होना चाहिये तो और कुछ चाहते हैं कि आज जो जोन है वह ठीक है। अध्यक्ष महोदय,मैं इस चर्चा में नहीं पड़ना चाहूँगा और मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर भी इस बात का खयाल रखते हुए कि जो जोन्स हैं, एडवाइजरी नेचर्स के हैं और हमारी बहस में इन जोन्स के बारे में दूसरी ही बातें हों तो वह ठीक नहीं, यह हम बहस के अन्दर खयाल रखेंगे।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं और चीजों में ज्यादा विस्तार में जाना जरूरी नहीं समझता क्योंकि हमने इस विषय पर पहले काफी चर्चाएं की हैं, नोनकन्ट्रोवरसियल टाइप का यह बिल है। फिर भी इसमें बहुत सी बातों पर चर्चा होगी, टेरिटरीज का सवाल एक पहले का सवाल बन जाता है परन्तु राजस्थान में, मैं समझता हूं यह आपस में बहस मुबाहसे का प्रश्न नहीं बनता।

माननीय अध्यक्ष, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जो निर्णय अब इस सम्बन्ध में कर लिये गये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं समझता हूं हमें देश हित में जो फैसला किया गया है, उस फैसले को मानना चाहिये। अब हम इन चर्चाओं में पड़ें कि अमुक हिस्से को अमुक हिस्से के साथ जोड़ना चाहिये, अमुक को अमुक के साथ, इस वक्त यह चर्चा करना वाजिब नहीं होगा, वह स्टेज काफी पहले गुजर चुकी है। अब पार्लियामेंट में यह बिल आने वाला है और वहां इसे फाइनल शेप दी जायगी। जहां तक टेरिटोरियल एडजस्टमेंट का सवाल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है।

कुछ जगह पर यह सुना कि अजमेर की विधान सभा में इस सम्बन्ध में चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं में इस बात पर काफी जोरों से बहस हुई कि जो नया राज्य बने राजस्थान का उसकी राजधानी अजमेर बने। मैं समझता हूँ कि यह बिल में इस बारे में स्पष्ट है कि अजमेर का राज्य हममें शरीक किया जायगा, उसकी स्टेटस एक डिस्ट्रिक्ट की होगी, इससे बढ़ कर उसकी स्टेटस कमिश्नरी की हो यह डिटेल्स की बातें हैं पर इससे यह स्पष्ट है कि अजमेर के केपिटल होने की बात इस बिल के अन्दर भी नहीं है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो परिस्थिति आज राजस्थान की है, करीब राजस्थान बनने के बाद ६ साल से ज्यादा अर्सा हो चुका, इस अर्से में जयपुर में केपिटल के लिहाज से डेवलपमेंट हुए, और और चीजें हुई, उन चीजों को देखते हुए राजधानी में परिवर्तन करने की चीज उपयुक्त नहीं और यह उपयुक्त नहीं होगा कि इस चर्चा को आगे चलाया जावे।

यह बात मैं इस लिये स्पष्ट करना चाहता था कि हम और हमारा पड़ौसी राज्य अजमेर बहुत जल्द एक होने जा रहे हैं। हमने हमेशा इस सदन में चर्चा की है कि जहां अजमेर के महत्व का प्रश्न है, उसके विकास का प्रश्न है, उसके लिये जितना अधिक से अधिक हम कर सकते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन राजधानी के प्रश्न के ऊपर अब बहस हो, मैं समझता हूँ, वह दौर समाप्त हो चुका और इस चीज पर ज्यादा बहस करते रहते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इस दृष्टि से मैंने यह बातें आप सब माननीय सदस्यों के सामने रखीं। मैं वैसे मानता हूँ, अजमेर, आबू के जो हिस्से हमारे राजस्थान में आयेंगे, उन हिस्सों के आने के बाद राजस्थान को आगे बढ़ाने के अन्दर, राजस्थान का विकास करने में शक्ति बढ़ेगी, सब मिल जुल कर आगे बढ़ने की शक्ति बढेगी।

यह स्वाभाविक होता है कि एक राज्य का विलीनीकरण होता है तो बहस के दौरान में इस तरह की चर्चाएं आती हैं, जो चर्चाएं वहां हुई हैं उनमें मैं पड़ना नहीं चाहूँगा। हम

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हमेशा यह मान कर चले हैं कि जो अजमेर राज्य हममें शरीक होने जा रहा है, उसका विकास हो, उसकी तरक्की हो। इस पर राजस्थान के लोग हमेशा पूरे तौर से ध्यान रख कर चलेंगे और एक दूसरे के साथ मिल कर राजस्थान के विकास के लिये कार्य करेंगे। अन्त में मैं माननीय अध्यक्ष, ज्यादा न कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो बिल हमारे समक्ष आया है, देश के अन्दर हम सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं कि कम से कम डिस्टरबेंस ऑफ टेरिटरीज हमारे यहां हुआ है।

सीरोंज का इलाका और उसके प्रतिनिधि भी मध्यभारत में जाते हैं इसमें जितना दुख और सुख छुपा हुआ है वह तो है ही।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Sorry for our friend Finance Minister.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पर इसके अलावा जो बातें मैंने संक्षेप में कहीं, कि जो चर्चा का विषय हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है जिस पर ज्यादा बहस मुबाहसा किया जाय। बहस मुबाहसा हो तो अच्छे रूप में हो कि राजस्थान को ठीक स्वरूप में रखा गया, इसका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि आबू के बारे में एक लम्बे अर्से से हमारी मांग है उसकी पूर्ति होती है, अब निकट भविष्य में आबू और राजस्थान एक होंगे।

श्री सरदारसिंह—समर सेशन भी वहीं होना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—समर सेशन वहां करने की बात तो अगले चुनाव के बाद आयेगी, तब की बात आप तब सोचें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आप आगे की सोचते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अच्छी बात है आपका तो वहां मकान भी है।

तो ज्यादा चीजें इसमें ऐसी नहीं हैं कि ज्यादा समय लगे। आज का समय इसके लिये निश्चित है, मैं आशा करता हूं कि आज ही इसको खत्म कर देंगे। ज्यादा बातें तो माननीय सदस्यों की स्वागत की बातें होंगी व माननीय सदस्य इसका स्वागत करके इस बिल को स्वीकृति दे दें तो ठीक होगा। बस इतना ही निवेदन करना है।

वैसे तो इसके सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है वह सर्कुलेट हो चुका है पर वह रिजोल्यूशन मैं फिर पढ़ देता हूं:

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

"यह सदन भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये राज्य पुनर्गठन विधेयक १९५६ में वर्णित राजस्थान राज्य के पुनर्गठन संबंधी प्रावधानों का समर्थन करता है।"

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया, जिस प्रकार कल एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सदन के सामने आया उसी प्रकार उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा सवाल आज इस सदन के सामने आया है। उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए जहां तक कि मैं मुख्य मंत्रीजी का मतलब समझ सका, वे एक सीमित दायरे में इसकी बहस इस सदन में कराना चाहते हैं। मैं ऐसा ख्याल करता हूं कि जब एक एक इतने महत्व का सवाल सदन के सामने आया है तो इस पर सीमित विचार नहीं रखे जा सकते और यह सदन को अधिकार है कि इस एस. आर. सी. रिपोर्ट में, देश भर में क्या क्या असर पड़ेगा और इस सदन के माननीय सदस्य-गण क्या विचार रखते हैं, इन पर भी विचार प्रगट करना आवश्यक हो जाता है। क्या विचार रखते है उस पर भी विचार प्रकट करना आवश्यक हो जाता है। इसलिये मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करूंगा कि थोड़े दायरे में ही इसको खत्म कर दिया जावे। क्योंकि यह महत्व का प्रश्न है इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष,—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या स्टेट रिओ० की क्यों हुई और आज हम इस स्टेज पर कैसे पहुँचे है ? भाषाई प्रान्त का सवाल उस समय से है जब कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी, जबकि उन पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी और कोई बोझ नहीं था और वह एक विदेशी पार्टी से संघर्ष लेने के लिये मैदान में खड़ी थी। उस समय भाषाई प्रान्तों का निर्माण कांग्रेस द्वारा १९२० में देश के सामने रखा गया था। उस समय अंग्रेजी हकूमत थी और १९४६ तक वे इस दशा में नहीं थे कि वे भाषाई प्रान्त बना सकते और अंग्रेज चूंकि सत्ता में थे इसको सपोर्ट नहीं दे सके क्योंकि सत्ता में होने के कारण भाषाई प्रान्त बनाने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वे सब उनके सामने थी और कांग्रेस के हाथ में उस समय सत्ता नहीं थी, कांग्रेस जन भाषाई प्रान्त के बारे में बहुत कुछ जोर देते आ रहे थे।

१९४६ के बाद में जबकि देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और कांग्रेस सरकार के हाथ में सत्ता आई उस वक्त इस प्रश्न पर कई दफा विचार हुआ और कांग्रेस सरकार पर कुछ कांग्रेसी नेताओं और प्रान्तों का दबाव पड़ा कि भाषाई प्रान्त जिसके लिये सन् १९२० से कांग्रेस ने अपना सिद्धान्त और ध्येय रख छोड़ा था अमल में लाये, लेकिन ज्यों ज्यों अधिकार और सत्ता उनके हाथ में रही उनको यह अनुभव होने लगा कि यह इतना आसान मामला नहीं है जितना की लोग इस पर जोर दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय आंध्र में तीन चार वर्ष पहले इस बात पर बहुत कुछ आन्दोलन हुआ कि आंध्र को भाषाई प्रान्त का निर्माण किया जावे। सरकार ने इस आन्दोलन को दबाने की बहुत कोशिश की लेकिन आंध्र देश के वासियों ने सरकार के चेलेन्ज को एक्सेप्ट किया और इस संघर्ष में सैकड़ों आदमी मारे गये। रेलगाडी मोटरों और बसों को बरबाद किया और रेलों

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

की पटरियों को उखाड़ कर उनके ट्रान्सपोर्ट को बन्द किया और सरकार के हमदर्द कांग्रेस के व्यक्ति थे उनको मारा गया और एक तरह से कांग्रेस सरकार जो अपने आपको अहिंसा की सरकार समझती है, उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। फिर बाद में श्रीमालू कांग्रेस के नेता ने भूख हड़ताल शुरू की और आमरण अनशन किया और जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो अपने प्राण तक भूख हड़ताल में दे दिये। उनके मरते ही हमारी जो सरकार सेन्टर की, इतनी मजबूत सरकार है उसको घुटने टेकने पड़े और उसने अनकन्डिशनल सरेन्डर कर दिया और जो मारकाट हत्याकांड हुए उसकी वजह से आन्ध्र को भाषाई प्रान्त बना दिया। यह तो भाषाई प्रान्त को बनाने का नमूना हुआ। अब इसके बाद में जब कि हिंसा से आन्ध्रवालों ने अपना भाषाई प्रान्त बना लिया तो दूसरे प्रान्तों ने भी यह आवाज बुलन्द की और हमारी सरकार कितनी मजबूत है वह तो हम जानते ही हैं, डर कर सेन्टर ने २२।१२।५३ को प्राइम मिनिस्टर द्वारा लोक सभा में घोषणा की गई कि शांति से और स्पष्टता से भारत के भिन्न भिन्न राज्यों की सीमा को कायम करने के लिये एक कमिशन नियुक्त किया जावेगा जिससे प्रत्येक राज्य के नागरिकों का और राष्ट्र का हित हो। हित तो हम हर बात में देख कर चलते हैं।

इस घोषणा के बाद में होम मिनिस्टरी के प्रस्ताव तारीख २६।१२।५३ के अनुसार, स्टेट रिओरगेनाइजेशन कमिशन की नियुक्ति हुई और यह कार्य एक कमिशन को सौंप दिया गया और यह बता दिया गया कि उनको कब तक रिपोर्ट करनी चाहिये। इस २६।१२।५३ के प्रस्ताव के ७ पेरा में कमिशन के टर्म ऑफ रेफरेन्स दिया गया है।

(श्री बद्रीलाल सभापति, पदासीन)

इसमें कमिशन को यह आदेश हुआ कि ३०।६।५५ तक वह अपनी रिपोर्ट पेश करे, और उसकी रिपोर्ट देश के सामने पेश की गई।

स्टेट रिओरगेनाइजेशन कमिशन की रिपोर्ट के मुख्य मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं:—

(१) कि संविधान के आर्टिकल ३७१ को हटा कर पार्ट 'ए' और 'पार्ट' 'बी' राज्यों के भेद भाव को दूर कर दिया जावे।

(२) राजप्रमुख नाम की संस्था हटा दी जावे।

(३) पार्ट 'सी' स्टेटस को पड़ोसी बड़े राज्यों में मिला दिया जाए और हिमाचल प्रदेश, कच्छ और त्रिपुरा आदि छोटी छोटी रियासतों को केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार में रखे और बाद में वह भी बड़े राज्यों में सम्मिलित कर दिए जावें और बाकी के पार्ट 'सी' स्टेट्स देश हित में केन्द्र के अधिकार में रहें। इस प्रकार एस. आर. सी. की

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

रिपोर्ट के माफिक दो प्रकार के राज्य होना भारत में सोचा है एक तो स्टेट्स और दूसरे स एडमिनिस्टर्ड टेरीटरीज। इसके अलावा एस. आर. सी ने अलग अलग राज्य में कुछ दूसरे र को मिलाने के सुझाव भी दिये। मद्रास में कुछ हिस्सा ट्रावनकोर कोचीन का डालने सुझाव दिया। ट्रावनकोर कोचीन का नाम केरला रखा और मैसूर का नाम कर्नाटिक रखा और कुछ बम्बई, मद्रास और हैदराबाद का हिस्सा करनाटिक में रखा हैदराबाद राज्य का आधा हिस्सा आन्ध्र में मिलाया और कुछ हिस्सा कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिलाया इस रिपोर्ट में बम्बई राज्य को बाई-लेंग्वल स्टेट रखने की सिफारिश है। लेकिन अभी जैसा कि बम्बई के बारे में निर्णय हुआ उसके अनुसार बंबई शहर को अलग ही रखा जाय। उसके अलावा विदर्भ नाम के नये राज्य की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश में भोपाल, मध्यभारत और राजस्थान का सिरोंज का हिस्सा मिला दिया गया। राजस्थान में अजमेर और आबू और लोहारू सब तहसील भी इसमें शामिल की है। पंजाब में पेप्सू और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर एक प्रांत बनाने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। उत्तर प्रदेश वैसाही रहा। बंगाल का हिस्सा वैसा का वैसा रहा। कुछ बिहार का हिस्सा उसमें मिलाया गया, उसी प्रकार आसाम में त्रिपुरा मिलाया गया। उड़ीसा में किसी प्रकार की बदली नहीं हुई। सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया में अन्डमान निकोबार और लंका द्वीप और मिनिकोय और अमीनी द्वीप इनको केन्द्रीय सरकार के अधीन रखा गया है। मि. चैयरमैन सर, मैं यह दुःख के साथ निवेदन करुंगा कि आज हमें इस बात का अफसोस है कि हमारी केंद्रीय सरकार की इनफोरमेशन और इन्टेलीजेन्स कितनी कमजोर है जब कि उनके पास इतने साधन हैं। जिस वक्त स्टेट्स रिओरगेनीजेशन कमीशन के यह सवाल विचाराधीन था, मार्शल टीटो युगोस्लावाकिया के प्रेसीडेन्ट, भारत में मौजूद थे उन्होंने देश में भ्रमण करके यह पता लगा लिया, इतने थोड़े समय में जो मेहमान यहां आये थे, उनको उनको यह भली भांति प्रतीत हो गया था, कि जितना आसान सवाल रिओरेगेनाइजेशन का भारत सरकार समझती है वास्तव में वह उतना आसान नहीं है। उनका यह ख्याल था कि अगर इस प्रकार स्टेटस का रिआ-रगेनाईजेशन किया गया तो भारत में उपद्रव होंगे। उनको केवल थोडे से अरसे में यह विदित हो गया। उन दिनों के जिन लोगों ने पत्र देखे हों वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं जिनमें मार्शल टीटो ने यह सुझाव रखा था कि भारत सरकार को इस काम में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने उस सवाल पर ध्यान नहीं दिया। यह ठीक है कि एक मेहमान कुछ दिनों के लिए बाहर से आये थे उन्होंने थोड़े दिन यहां पर घूम कर इस प्रकार का सुझाव दे दिया। बाद में जब आंखे खुलती है तो इनको पता चलता है कि यह तो सुझाव एक बाहर से आने वाले अतिथि ने दिया था। वह ठीक निकला। यह एक बिल्कुल फेक्ट है जिसे मैं सदन के सामने रखता हूं। मार्शल टीटो ने यह वार्निंग केन्द्रीय सरकार को दी थी। केन्द्रीय सरकार को उस वक्त गर्व था कि हमारे "हीरो वर्शिप" प्रधानमन्त्री पंडित नेहरु का नाम जादू कर लेगा "पर्सनलिटीकल्ट" का जो विरोध आज दुनियां भर में हो रहा है, खास तौर से रुस जैसे देश में जिसमें किसी समय पर्सनलिटीकल्ट का शासन था। यह हमारी

प्रक १९५६ (राजकीय संकल्प पर वाद-विवाद)

१९६५

रही थी कि हमारे यहां पन्डित जवाहरलाल नेहरु के नाम के जादू से ... लेंगे । मि० चैयरमैन सर, मैं आपसे निवेदन बम्बई के बारे में जो महा- ...थ अन्याय किया गया उसका फल बंबई को भुगताना पड़ा यदि कहीं भी अन्याय ...गा तो वही हाल होगा । यह सच बात है कि बम्बई के लिए हमारे प्रधान मंत्री कहते ... चारों तरफ से महाराष्ट्रियों से घिरा हुआ है महाराष्ट्र के अधिकांश महाराष्ट्रियन बंबई ... रहते हैं इतना होते हुए भी आज हमारी केन्द्रीय सरकार पर गुजरातियों का प्रभुत्व है। वहां पर गुजरातियों के पूंजीवाद का इतना जोर है कि वे जो चाहें कर सकते हैं दूसरों के मनों पर काबू कर सकते हैं और हमारी सरकार पर पैसे ने काबू कर रखा है । महाराष्ट्रियों के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला किस प्रकार से गुजरातियों के साथ निकाला गया जो उस समय बंबई का हाल हुआ वह मैं समझता हूं वस भारतवर्ष के लिए बहुत शर्म की बात थी । चाहें केन्द्रीय सरकार इस बात को माने या न माने, अगर आप बम्बई की विधान सभा की बहस को सुनेंगे सो आपको पता चला चलेगा कि बंबई के मुख्यमंत्री श्री मुरारजी देसाई ने कहाकि महाराष्ट्रियों ने जो अन्याय गुजरातियों के साथ अन्याय किया एक एक गुजराती को चुन चुन कर मारा । इस सम्बन्ध में मुझे जहां तक प्राइवेट इनफोरमेशन मिली है मेरे मित्रों की चिट्ठियो से मैं जहां तक जान पाया हूँ, और कुछ अखबारों में भी मुझे देखने को मिली वहां यह अन्याय इस हद तक पहुँचा कि सिर्फ मनुष्यों पर ही अत्याचार नहीं किये गये बल्कि गुजराती महिलाओं को मकानों से बाहर खींच खींच कर उनका सतीत्व भ्रष्ट कियागया और उनके साथ बलात्कार किया गया । कुछ मेरे मित्र जिन्होंने ऐसे कार्य को देखा उन्होंने मुझे पत्र लिखे हैं हालां कि उसके बाद में ये उपद्रव सरकार द्वारा दबा दिये गये । यह क्यों हुआ, यह इसलिये हुआ कि आप और किसी समाज या किसी वर्ग के प्रति कोई अन्याय करते हैं अगर न्याय की दृष्टि से आप फैसला नहीं करते हैं तो यह बात होगी ।

मैं महाराष्ट्रियों के लिये यह जरूर कहूंगा कि चाहे वे कांग्रेसी हों या अन्य पार्टी के उन्होंने हमेशा अपने देश को पार्टी से ऊंचा समझा । आज इसका नतीजा यह हुआ, कि कई कांग्रेसी झुण्ड के झुंड कांग्रेस छोड़कर बाहर आये । आज के जमाने में कांग्रेस को कौन छोड़ सकता है । जिसको सत्ताप्रिय हो, अधिकार चाहिये, जिसको नफा चाहिये, फायदा चाहिये, आर्थिक और राजनैतिक, वह कभी भी कांग्रेस को छोड़ने वाले नहीं । इस तरह की प्रवृत्ति वाले कांग्रेस की तरफ ही भागेंगे ऐसे व्यक्तियों के लिए कांग्रेस से निकलने की बात तो हो ही नहीं सकती । लेकिन फिर भी कांग्रेस के ऐसे सदस्य जिनको हम गांधीजी का दाहिना हाथ भी कह सकते हैं उनके विश्वास पात्र व्यक्ति के इशारे पर और उनके सहयोग से यह सब कांड बम्बई में हुआ । इसके लिये हमारे प्रधान मंत्री यह कह सकते हैं,जो कुछ भी बंबई में हुआ उस सब की जिम्मेदारी मैं बरदाश्त करने के लिए तैयार हूँ । उनको अपने ऊपर जिम्मेदारी बर्दाश्त करने क्या जोर पडता है,उनके खानदान को ती कोई क्षति नहीं पहुंची उनके नाम को कोई क्षति नहीं पहुँची । जिन गरीब गरीब महिलाओं की इज्जत आबरु लूटी गई जिनका

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

सतीत्व नष्ट किया गया, हजारों की तादाद में आदमी मारे गये, जहां एक एक दिन में सौ सौ फायर किये गये, उसमें वहां की जनता को नुकसान हुआ, हमारे प्रधान मन्त्री और केन्द्रीय सरकार को कोई हानि नहीं हुई। अब कुछ अरसे तक शांति अवश्य हो गई लेकिन इन बातों को अब भी हमारी सरकार छोटी बातें समझ रही है। मैं इसके लिये यह निवेदन कर सकता हूं कि यह बेअक्ल और बे-समझी और बगैर सोचे समझे अगर कोई कदम आगे बढ़ायेंगे तो पीछे आराम से पछताना पड़ेगा।

इसी प्रकार अब भी हमारे बम्बई सरकार के साथी यह कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र के साथ बम्बई रहा तो उसकी उन्नति नहीं हो सकती। बम्बई नेशनल सिटी है इस लिए इसे महाराष्ट्र के साथ रखना देश के हित में नहीं रहेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के हाथों में जब बम्बई रहा तो उसका अहित नहीं हुआ, तो अब केवल महाराष्ट्र के हाथों में चले जाने से कैसे अहित होगा, यह मैं नहीं समझ पाया। बम्बई चाहे केन्द्रीय सरकार के आधीन रहे, चाहे द्विभाषी राज्य रहे, पहले जो दलील है कि महाराष्ट्र के साथ रहने से उसका अहित होगा यह जो दलील है इसे कोई भी समझदार व्यक्ति कभी नहीं मानेगा यह मेरी धारणा है।

जिस प्रकार बम्बई एक नेशनल सिटी है उसी प्रकार कलकत्ता भी तो एक नेशनल सिटी है वह किसी हालत में बम्बई से कम नहीं है। वहां पर बंगालियों से मुकाबला करने की हिम्मत हमारी सरकार में नहीं। महाराष्ट्रीय ज्यादा तर कांग्रेस में होने से इतनी नौबत नहीं आई आज यदि केंद्रीय सरकार को यह मंजूर हो कि कलकत्ता भी नेशनल सिटी होगा तो बम्बई को भी नेशनल सिटी घोषित करने में किसी को आपत्ति नहीं होने वाली है, लेकिन जहां कलकत्ते पर आप बंगालियों का प्रभुत्व स्वीकार करते हैं, तो फिर बम्बई पर महाराष्ट्रियों का प्रभुत्व स्वीकार करने में आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिये ? जब कलकत्ता बंगालियों के साथ रह सकता है बम्बई भी महाराष्ट्र वालों के साथ रह सकता है। तो इस तरह ही अन्याय किया जाता रहेगा तो देश का हितनहीं होगा। मेरी यह धारणा है कि यह जो निर्णय हुआ है कांग्रेस पार्टी के हित के लिहाज से हुआ है, न कि देशके हित लिहाज से। मैं यहां तक निवेदन करूं कि जो प्रधान मन्त्री पं० नेहरू ने हीरो वर्शिप का रूप धारण कर दिया उनको भी यहां तक बम्बई में नौबत आगई कि उनकी ब्रिटिश फ़ूजर को देखने के लिए जब बम्बई जाना पड़ा तो इतना चुपके से जाना पडा कि सिवाय सिक्यो-रिटी पुलिस के वहां के गवर्नर और मुख्य मन्त्री तक को भी पता नहीं लगने दिया गया, अगर उनको पता भी होगा तो ऐसे आदेश थे कि उनकी उपस्थिति बम्बई में छिपाई जाय। वापिस वे जब दिल्ली पहुँचे तब अखबारों में निकला कि प्रधान मंत्री बम्बई होकर आये है। तो जो हीरोवर्शिप की स्थिति में पहुँच गये है उनको यह स्थिति है। मैं तो नहीं समझ सकता कि देश में कौन सुरक्षित रह सकता है, अगर इस प्रकार के बे समझे कदम हम उठावेंगे तो।

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

अब बम्बई का तो यह हाल रहा। इस समस्या का हल तभी संभव है जब कि न्याय और देश हित का ध्येय हमारे संमुख रहे। अब श्री शंकर राव देव ने और उनके साथियों ने जो बंबई को महाराष्ट्र में मिलाने का आंदोलन किया तो उससे हाई कमांड नाराज हुआ। पर अब बंबई का यह हाल देख कर फिर उन्हीं के पास बुलावा जा रहा है, और उनसे ही बातें की जा रही हैं। और यह भी असम्भव नहीं अगर वह निर्णय भी बदल जाय। अगर महाराष्ट्रियों में हिम्मत रही, जैसी की अब तक रही है तो निर्णय उनके हक में होकर रहेगा।

बम्बई यह का हाल देख कर हमारी सरकार को पंजाब के लिये फैसला देना मुश्किल हो गया। वैसे तो डिसीजन देने में सरकार बहुत तत्पर रहती है, किसी का डर उनको नहीं रहता, फौरन फैसला देते हैं। पर बम्बई में हजारों बेगुनाहों का होम हुआ उसको देखकर उनके भी पैर कांप गये। पंजाब में भी कोई ऐसा ही फैसला करने में सरकार डर गई। सिक्ख एक बहुत बहादुर कौम है उससे टक्कर लेना आसान बात नहीं थी। उनको खुश करने की कोशिश की गई। तो उधर कभी श्री भीमसेन सच्चर केन्द्रीय सरकार के पूर्ण मर्जी में थे। जिनको कई गोटाले होते हुए भी अपने पद पर रखा गया अब कहा गया कि आप सिक्खों को खुश करने के लिये अपना स्थान रिक्त करो और सरदार कैरो को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया जिनके साथ वर्षों से झगड़ा चल रहा था। उनको गद्दी पर बिठाया गया। इधर हमारी लोक सभा में सरदार हुकुमसिंह, कि जो सरकार से हर बात पर लड़ते रहे, और जो कोई हमदर्दी सरकार के प्रति नहीं रखते थे, उनको डिप्टी स्पीकर बना दिया गया। यह सब अकालियों को खुश करने के लिए किया गया क्योंकि वह बहादुर कौम है, और बम्बई की तरह से कोई फैसला मानने के लिए उनके लिए कतई असंभव था। उनसे टक्कर लेना आसान काम नहीं था। अब हिन्दू तो गरीब ही रहे। उनको तो चारों तरफ से बांध कर रख दिया। सबसे कमजोर जाति हिन्दू की रह गई, महाराष्ट्रियों को निकालने बाद।

श्री वेदपाल त्यागी—महाराष्ट्रियन भी हिन्दू ही हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जो हिन्दुओं में महाराष्ट्रियन हैं उनको निकाल कर बाकी जो हिन्दू रह गये हैं वे गरीब रह गये। उधर महा पंजाब के लिए जनसंघ वालों ने या दूसरों ने शोर करना शुरु किया। मास्टर तारासिंह, जिनसे एक दिन सरकार के ये नेता लोग बात करने तक को तैयार नहीं थे, उनको भी बुलावे पर बुलावे जाने लगे बात करने के लिये। और बातें शुरु हुई। दावतें देना भी शुरु हुआ। उनको खुश करना शुरु हुआ, और उन्होंने यह एक नया तरीका महज सिक्खों को खुश करने के लिए और उनके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं होने के कारण निकाला और रीजनल कमेटी नियुक्त की गई।

मि. चेयरमैन सर, मैं निवेदन करूंगा कि एक दिन इन कामों के कारण भारत को आराम से बैठकर रोना पड़ेगा और देश को बड़ी भारी हानि पहुँचेगी। मैं यह वार्निंग देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो आज डर कर सिक्खों के सामने घुटने टेक दिये हैं और उनके सामने कम्पलीटली सरेंडर कर दिया

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

है, उसके लिये हमें पछताना पड़ेगा आगे जाकर, और इससे देश की बहुत बड़ी हानि होने वाली है। और वह यह है कि जिन जिन रीजन्स में पंजाब के अन्दर सिक्खों की मेजोरिटी है और हिन्दू थोड़े हैं और दूसरे स्थानों में जहां कि हिन्दुओं का बहुत ज्यादा बहुमत है और सिक्ख थोड़े हैं वहां मेरा सेन्ट परसेंट विश्वास है कि जो सिक्खों की मेजोरिटी का एरिया है, वहां पर एक भी हिन्दू रह नहीं सकेगा और पन्द्रह वर्षों के बाद अगर मैं जिंदा रहा तो इस बात के सुबूत में सलाम करने को तैयार हूं। और इसी प्रकार जिन एरियों में हिन्दुओं का बहुमत है, और बलात्कार और चिनगारी एक तरफ से शुरू हुई कि फिर वहां भी कोई सिक्ख नहीं रह सकेगा, और रहेगा तो इज्जत की जिंदगी नहीं बसर कर सकेगा, और जहां रीजनल कमेटियां शुरु हुईं, और जिनमें उनको वहां के लिए पूर्ण अधिकार दे दिया जावेगा वहां पर भी सिक्खों का यही हाल होगा, और हिन्दुओं का उन इलाकों में यही हाल होगा, और यह राजनैतिक बुद्धिमत्ता है कि अभी जो दिया जावे वह मन्जूर कर लिया जावे। इस दृष्टि से वहां के सिक्ख और हिन्दू दोनों इस चीज को मंजूर कर लेंगे। फिर उस पर काबू करके पीछे अपना दबाव और बढ़ावें, और जहां पर सरकार की तरफ से कमजोरी देखेंगे वहां सरकार पर सवार हो जावेंगे, और मैं यह दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की दुर्घटना न हो, पर आज के सरकार के इन कारनामों से लगता ऐसा ही है कि आगामी दस पन्द्रह सालों में हमारा यही हाल होगा कि जो हालत पाकिस्तान के अलग होने के वक्त में सन् ४७ में हमारी हुई थी।

जो रीजनल कमेटियां होंगी उनको एजूकेशन, मेडिकल कोआपरेटिव आदि के लिये पूर्ण अधिकार होंगे, और एक माइनोरिटी जो है वह परम्परा के माफिक उन्नति करे यह अधिकार उसको होगा, पर इसमें एक विष का बीज बोया हुआ है। जिसका वृक्ष बन कर जब सामने आवेगा, और उसके दुष्परिणाम रुपी फल जब हमारे सामने आवेंगे, तो उन फलों को खाना तो दूर रहा, उसकी छाया में बैठने से भी जहर फैल जायगा, ऐसी मेरी धारणा है।

अब सवाल बिहार का और बंगाल का। मैं सिर्फ उन्हीं मुद्दों का जिक्र करूंगा कि जिनमें बगैर सोचे समझे केन्द्र द्वारा जो कदम उठाये गये उसका क्या परिणाम हुआ? उस झगड़े में बिहार और बंगाल के सिर्फ आधे डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से का झगड़ा था। अगर हमारी सरकार कुछ भी अक्लबन्दी से काम करती, वहां पर भी कांग्रेस सरकार है और वैस्ट बंगाल में भी कांग्रेस सरकार है, दोनों जगह कांग्रेस सरकारें हैं तो अगर वहां थोडी सी भी अक्लबंदी से काम करती तो इतना झगडा नहीं होता। क्यों नहीं उन्होंने ऐसा सीधा आदेश दे दिया, कि ऐसा करो तुम दोनों कांग्रेसी सरकारें हो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कांग्रेस से निकाल दिये जाओगे।

फौरन मामला तय हो सकता था, लेकिन ऐसा करने में कुछ जोर आता है। अब वहां पर घनश्याम (घमासान) युद्ध होने लगा। अब क्या हुआ कि बंगाल और बिहार को शामिल कर दिया जाय, और उस वक्त जोश में आकर हमारे मुख्य मंत्री, बंगाल ने और मुख्य मंत्री, बिहार ने

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

कांग्रेस हाई कमान्ड के आदेश से या स्वतः, मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस हाई कमान्ड के सुझाव से घोषणा एक ओर से एकाएक रेडियो पर कर दी, कि हम तो दोनों शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई देश भर में। यह तो देशभक्ति का नया नमूना कांग्रेस में देखा गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि जो पार्टी का हित था, वह सर्वोपरि रखा गया है। आप चाहे उसे कुछ भी कहें, लेकिन मेरी यह धारणा है। तो वह समस्या देश के सामने आई। उन्होंने वेस्ट बंगाल और बिहार को मिलाने का जो देश भक्ति का कदम आगे उठाया तो यह कहना बहुत आसान है लेकिन क्या यह संभव हो सकता है, यह मेरी पूरी धारणा है कि बंगाल और बिहार एक हो गया तो बंगाली बहुत चतुर हैं, वह अपने जितने रिफ्यूजीज जो कि ईस्ट पाकिस्तान से बंगाल के अंदर आ रहे हैं, उनको धीरे धीरे आगे बढ़ायेंगे, और अपनी मेजोरिटी स्थापित कर लेंगे, और जैसा कि मेरे मित्र माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि लोहारू हाथ से निकल गया, क्योंकि लोहारू के नागरिक राजस्थान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उसी तरह बंगाली करेंगे। थोड़े दिनों के बाद में बंगाली कहेंगे, कि हमारा एरिया बिहार में नहीं रहना चाहिए, और अगर रहेगा तो वे डंडे से मारेंगे। तो जो बात जोश में उस वक्त की गई थी, मि० चेयरमेन, सर, जो एनाउन्समेंट रेडियो पर बिहार के मुख्य मंत्री और बंगाल के मुख्य मंत्री ने किया था, भाषण दिया था, तो वह जोश आज देश में नहीं रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह जोश देश में नहीं रहा है, बल्कि देश व बिहारी भी जानता है कि बंगाली कितनी चतुर जाति होती है, और अगर इनके फंदे में फंस गये तो लेने के देने पड़ जायेंगे और कभी वह दिन भी आ सकता है, कि बिहार का बहुत कुछ हिस्सा बंगालियों के हाथ में जा सकता है, क्योंकि वे रिसोर्सफुल हैं और साधन रखने वाली जाति हैं और उनके पास हर प्रकार का बल है। मेरी यही धारणा है कि जहां तक मैं सोच सका हूं बंगालीज कभी अपनी बंगालियत को, अपनी स्पेशिलिटी, को नहीं खोने देंगे। वह जरूर अपने को अलग रखना पसन्द करेंगे। क्योंकि वह देश की सेवा बंगाली के रूप में रह कर ही कर सकता है। दूसरी जाति के साथ मिलकर नहीं कर सकते हैं। वह देश का हित चाहने वाले हैं, लेकिन वे कुछ तत्वों के साथ मिलकर देश का हित नहीं कर सकते हैं। वे अलग अपना अस्तित्व रखकर देश का हित कर सकते हैं। इसलिए बंगाल और बिहार का एकीकरण जो है वह एक स्वप्नमात्र सा दिखाई देता है। यदि वह स्वप्न सफलीभूत हो गया तो एक दिन हमारे देश और हमारी सरकार को पछताना पड़ेगा। यह भी एक ताज्जुब की बात है, कि यह बिल जो स्टेटस् रिआरगेनाइजेशन का वितरित किया गया है, भेजा गया है, इसमें इसके मुताल्लिक कोई बात नहीं है। वे कर भी नहीं सकते हैं। सरकार को बहुत कुछ इस बात को देखना है कि कहां तक वह स्वप्न सफलीभूत हो सकता है? बंगाल और बिहार के मर्जर का सवाल देश के सामने आया, तो मैं तो यही कहूँगा कि जोश में आकर हमारे प्रधान मंत्री ने एक घोषणा करदी कि रीजनल कौन्सिल देश में बड़ी २ ५ होनी चाहिऐं। जैसे कि बिहार और बंगाल दोनों प्रान्त एक हो जांय तो इतनी रियासतों की जरूरत क्या है? चार या पांच बड़े २ राज्य हों यानि जोन्स हों और जोनल कौन्सिल हों। तो जो उनके मुंह से एक ऐसी ही बात निकल गई और हीरो वर्शिप के कारण महज उनके मुख से बात निकली है उसको रूप दे दिया और जोनल कौन्सिल भी देश के सामने एक रूप में आ गई। मैंने इस बिल

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

को देखने की बहुत कुछ कोशिश की, मि० चेयरमेन सर, जितना ज्यादा देखने की कोशिश की उतना ही मुझे ताज्जुब हुआ कि आखिरकार ये जोनल कौन्सिल, जिनके लिए इतना जोर दिया जा रहा है, जिनके लिए देश में हाहाकार मचा हुआ है, रिवोल्यूशन हो गया है, इसके बाद में देश बड़ा सुन्दर बन गया है, देश में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही, मैं हिम्मत करूंगा, मि० चेयरमेन सर, यदि मैं यह निवेदन करूं, कि इतना बड़ा फार्स, अगर मैं अंग्रेजी का 'फार्स' शब्द इस्तेमाल करूं, इतनी फिजूल की चीज, मेरे देखने में और कहीं नहीं आई है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि "Mountain went to labour and brought forth a mouse." पहाड़ को पीड़ा चली और ऐसा मालूम हुआ कि उसके बच्चा पैदा होगा, और पहाड़ का बच्चा पहाड़ जितना ही बड़ा होना चाहिए, सब लोगों को ऐसी ही आशा थी, लेकिन आखिरकार जब कि पीड़ा खत्म होकर प्रसूति का मौका आया, बच्चा पैदा हुआ तो ऊंदरा (चूहा) निकला। तो जोनलकौन्सिल्स जिनके लिए इतना जोर दिया गया है, इनके फन्क्शन्स रीजनल कौन्सिल्स के पेज २५ पर दिये हुए हैं, कि मुझे खेद है कि रीजनल कौन्सिल नहीं, जोनल कौन्सिल, रीजिनल कौन्सिल, आई एम सारी, वे ज़ोन्स हैं, जो जोनल कौन्सिल्स हैं, रीजिनल कमेटीज तो दोनों ही राज्यों के लिए हैं, पंजाब के लिए और आन्ध्र और तेलंगाना के लिए। तेलंगाना और आन्ध्र में क्या होगा इसके कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंजाब की रीजिनल कमेटी के लिए जो लागू होता है। वह आन्ध्र और तेलंगाना के लिए लागू होता है। वही हाल वहां होगा। अब आन्ध्र तेलंगाना के नाम के लिए भी समस्या उठ रही है कि नये राज्य का नाम क्या रक्खा जाय ? मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको कहता हूँ कि फुलेरा के पास हम देखा करते थे कि आसलपुर का एक स्टेशन था लेकिन श्री हीरालालजी शास्त्री जब राजस्थान के मुख्य मंत्री बने तो वे आसलपुर के पास जोबनेर एक गांव है वहां के रहने वाले थे, तो उन्होंने अपने गांव के प्रेम के कारण उसका नाम जोबनेर रखवा दिया। जब वे मुख्य मंत्री के पद से हटे, तो आसलपुर वालों ने जब आन्दोलन किया तो सरकार ने दोनों को खुश रखने के लिए उसका नाम जोबनेर–आसलपुर रख दिया। यह कोई मजाक है ? क्या तमाशा है ? पहले आसलपुर था, उसके बाद जोबनेर हुआ, और बाद में हुआ जोबनेर और आसलपुर। यही हाल आन्ध्र और तेलंगाना का हुआ। आन्ध्र वाले कहते हैं कि हमारे देश का नाम आंध्र होना चाहिए और हैदराबाद का हिस्सा काटकर तेलंगाना को मिला कर दोनों को खुश करने के लिए आंध्र तेलंगाना उसका नाम होगा। दोनों के बीच में इस नाम के लिए कशमकश चल रही है। सरकार की नीति क्या है ? कितनी दूषित नीति है ? वह किसी सिद्धान्त पर आश्रित नहीं है। इस बात का ताज्जुब है कि इस सरकार के सामने कोई राइवल पार्टी का वैसा आरगेनाइजेशन नहीं है। अगर राइवलरी में उनके बराबर की दूसरी पार्टी होती तो हम नहीं समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होता। मगर राइवल पार्टीज के नहीं होते हुये भी उनका यह हाल है। पावर उनके हाथ में है। सामना होता ही है। थोड़ा बहुत, तो वे धूजने लग जाते हैं।

मैं जोनल कौन्सिल का जिक्र कर रहा था इतना बड़ा फार्स नहीं हो सकता कि पहाड़ को प्रसूति की पीड़ा चली और पैदा हुआ चूहा, होनेवाला बड़ा बच्चा था। धूम धाम के साथ में जोनल कौन्सिल होने लगी। जिससे मालूम हुआ कि प्रान्तों की समस्याएं सब हल हो सकेंगी। आखिर में

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

हुआ क्या ? आखिर में यह हुआ कि जो हो रहा है। जोनल कौन्सिल्स में कौन बैठेगा ? बैठने वालों में एक तो केन्द्रिय सरकार के मंत्री, जिनको प्रेसिडेन्ट नामजद करेगा। वह चेयरमेन हो जायगा, और जोन में जितने राज्य होंगे उनके मुख्य मंत्री उसके हो जायेंगे। सदस्य और दो मंत्री हर राज्य में ऐसे होंगे कि जिनको गवर्नर नामजद कर देगा। यह हुई हमारी ये जोनल कौंसिल्स। चेयरमेन सर, यह निवेदन करूंगा कि पड़ोसी राज्यों में आज भी किसी बात पर विचार विमर्श करना हो, जैसे भाखरा नांगल है। मैं समझता हूँ कि वह ज्यादा कार्य कर सकते हैं, उसमें एक्सपर्ट ऑफिसर्स शामिल होते हैं, और आपस के झगड़े तय कौन करता है ? वह केन्द्र करता है, और एडवाइजरी बोडी के रूप में वह तो सलाह देगी, और एक मुख्य मंत्री. और दो मंत्री हर राज्य के उसमें होंगे, और केन्द्रीय सरकार का एक मंत्री होगा जो उसका चेयर मेन होगा, वैसे ही केन्द्र की सरकार है, वैसे सलाह मिल सकती है, कागजों से कोई भी झगड़े को तय कर सकते हैं, बैठ कर विचार विमर्श कर और एडवाइस केन्द्रीय सरकार को दे और निर्णय केन्द्रीय सरकार का। कम से कम इसका खर्चा, इसके स्टाफ और सेक्रेटेरियेट का खर्चा हमारे राजस्व पर नहीं डाला गया। केन्द्रीय सरकार पर ही पड़ा है। केन्द्रीय सरकार का फोकट का खर्चा है, बिये जाओ हमारे राजस्तान होता तो कहता। केन्द्रीय सरकार से आये हुये पैसे का, आज हम भी देख रहे हैं किस बेरहमी से और किस निर्दयता से और किन २ चीजों पर खर्च किया जाता है वह आज माननीय सदस्यों से छिपी हुई चीज नहीं है। यह प्रिन्टिग मशीनरी है,छापे जाओ और रुपया निकाले जाओ, कोई मुश्किल की बात नहीं। जोनल कौंसिल के सदस्यों के लिए निवेदन किया कि उसमें पब्लिक का प्रतिनिधित्व है, सिवाय इसके कि मंत्रियों के, बाकी चीफ सेक्रेटरी और डेवलपमेंट सेक्रेटरी तो उसके एसोशियेटेड मेम्बर्स होंगे, वे वोट नहीं दे सकेंगे। यह रूप होगा जोनल कौंसिल का, जिसके कोई माने नहीं, सिवाय इसके कि आई वाश जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। यह आई वाश है। इससे कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है, और देश का इससे हित होने वाला नहीं है, यह मेरी पूरी धारणा है। यह मैंने जोनल कौंसिल के कम्पोजीशन का निवेदन कर दिया, कि किस प्रकार का कम्पोजीशन है और किस प्रकार की मीटिंग होगी और कमेटीज नियुक्त करने के उनके पास पावर्स होंगे और जो स्टाफ का खर्चा है वह केन्द्रीय सरकार करेगी। अब मैं फन्कशन्स पर निवेदन करूंगा कि आखिर कार इस जोनल कौंसिल के फन्कशन क्या हैं ? एक ताज्जुब की बात है। पैरा २१ पेज २७ पर इस जोनल कौंसिल के फन्कशन्स दिये हुए हैं और वे ऐसे फन्कशन्स हैं कि जो खतोखितावत से तय किये जा सकते हैं और ज्यादा आसानी से किये जा सकते हैं, सामने बैठ कर जो झगड़े होंगे उनका फैसला होगा और जब ये चीजें नहीं मानी जावेंगी तो उसका निर्णय अन्त में सेन्ट्रल गवर्नमेंट करेगी। जैसा मैंने निवेदन किया मैं सदन का समय न लेकर, सिर्फ पैरा २१ पेज २७ पर एस.आर.सी. में जो इसके फन्कशन्स है उस पर यह निवेदन करूं कि ये फन्कशन्स कम्पलीटली आई वाश हैं, किसी काम के नहीं हैं और इनसे कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के।

अब सवाल यह रहा कि अपने भाषण में मुख्य मंत्री जी ने यह फरमाया कि राजस्थान में कई विचार चल रहे हैं हालांकि इस बिल में यह लिखा गया है कि उत्तरी जोन में राजस्थान है। लेकिन मालूम नहीं किस आधार पर आपने फरमाया ? प्राइवेट व्यक्ति या ऑर्गेनिजेशन और

[कु'० श्री जसवन्तसिंह]

संस्थाओं ने लिखित रूप में या जबानी अर्ज किया या और सोर्सेज है आपकी जानकारी में आया कि राजस्थान में कई धारणायें चल रही हैं, वेस्टर्न जोन में जाने की या सेन्ट्रल जोन में जाने की, नोदर्न जोन का ही सवाल उठता है। मेरे विचार में यदि जोनल कौंसिल स्थापित हो, मैं तो कहता हूं कि ये फिजूल है, किसी काम की नहीं हैं फिर भी हीरो वरशिप के रुप से पं० नेहरू के मुंह से निकल गया है, इसको बिल में स्थान देना, है तो मेरी एसी धारणा है कि उत्तरी जोन के साथ ही राजस्थान का रहना अच्छा है, हित कर है राजस्थान के लिए। हमारी जितनी प्रोबलम्स है बोर्डर की, केनाल्स है, इरीगेशन की हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी की, भाखरा नागल इतनी बड़ी स्कीम है, जिनके साथ परामर्श करना पंजाब से अधिक तर रहेगा, इन सब को देखते हुए जो जो नल कौंसिल स्थापित हुई तो मेरी मान्यता में उत्तरी जोन मे ही रहना राजस्थान के लिए हितकर होगा। और दूसरा चम्बल की वजह से सेन्ट्रल जोन है, उसका दूसरा नम्बर हो सकता है, वेस्टर्न जोन गुजरात और महाराष्ट्र राजस्थान के लिए कोई सम्ब धित प्रतीत नहीं होता।

मि० चैयरमेन सर, अभी अभी इस बिल में कुछ लेजिस्लेटिव कौंसिलस कुछ राज्यों में निर्माण करने की तजवीज है। एक पंजाब में एक उत्तर प्रदेश में एक बिहार में हैं और अब जो तजवीज की गई है कि मध्य प्रदेश का नया राज्य जो स्थापित किया जाने वाला हैं उनमें भी लेजिस्लेटिव कौंसिल हो। मैं नहीं समझ सका कि ये लेजिस्लेटिव कौंसिल जहां लेजिस्लेटिव असेम्बलीज हैं, विधान सभायें हैं वहां वे क्या कार्य कर सकती हैं और क्या कार्य करेंगीं, लेकिन सिर्फ स्थानीय भावनाओं के लिए इनको रखा जाय तो मैं नहीं समझता कि ये उपयोगी होंगी। अगर इनसे वाकई फायदा है तो मैं नहीं समझता कि राजस्थान सरकार राजस्थान में लेजिस्लेटिव कौंसिल स्थापित करने की कोशिश क्यों नहीं करती ? जहां तक मैं समझ सकता हूँ जोनल कौंसिल की पोलिसी फिजूल है, किसी काम की नहीं है और उससे कहीं लेजिस्लेटिव कौंसिल ज्यादा काम की हो सकती है जिससे हेस्टी एक्शन्स, जल्दी बाजी में इस सदन में निर्णय लेते हैं और जिनकी हाईकोर्ट में जाकर शुद्धि करनी पड़ती है और फिर दुबारा संशोधन लाकर पास कराना पड़ता है, तो हेस्ट में किये गये एक्शन्स, जो काम जल्द बाजी में किये जाते हैं उनके लिये लेजिस्लेटिव कौंसिल काम करती है लेकिन उनका कुछ राज्यों में स्थापित होना और कुछ में नहीं होना मेरी समझ में नहीं आया। आधे से ज्यादा राज्यों में हो तो सब ही राज्यों में होना चाहिये। अगर कुछ राज्यों में न हो तो किसी भी राज्य में फिर लेजिस्लेटिव कौंसिल न हो। लेजिस्लेटिव कौंसिल के लिए ये हीं बातें मुझे कहनी हैं।

मि० चैयरमेन सर, ये जनरल बातें मैंने स्टेटस रिओर्गेनिजेशन के संबंध में देश भर के लिए, कहां कहां और किस प्रकार इसका असर पड़ेगा यह निवेदन की और भी प्रांतों में हकतल्फी हुई और जिसका जो हक है वह नहीं दिया जा सकता तो हलचल मचेगी उसमें देश का हित नही हैं। इस प्रांत में रहने वाले नागरिक हैं उनका हित है, देश का हित है और अगर उनके हित को दृष्टिकोण में नहीं रखा जायगा तो देश का अहित उसी हद तक होगा। उड़ीसा की मांग थी कि बिहार से उसको कुछ हिस्सा मिले। उडीसा को कुछ नहीं दिया गया क्यों कि दूसरे लोगों की ताकत

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

ज्यादा थी। हमारे राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार और संस्था का हाल है वही हाल उडीसा का है। यहां तक कि जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं वे अलग पार्टी रखते हैं और मौजूदा मुख्य मंत्री अलग पार्टी रखते हैं और दोनों में संघर्ष होता है और उसकी वजह से इतना बड़ा हत्याकांड वहां पर हुआ जैसी नीति केन्द्र की सरकार दिखा रही है उसके अनुसार यदि उडीसा वाले भी कुछ दबाव डाल सकते तो उनको भी कुछ मिल जाता। जिसका दबाव केन्द्र की सरकार पर ज्यादा पड़ता है उसका कुछ काम बन ही जाता है।

मेसूर जिसका नाम कर्नाटक रखने के लिए जोर दिया लेकिन मैसूर वालों ने बिल्कुल इन्कार कर दिया कि हम नाम नहीं बदलेंगे और सरकार को मानना पड़ा। इस प्रकार जनरल बातें कह कर अब में राजस्थान के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

हमें इस बात की जरूर खुशी है कि राजस्थान का नुकशान नहीं हुआ सिवाय इसके कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ५, ६ महीनों में हमसे बिदाई लेंगे। वे मेरे पुराने मित्र हैं, उनकी बिदाई से हमको अफसोस होगा। इसके सिवाय राजस्थान को नुकशान नहीं होगा। कुछ अधिक ही मिलेगा।

डाक्टर श्री मंगलसिंह—आपको भी बिदाई देनी पड़ेगी इससे पहले।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपकी महरबानी है। आपको में पसंद नहीं हूँ इसलिये बिदाइ देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपको बोलने का एक मौका और मिल रहा है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसलिये तो चाहे जो कह रहे हैं। अब मैं राजस्थान के लिए निवेदन करना चाहूंगा मिस्टर चेयरमेन, सर, सबसे पहले मैं आबू के बारे में कहना चहूँगा। यह प्रसन्नता है कि अब आबू राजस्थान में मिल रहा है। आज से ७-८ वर्ष पहले जनमत के विरुद्ध, उधर मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि जनमत यह मांग करता है कि यह काम करो वह काम करो, लेकिन जनमत के विरुद्ध आबू को बम्बई में शामिल किया गया था और स्वतन्त्रता मिलने बाद कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी एजीटेशन, आन्दोलन में विश्वास नहीं करती थी और जो लोग आन्दोलन करते थे उनको समझते थे कि ये लोग रीएक्शनरी हैं। क्यों कि इनके पास अब सत्ता है इसलिये ऐसा समझते थे लेकिन जब आबू बम्बई को दिया गया तो कम से कम हमारे सदन के एक मेम्बर जो जोधपुर से आये हैं वे उस आन्दोलन कमेटी के अध्यक्ष भी बने लेकिन वह आंदोलन कहां तक चला। सन् ४८ में जब आबू बाम्बे को दिया था उस समय मुरारजी देसाई बाम्बे के होम मिनिस्टर थे। वे एक बार आबू में आये थे। मैं भी इत्तफाक से आबू में मौजूद था। मुझे यह बात सुनकर दुःख हुआ कि इतने बड़े प्रांत का मंत्री इतने छोटे ख्याल रखता है। वहां पर

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

पब्लिक मीटिंग में आबू निवासियों को उन्होंने बहुत धमकाया और बुरा भला कहा और कहा कि स्वप्न आयेगा राजस्थान में मिलने के लिए तुमको मार मार कर सीधा किया जायगा, इस तरह की बात है। खुशी इस बात की है कि जो मुरारजी देसाई इन वर्षों में बम्बई के डिक्टेटर समझे जाते हैं और शायद आगे चलकर भारत में बड़ा स्थान ग्रहण करलें, उनका स्वप्ना टूट गया और हमारा आबू जो राजस्थान का हिस्सा था और हिस्सा है, आज से ही नहीं ऐतिहासिक काल से वह राजस्थान में वापिस आया। आबू के लोगों पर बम्बे की कांग्रेस सरकार ने कई तरह के अत्याचार किये, लोगों को कारागार में रहना पड़ा, राजस्थान के कांग्रेस नेताओं का क्या हाल किया जिसमें भट्टजी जैसे कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता भी थे। यह दुःख का विषय राजस्थान के लिये बन जाता लेकिन दिन को भूला हुआ आदमी शाम को घर लौट आता है तो वह खोया हुआ नहीं समझा जाता, वही आबू के लिये माना जा सकता है। तो जो आबू के लिये बरताव हुआ केन्द्र की सरकार की ओर से और एस. आर. सी. की ओर से जो न्याय संगत बात हुई उसके लिये हमें खुशी है।

अब दूसरा सवाल रहा सब तहसील लुहारू का। उसके लिये भी हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि हमें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जनमत के आधार। पर इसको पंजाब में रखा गया है। मैं नम्रता के साथ उनसे इत्तफाक नहीं करूंगा कि जनमत के आधार पर लोहारू को पंजाब में रखा गया है। उधर सिक्खों को खुश करने के लिये उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं और इधर कुछ हिन्दू थे जिनके साथ कुछ रियायतें नहीं की गई थीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिये इतना जोर दिया गया था, एस. आर. सी. कमेटी ने भी इसके लिये जोर दिया था कि इसको पंजाब में रखा जाय लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश को मिलाने से हिन्दुओं की तादाद ज्यादा होने से सिक्खों में मतभेद होता था इसलिये उसको पंजाब के साथ नहीं मिलाया गया। लेकिन महा पंजाब का आन्दोलन करने वाले लोगों को खुश करने के लिये थोड़ा टुकड़ा डाला गया है इसलिये लुहारू सब तहसील पंजाब में मिलाने की तजवीज की गई है, लेकिन यह कहना है कि जनमत के आधार पर लुहारू सब तहसील को महा पंजाब में मिलाया गया है कतई ठीक नहीं है। महा पंजाब वालों को लालच देने के लिये और यह कहने के लिये कि हमने तुम्हारा मान रखा है इसलिये इसे पंजाब में मिलाया गया है, यदि देखा जाय तो लोहारू का राजस्थान से अटूट सम्बन्ध है। ऐसा हुआ है कि जब स्टेटस का इन्टीग्रेशन हुआ था तब वहां के जनमत के आधार पर वहां के नवाब की मरजी से यही लुहारू बीकानेर के साथ सम्मिलित हुआ था और करीब करीब एक साल तक सम्मिलित रहा, जनमत के आधार पर और वहां के नवाब की मरजी से ऐसा हुआ लेकिन बाद में धींगा धींगी से उसे बीकानेर से अलग करके पंजाब के साथ मिलाया। तो यह कहना है कि जनमत के आधार पर हमने वापिस दिया है, यह मानने को मैं तैयार नहीं हूं और यह राजस्थान सरकार पर राजनैतिक कारणों से, सरकार पर और यहां की जनता के साथ अन्याय किया गया है केन्द्र की सरकार द्वारा।

अब मैं अजमेर के लिये कुछ निवेदन करना चाहता हूं मिस्टर चेयरमेन, सर, और मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा क्यों कि मुख्य मन्त्रीजी ने फरमाया है कि जहां तक संभव हो आज ही इस बहस को समाप्त किया जाय और मैं एक घंटे तक बोल भी चुका हूं इसलिये

Page No 60

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

जल्दी ही खत्म करूंगा, अजमेर पर कुछ कह कर । मिस्टर चेयरमेन, सर, यह खुशी की बात है कि अजमेर जो राजस्थान का दिल है, चारों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है, वहां का इतिहास और जितने पहलू हैं वे सब इस बात के द्योतक हैं कि अजमेर राजस्थान का हिस्सा है और राजस्थान में ही मिलाया जाना चाहिये ।

इसके लिये तो हमें खुशी जरूरी है । लेकिन मुझे एक बात का अत्यन्त दुख है और यह कहते हुए मुझे दुख नहीं होगा तो अजमेरियों के साथ सहानुभूति जरूर होगी और वह सहानुभूति इस लिये है कि ये इसी तरह के ऊंचे ऊंचे पहाड़ जब एकीकरण हो रहा था तो राजस्थान की बड़ी बडी रियासतों को भी दिखाये गये थे कि तुम्हारी बहबूदी होगी और अभी जहां राजधानियां हैं वहां दुगुनी पांच गुनी आबादी हो जायगी और न जाने क्या क्या हो जायगा । हमें भी यह ये बड़े बड़े भाखर दिखाये गये थे और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और दूसरे कांग्रेस के नेता भाषण देंगे वे भी बहुत बहुत आशाएं, अजमेर को देंगे पर मैं यह ठीक समझता हूं कि जो बात सही है, निडर होकर हर जगह और हर वख्त खुले शब्दों में कहनी चाहिये । और जिसके साथ मित्रता करने जा रहे हैं, जिसके साथ विवाह करने जा रहे हैं आपको मालूम होना चाहिये कि आपकी पत्नी कौन होने वाली है अगर अनजान के साथ समझौता करेंगे तो एक न एक को एक दिन पछताना पड़ेगा । मैं अपने अजमेरी भाईयों को कह सकता हूँ कि पिछले ५–६ सालों में अजमेर ने जो तरक्की की है वह वे राजस्थान में ५० साल में भी उस तरक्की तक नहीं पहुँच सकते । उनका अपना खुद का शासन है, वे अपने घर के खुद मालिक हैं, जो स्वतन्त्र राज्य है, वह एक डिस्ट्रिक्ट होने जा रहा है, राजस्थान का राज्य और राजस्थान का राज्य करने वाली पार्टी, उससे आशा की जाय कि राजस्थान का भला उनके आधिपत्य में होगा यह एक स्वप्न मात्र है । यह सदन के लिये ही नहीं बल्कि देश के लिये शर्म की बात है कि मौजूदा मुख्य मंत्री के मुंह के सामने भूतपूर्व मुख्य मंत्री यह कहने की हिम्मत कर सकता है कि जब वे मुख्य मंत्री थे और वे उनके साथ मन्त्री थे तब उन्होंने रुपया खाया, महरबानियां की, फेवरेटिज्म किया, यह किया वह किया । जिस प्रान्त में ये बातें हो सकती हैं वे ही बातें दूसरे मंत्री और मुख्य मंत्री दूसरे साथी के लिये जो मन्त्री भी रह चुके हैं और आज चीफ व्हिप ऑफ पार्टी हैं उनके लिये क्या क्या कह सकते हैं । जहां इस प्रकार की पार्टी, इस प्रकार का राज्य है, जहां एक मंत्री जवाब दे और दूसरा मंत्री झट से कह दे कि यह झूँठ बात है और उन दोनों मन्त्रियों को कान पकड़ कर मंत्री मन्डल से फेंका नहीं जाता, ये बातें जहां होती हैं तो वहां पर हम यह आशा करें कि राजस्थान की जनता की बहबूदी हो, यह स्वप्न मात्र है । मैं अजमेर वालों को चेतावनी देता हूँ कि वे अपनी शर्तें मंजूर करा के राजस्थान के साथ नहीं मिलेंगे तो उनको पछताना पड़ेगा । पांच छः साल में जो कुछ उन्होंने कर के बताया है, जो तरक्कियां की हैं वे सब बरबाद हो जायगीं, अगर इसी कद्र का राज्य रहा और इसी मंत्री मंडल के नीचे कार्य चालू रहा । ये बातें अप्रिय हैं पर मैं कह सकता हूं कि मेरी भावना बगैर किसी डर के स्पष्ट रूप में मैंने सदन के सामने रखी हैं और शायद मेरे कुछ मित्र यह कह सकते हैं कि मैंने ये बातें कह कर राजस्थान का हित नहीं किया क्योंकि अजमेर वाले डर जायेंगे,

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

पर मेरा सिद्धान्त है कि साफ बात कहूं कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा मित्र नहीं है। इसी तरह से हम हमारे अजमेरी भाईयों का स्वागत करते हैं पर मैं अपनी सहानुभूति भी उनके साथ प्रगट करता हूँ और उनको यह कह देना चाहता हूँ कि १ अक्टूबर को वे राजस्थान के साथ शरीक हों उससे पहले जितनी बहबूदी, जितनी तरक्की, जितना खर्चा करना चाहें कर लें और अगर कोष में कुछ रुपया रख कर राजस्थान के पास ले आवेंगे तो वह उनको फिर कभी नहीं मिल सकेगा फिर उससे उनकी बहबूदी नहीं हो सकेगी।

अब मैं राजस्थान की राजधानी के मुताल्लिक मुख्य मन्त्रीजी ने कहा उस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। अजमेर की असेम्बली में इस बात पर जोरों से बहस हुई और अजमेर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव पास किया। मैं अजमेर वालों के साथ में हूँ, राजधानी होनी चाहिये तो अजमेर में होनी चाहिये, सिर्फ अजमेर के साथ मुझे सहानुभूति है इसलिये यह नहीं कहता हूं कि अजमेर ही नये राजस्थान की राजधानी होना चाहिये, बल्कि इस लिये भी कहता हूँ, कि कौन जयपुर की राजधानी से खुश है सिवाय जयपुर वालों के ? इतना सा नहीं मैं तो यह भी कहूंगा कि जयपुर में राजस्थान की राजधानी रहना अशुभ है, इसलिये राजस्थान की राजधानी जयपुर में नहीं रहनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर—बीकानेर में हो जाय ?

कुं० श्री जसवन्त सिंह—बीकानेर के ऐसे भाग्य नहीं हैं। अगर बीकानेर के ऐसे भाग्य होते तो यह कहने का मौका नहीं मिलता। जयपुर राजधानी नहीं रखने के लिये जो कारण मैं बताता हूं ; उनमें से एक कारण तो यह है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी रहने के लिये बहुत अशुभ साबित हुआ है। अगर जयपुर राजधानी नहीं होता तो आज जो हम देख रहे हैं वह नहीं बीतता, कभी नहीं बीतता, राजस्थान में विरोध नहीं होता।

श्री नाथूराम मिर्धा—ऐसी तो कोई बात नहीं हुई........

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मेरे मित्र कर रहे हैं वे जयपुर राजधानी रहने के कारण ही मंत्री नहीं रहे, हांला कि वे इस योग्य हैं कि मुख्य मंत्री हो सकें। इतने योग्य होते हुए और इतनी बड़ी पार्टी का कन्ट्रोल करते हुए भी मंत्री तक भी नहीं रहे। तो इस तरह उनके लिये भी यहां राजधानी होना बहुत खराब साबित हुआ है।

यह तो अशुभ की बात हुई। इसके साथ ही साथ यहां राजधानी होने से ईर्ष्या इतनी बढ़ी है कि वह इस जेनरेशन में तो मिटेगी ही नहीं। अजमेर एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में किसी को द्वेष भाव नहीं हो सकता, वह एक न्यूट्रल जगह है। साथ ही वह राजस्थान के बीच में, राजस्थान के हार्ट में आया हुआ है। अजमेर राजस्थान से कहीं ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। अजमेर में हर प्रकार की सुविधा है और वहां एक प्रकार की परम्परा रह चुकी है कि जिससे अजमेर हर प्रकार से नये राजस्थान की राजधानी बनने के लायक है।

एक माननीय सदस्य—वहां पानी का इन्तजाम कैसे होगा ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—पानी का इन्तजाम भी हो सकेगा। जहां भाखरा, नांगल और चम्बल जैसे बांध बंध सकते हैं वहां पानी का प्रबन्ध सदैव हो सकता है जितने विधान सभाई हैं वे भले ही रोज डुबकी लगायें, इतने पानी का प्रबन्ध हो सकता है।

एक माननीय सदस्य—बिल्डिंग्स का क्या इन्तजाम होगा ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—बिल्डिंग्स भी बन सकती हैं। पंजाब के लिये केपिटल नहीं थी। वहां चण्डीगढ़ जैसा टाउन राजधानी बन सकता है तो अजमेर में भी बिल्डिंग्स का इन्तजाम हो सकता है।

राजस्थान के हित के लिये यह मेरी समझ में बिल्कुल ठीक होगा कि अजमेर, राजस्थान का केन्द्र होने की वजह से, राजस्थान से अधिक उनकी परम्परा होने की वजह से, आज जयपुर में राजस्थान की राजधानी रखना अशुभ साबित हुआ है इस वजह से, इन्टर स्टेट पुराना द्वेषभाव इस जनरेशन में कायम रहेगी उसको मिटाने के लिये और अजमेर वालों को यह बताने के लिये कि उनके साथ इसी तरह हित किया जायगा, मैं जोरों से इस बात का निवेदन करूंगा कि माननीय चेयरमेन, कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से हटा कर अजमेर में रखी जाय, जयपुर से राजधानी हटाना राजस्थान के लिये हर प्रकार से हितकर होगा।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

अभी मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं थे और उन्होंने मेरे शब्द नहीं सुने कि क्यों जयपुर राजस्थान की राजधानी न रह कर अजमेर राजधानी रहनी चाहिये।

इन बातों के साथ जो मोशन (संकल्प) मुख्य मन्त्रीजी द्वारा पेश किया गया है, मेरे इन विचारों के साथ, मैं उसका समर्थन करता हूं।

डा० श्री मंगलसिंह—माननीय चेयरमेन, आज इस सदन के समक्ष जो राज्य पु० आयोग रिपोर्ट के प्रारूप को विचारार्थ रखा है और उस पर हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सिलसिले में, इस रिपोर्ट के बारे में एक बात तो यह साफ है कि जो ए. बी. और 'सी' स्टेटों का भेद भाव था वह हटा दिया गया और कुछ स्टेटों को मिला कर बडी स्टेट बना दी गई और कुछ को केन्द्रीय शासन में रख लिया। यह तो एक चीज बहुत अच्छी हुई कि इस तरह का विभाजन और मतभेद एक ही देश में, एक ही प्रकार की रियासतों में नहीं हो यह बहुत अच्छी बात हुई है। हम राजस्थान से खास तौर से ताल्लुक रखते हैं इसलिये इस सिलसिले में मैं उन विषयों के बारे में ही बातें कहूंगा जिनके बारे में हमारा निकट संबन्ध है क्योंकि यदि हर एक बात का जिक्र किया जाएगा तो समय बहुत फालतू चला जाएगा।

[डा० श्री मंगलसिंह]

मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता महोदय ने जो मेरे अनन्य मित्र भी हैं, बम्बई और आन्ध्र के झगडों के बारे बात करते हुए कहा कि आन्ध्र के लोगों ने फोड़तोड़ और आन्दोलन व हिंसा और दूसरे प्रकार के प्रदर्शनों से काम लिया और बंबई में भी इसी प्रकार से गुजराती और मरहठों के झगड़े में मरहठों ने गुजरातियों और पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करके बुरा व्यवहार करके ऐसा स्वरूप जिसको निन्दनीय कहना चाहिये अपनाया और साथ ही साथ उन्होंने जो ज्यादतियें करने वाले लोगों को देशभक्त कह कर उनकी बुराई नहीं की जो करनी चाहिये थी लेकिन एक प्रकार से उनकी प्रशंसा हो की और दूसरी ओर पंजाब के सिलसिले में जब विचार करने का समय आया तो आपने कहा कि—

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

केन्द्रीय सरकार उन लोगों के साथ जो वहां अत्याचार और दुरचार कर रहे हैं उनको सहयोग दे रही है और यह भी कहा कि सिक्खों के साथ रियायत कर रही है और वह इसलिये कि उसको सिक्खों से डर भी है कि वहां के रहनेवाले हिन्दुओं के साथ कहीं वे अत्याचार न कर बैठें। मैं यह कहूंगा कि एक तरफ तो आपको उन अत्याचार करने वालों के साथ, मराठाओं के साथ, हमदर्दी है जिन्होंने अत्याचार किया है और जहां पंजाब में अभी तक अत्याचार नहीं किया गया है और जिसकी अभी तक संभावना ही की जाती है, वहां उनके विचार दूसरी प्रकार के हैं। मैं नहीं समझता कि उनका इससे क्या मतलब है इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी लूटमार करते रहें उनको आप अच्छा कहते हैं। और जहां लूटमार की केवल संभावना मात्र है उनको बुरा कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई बातों से फायदा नहीं है। यदि लूटमार एक स्थान या एकवर्ग पर होती है और वह बुरी है तो यही नीयत दूसरे स्थान और वर्ग पर लागू होनी चाहिए।

इसके अलावा उन्होंने एक बात यह कही कि कांग्रेस ने वायदा किया था कि वह भाषावार राज्य बनावेंगें और स्वतन्त्रता मिलने के बाद जो एलान होते रहे उसमें भी यह आश्वासन दिया जाता रहा कि भाषावार प्रान्त बनाये जावेंगे और यह जो एस. आर. सी. रिपोर्ट बनी उसने भी इस बात पर विशेष ध्यान रखा। लेकिन अब जब इसके दुर्गुन मालूम पड़े तो कदम पीछे हटाने की बात आती है। मैं तो उसमें कोई बुराई नहीं देखता अगर पैर पीछे हटाया भी जाए। अगर किसी को राजनीति में किसी बात में गलती महसूस हो या किसी भी वक्त यह मालूम हो कि गलत कदम बढ़ा दिया गया है तो उसको हटाना राजनीती में ही नहीं बल्कि दूसरे मामलों में भी कोई बुरा नहीं है। मैंने एक बार सदन में कहा भी था कि मैं भी उन लोगों में से हूं कि जो कह दिया सो कह दिया कदम रख दिया सो रख दिया उसको पीछे नहीं हटाया जावे। लेकिन अगर मेरा बढ़ाया हुआ कदम किसी सांप पर पड जावेगा तो मैं उसे जरूर हटा लूंगा और हटा लेने में ही बुद्धिमानी है। सांप पर पैर रख कर कहना कि हम अपना पैर पीछे नहीं हटावेंगे यह तो उचित नहीं है! मूर्खता है। हाँ पैर रखने के पहले स्थान को देख लेना तो अवश्य चाहिए।

एक माननीय सदस्य—सांप को कुचल देना चाहिये ।

डा० श्री मंगलसिंह—सांप तो कुचला जावेगा या नहीं लेकिन उसको कुचलने में अपनी जान तो खोनी पड़ेगी । सांप तो कुचला जावेगा या नहीं यह तो आगे की बात है । परन्तु सांप काट लेगा और जान भी ले सकता है । यह तो भाषावार प्रान्त की बात हुई । मेरी मान्यता यह है कि बडे २ प्रान्त बनने चाहिये और भाषावार प्रान्त अथवा और प्रान्तवाद को आगे बढ़ना और जातिवाद को बढ़ाना और किसी प्रकार का वादविवाद को आगे बढ़ाना,इन सब बातों से बचने के लिये अथवा कम करने के लिये बड़े प्रान्त का निर्माण होना चाहिये और वही एक इसका इलाज है । हमारे प्रधानमंत्री ने जिस वक्त यह आवाज उठाई थी उस समय कहा था कि ४ या ५ बडे प्रांत देश में बने । उस वक्त उनकी मंशा ठीक यही थी जो कुछ उन्होंने कहा वह यही समझ कर कहा था । इसमें उनको कठिनाईयें आई और ऐसे प्रान्त बनाने का सुअवसर नहीं आया और जब उन्होंने कठिनाईयों को देखा और यह देखा कि इस समय इससे और झगड़े उठने की संभावना हैं तब उसी का दूसरा रूप रख कर उन्होंने इसके लिये एक रीजनल कौन्सल बनाई । चूंकि वातावरण शान्त नहीं था इसलिये उन्होंने यह उचित समझा । लोग प्रान्तवाद, जातिवाद और वादविवाद में लगे हुए हैं, इस समय प्रान्त बनाना उचित नहीं समझा गया । लेकिन आप इसको शांत बुद्धि से और उपयोगिता के लिहाज से अगर देखेंगे तो जरूर अनुभव करेंगे और अंत में जाकर वही बात उचित मालूम पड़ेगी जो उनके विचार में पहले थी । मेरी ऐसी मान्यता है और इस भावना के साथ रखते हुए मेरा यह विश्वास है कि जो छोटे छोटे प्रान्त बनाने की बात है, या किसी को अपने में मिलाने या किसी को अपने से बाहर जाने की बात, यह कोई बात नहीं । यह बात छोटी समझ की बात है कि वह हमसे अलग हो जावेगा या वह हमारे में आ जावेगा ।

अंत में राजस्थान के संबन्ध में जो कुछ रिपोर्ट द्वारा राजस्थान को मिला है उसके लिये मैं बधाई देता हूं और हम सब लोगों को इससे प्रसन्नता है कि आबू जिसके राजस्थान का हर एक व्यक्ति क्या बुडढा और क्या बच्चा,क्या जवान और क्या स्त्री और क्या पुरुष सब को यह दुख था कि हमारे शरीर का एक हिस्सा हमसे काट लिया गया था वह अब हमारे शरीर में वापिस जल्दी से जल्दी मिल जावेगा । दूसरा जो अजमेर का हिस्सा है वह हमारे अन्दर आया है और वह तो आता ही । जिस तरह से सिरोंज को जाना निश्चित ही था उसी प्रकार से अजमेर का आना भी निश्चय ही था, इसके अलावा केपिटल पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा और दूसरे पक्ष के नेता ने भी कुछ कहा उसके बारे में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है मेरे नजदीक जो जयपुर केन्द्र हो तो अच्छा है और अजमेर केन्द्र हो तो वह भी बहुत अच्छा है । मगर इस बात के लिये कि केन्द्र कहां होना चाहिये इसके लिये यह देखने की बात है कि इतना रूपया यहां पर खर्च हो चुका है, यहां पर हाई-कोर्ट बन रहा है और दूसरे भी कई ओफिसेस बन रहे हैं और काफी रुपया खर्च हो चुका हैं इसका सदुपयोग हो और अगर कोई भी दूसरा स्थान केन्द्र बनेगा उसके लिये काफी खर्च होगा और यह जो खर्च यहां पर हुआ है वह फालतू जाएगा । इन बातों पर विचार कर हमारे अजमेर के मित्र जयपुर को ही स्वीकार कर लेंगे । यह विरोध का विषय नहीं होना चाहिए ।

[डा० श्री मंगलसिंह]

लेकिन अगर यह विचार किया जाय कि किस प्रकार चन्डीगढ़ नयी राजधानी बनायी गई उसी प्रकार यहां भी बनाई जाय, मैं तो इस बारे में सिर्फ यही कहूँगा ये सब बातें आगे की हैं जब सब साथ बैठेंगे यह सब तय हो जायगा, मैं मुख्य मंत्री जी की बात से सहमत हूँ यह सवाल अभी तो उठना ही नहीं चाहिए। लेकिन यह जो बात कही गई कि अजमेर एक जिला है वह राजधानी बन ही नहीं सकता। मेरा निवेदन है कि जयपुर भी तो एक जिला ही है उसको किस प्रकार राजधानी बना दिया गया। यह तो रहेगा जो कोई जिला होगा वही तो राजधानी की जगह होगी अगर जयपुर जिले की दृष्टि से राजधानी नहीं हो सकता तो अजमेर भी नहीं। लेकिन जब जयपुर जिला होते हुये राजधानी है तो उसी प्रकार वह भी हो सकता है। दूसरी बात जो फिजूल खर्ची की है वह ठीक है यहां सब तरह का वातावरण बन चुका है, सब प्रकार की सुविधा यहां उपलब्ध हैं और जितने भी देशी राज्य इस स्टेट में मिले हैं जब सब ने इसको स्वीकार कर लिया है और उस समय अजमेर का भी विचार कर लिया गया, तो इस प्रश्न को अब फिर से उठाना ठीक नहीं है। मेरा जहां तक ख्याल है इस प्रश्न को उठाने से मत भेद भी बढ़ सकते हैं, जो मतभेद अब शान्त हो गये हैं जब कि सब लोगों ने जयपुर को राजधानी स्वीकार कर लिया है, यह जगह भी अच्छी है इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तीसरी बात लोहारु के लिये कही गई है और यह कहा कि गया जनमत की परवाह किये बिना ही उसको पंजाब के साथ मिला दिया गया, मेरा ऐसा कुछ मानना है कि जनमत की परवाह किसको है यह निर्णय होते हैं उसमें बड़ों को जो सुविधा होती है उस बात के ऊपर निर्णय किये जाते हैं और उसी बात पर मिलाये और निकाले जाते हैं। अगर जनमत का ख्याल कहीं होता है तो मैं नहीं कहता किन्तु राजस्थान में तो उसकी एक मिसाल भी नहीं दिखती। अगर जनमत की कोई कीमत होती तो आज राजस्थान के अन्दर चाहे वह बहुत छोटा ही टुकड़ा ही क्यों न हो उससे क्या राजस्थान का बनने बिगडने वाला है अगर जनमत की बात होती तो यह बात कभी नहीं देखते राजस्थान की तरफ से राजस्थान की केबीनेट की तरफ से, राजस्थान के एम० एल० ए० की तरफ से, राजस्थान का जो रिप्रेजेन्टेशन स्टेट रिओरगेनाइजेशन कमीशन के सामने हुआ उसमें खेरागढ़ की मांग थी जो कि आगरे की एक तहसील है, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वह इसलिए मांगा गया था कि अगर खेरागढ़ को राजस्थान को दे दिया जाता है तो राजस्थान सरकार को जो दिक्कत धौलपुर के एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही है वह दिक्कत नहीं होती। राजस्थान वालों को धौलपुर में पहुँचने के लिए और उस पर हकुमत करने के लिये बडी कठिनाई पैदा होती है इसीलिये खेरागढ़ हमको दे दिया जाय, इस प्रकार की मांग कमीशन के सामने रखी गई ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाय और धौलपुर का एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से कर सकें। इससे इतना तो सिद्ध होता है कि राजस्थान यह तो महसूस करता है कि धौलपुर का जो हिस्सा है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करने में उनको कठिनाई पैदा हो रही है, उसकी दिलचस्पी केवल कठिनाई दूर करने की है, वह अपनी कठिनाई को हल करने के लिए इस इलाके को उत्तर प्रदेश से मांगा गया था।

[डा. श्री मंगलसिंह]

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर के बारे में आगे कुछ कहने के पहले थोड़ा धौलपुर के पीछे के इतिहास के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। यह एक प्रकार से विषयान्तर तो होगा किन्तु इससे संबंधित बात है इसलिये कह देता हूं, धौलपुर के राजा गोहद के राणा थे, वह ग्वालियर में जो इस वक्त भिंड जिला है उसके अन्तर्गत गोहद तहसील है वहां उनकी राजधानी थी। उस समय यह रियासत चालीस पचास लाख की आमदनी की रियासत थी। १८०२ और ३ के आसपास मराठाओं ने आसपास के प्रदेश को लूटा और वहां चौथ लेना शुरु की और उसका चक्कर गोहद रियासत में भी हुआ। गोहद के राणा को मराठों ने हमला किया लड़ाई हुई। इस तरह से कई बार लड़ाइयां हुई और उनमें घोर युद्ध हुआ, उसी लड़ाई के समय सात आदमियों के रून्ड उठे थे, आखिरकार यह हुआ कि गोहद के राणा को वहां से भागकर चंबल के खन्धारों में शरण लेनी पड़ी। दो तीन वर्ष तक इसी तरह से लुटेरों के शक्ल में इधर उधर ये भटकते रहे, कही से रुपया ले लते और किसी को लूट लेते, यही इनका पेशा होगया था। इसी प्रकार अपना गुजर बसर करते रहे। उस समय इस प्रकार के कार्य करने वाले २८ खानदान थे और गोहद के रहने वाले राणा के साथ आये थे। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिये मेरे खानदान का संबन्ध भी उन लोगों से था। इस दरमियान में ईस्ट इन्डिया कम्पनी जो यहां पर एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा करवाकर देशी राज्यों को तहस नहस कर उन पर कब्जा करना चाहती थी जो अपनी प्रेस्टिज इस समय तक गंवा चुकी था, जिनका उद्देश्य केवल यही मुनाफा खोरी करना था, इंगलेन्ड में इस कम्पनी ने कई सालों से डिवीडेन्ट घोषित नहीं किया, था उधर शोर मचा रहे थे इधर इनकी फौजे डिमारेलानइजड होगई थीं उनकी इज्जत कम हो रही थी उस समय ईस्ट इन्डिया कम्पनी भरतपुर होते हुए आगरा होते हुए ग्वालियर पर हमला करना चाहते थे। हमले की तैयारी के सिलसिले में गोहद के राणा को उन्होने तलाश किया, राजनीति में दुश्मन का दुश्मन बड़ा मित्र होता है इसी नीति के अनुसार ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने गोहद के राणा को तलाश करना शुरू किया और राणा को अपने साथ में मिलाया और उन्होंने उसको यह विशवास दिलाया और आश्वासन दिया कि अगर हम जीत गये तो गोहद आपको वापिस करवा देगें। इस प्रकार राणा ने ईस्ट इन्डिया कम्पनी के साथ मिलकर गवालियर पर हमला किया और मराठों के साथ लड़ना आरम्भ किया। जो मराठों के पास तोपें थी वह बहुत अच्छी थीं लेकिन क्या हुआ कि उसमें बारूद की जगह बाजरा भर दिया गया। उस समय ग्वालियर के अन्दर १०० पीतल की तोपें थी और ग्वालियर की फौज भी देश में सब से अच्छी फौज समझी जाती थी। इधर जब ईस्ट इन्डिया कम्पनी की प्रेस्टिज गिर गई और उसको जब बड़े मजबूत दुश्मन से सामना करना पड़ा तो अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई। ग्वालियर के मंत्री मंडल के सदस्यों में भेदभाव डाला किसी को रिश्वत दी गई और इस तरह से कुछ मंत्री मन्डल के सदस्यों को कब्जे में किया गया और उनके द्वारा उन तोपों में जो हिन्दुस्तान की मशहूर तोपें थी उसमें बाजरा भर दिया गया ज्योंही पहला फायर हुआ ऊपर जो बारूद था वह फुस कर के रह गया। जब यह बात महाराजा सिन्धिया को मालूम हुई कि मंत्री मंडल के

[डा. श्री मंगलसिंह]

कुछ सदस्यों ने इस प्रकार की गड़बड़ी की और धोखा दिया तो उन्होने अपनी फौज को पीछे हटाली और पीछे हट कर ट्रेन्च पर अपनी पोजीशन बना ली। मंत्रियों को जो सजा देनी थी वह दी गई, ऐसा काम करने वालों के साथ जिस प्रकार का बरताव किया जाना चाहिये वह किया गया। फिर उन्होने अपनी पोजीशन जमा ली और दुश्मनों को मारना शुरू किया, इस तरह से उन्होंने अपने सामने वाले दुश्मन को साफ करना आरंभ किया। ईस्ट इन्डिया कम्पनी की बुरी हालत होने लगी उनके सिपाही घबड़ा गये इस प्रकार ईस्ट इन्डिया कम्पनी को ग्वालियर से भाग की नौबत आ गई बार बार चढाई की किन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिली बराबर की स्थिति सुलह की गई और गोहद भी वे नहीं पा सके। फिर ईस्ट इन्डियां कम्पनी ने क्या किया झांसी के पास का हिस्सा लेकर अपना कन्टानमेन्ट बना लिया और राणा गोहद को इशारा कर दिया कि अब हमारा मतलब निकल गया अब हमको तुम्हारे से क्या काम और इस तरह से गोहद के राणा को अंगूठा दिखा दिया। इस प्रकार इसका इतिहास तो लम्बा है। मैं सब को कहना नहीं चाहता हूँ परन्तु इसी सिलसिले में एक अंग्रेज को गिरफ्तार करके डोली में रखकर मराठा ले जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ उधर से राणा के सिपाहियों ने देखा यह डोली जा रही है शायद इसमें कुछ माल हाथ लगने की संभावना है, जब उन्होने उस डोली पर हमला किया तो मराठा लोग उस डोली को छोड़ कर कहां से भाग गये। जब उस डोली को खोल कर देखा गया तो उसमें एक अंग्रेज को पड़ा हुआ पाया जो बन्धा हुआ था जिसका नाम मेजर टोन्सन था। वह हिन्दी नहीं जानता था इधर ये लोग भी अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो उनकी आपसी बातचीत में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता था वह अंग्रेज केवल लखनऊ ऐसी आवाज निकालता था इससे उन लोगों ने अन्दाज लगाया कि यह कोई लखनऊ का रहने वाला अंग्रेज अफसर है, अत: दो चार सिपाहियों के साथ उसको लखनऊ भेज दिया गया। लखनऊ पहुँचने पर उन मेजर सहाब को जनरल बना दिया गया, क्योंकि उन्होने कई लड़ाइयां लड़ी थीं। बाद में लखनऊ पहुंचने पर उसने अपने दो सिपाहियों को एक खत देकर राणा गोहद के पास भेजा, इस तरह से राणा के पास पहुँचते हैं उसके बाद का लम्बा इतिहास है उसमें न पड़कर इतना ही कहना चाहता हूँ कि राणा गोहद को उस अंग्रेज की सहायता और सिफारिश पर आगरे जिले में से धौलपुर, बाड़ी और राजाखेड़ा यह तीनों इलाके निकाल कर बफर स्टेट बना दी।

और इसलिये बनाई गई थी कि आगरा के उधर का एरिया ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथों में था, ग्वालियर का हिस्सा सिंधियों के पास था, तो अंग्रेज अगर आगरा पर कब्जा करें तो यह धौलपुर एक बफर स्टेट बन जाय और इससे अंग्रेजों का हित साधन हो जाय। इसलिये दोनों प्रदेशों में झगड़े को बचाने के लिये आगरे के जिले में से उत्तर प्रदेश के अंग में से काटकर बफर स्टेट बनाने के उद्देश्य से यह एक छोटा सा राज्य बनाया गया था। इसका राजस्थान से कभी कोई सीधा ताल्लुक नहीं था। राजस्थान का यह हिस्सा कभी नहीं रहा था। तो इस प्रकार से यह राज्य राजस्थान में जबरदस्ती बनाया गया था, वही आज तक चलता रहा। आगे जाकर वह मत्स्य में मिला तो उस समय आगरा में मिलने का सवाल उठाया था। इसमें हलचल मची थी, मत्स्यराज

[डा. श्री मंगलसिंह]

भी खत्म हुआ और राजस्थान में जब आने की बात हुई तो वहां फिर एक बड़ी हलचल मची। केंद्रीय सरकार के सामने भी कुछ बातें आईं और इस प्रश्न को सुलझाने के लिये एक देव कमीशन नामक कमेटी बनाई गई। इसने जानकारी करने की कोशिश की और वह किस प्रकार की जानकारी थी, यह भी हम जानते हैं। मेरा यह विश्वास है कि बड़े से बड़ा केंद्रीय कर्मचारी से लेकर और एक छोटे से छोटे चपरासी तक सभी का यह ख्याल था कि ऐसा न हो कि यह भाग उत्तर प्रदेश में इस समय निकल जाय। राज कौन किसका निकलने देता है? चाहे कितना ही बड़ा कोई जागीरदार हो वह भी अपनी दो हाथ जमीन भी कोई छोड़ने को कहे तो छोड़ नहीं पाता है। इसी प्रकार का उस वक्त वातावरण बन गया और इतना ही नहीं कि सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी ही इसके जाने से राजी नहीं थे, बल्कि आस पास के चार रियासतों के राजा थे उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि यह आगरे में न मिले। और सरदार पटेल ने इस पर मुझे कहा कि भाई तुम्हारा कहना ठीक है लेकिन हम क्या करें, ये जितने राजा हैं रोते हैं और कहते हैं कि कम से कम हमारे राज्य का राजस्थान नाम तो रहे। और इस प्रकार से इसको कर दिया गया है परन्तु यह कहा:—

"Rest assured one fine morning you will find yourself in U, P."

ऐसा श्रद्धेय पटेल ने कहा था। लेकिन वक्त फिर चला गया! सरदार पटेल आज नहीं रहे। इसके बाद सर गोपालास्वामी आये। उनके सामने बात गई, तो वह कहने लगे कि भाई बहुत देर से आपने बात कही है। अब तो कान्स्टीटयूएन्सी बन गई है, और काफी काम हो चुका है, इसमें अब डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। फिर भी कहने लगे why dont you want to be merged with Madhya Bharat.

उन्होंने हमें यह सजेश्चन दिया और उत्तर प्रदेश में जाने के लिए कहा This can be done afterwards if you like, but if you like your merger with Madhya Bharat it could be done immediately.

मैं अकेला, व्यक्तिगत रूप से तो कह नहीं सकता था। यह तो साढ़े तीन लाख आदमियों के सुख दुख का प्रश्न है और वे जिस हिस्से से काटे गये हैं उसी में जाना चाहते हैं। मैंने कहा I am sorry I cannot reply this question offhand.

इस प्रकार से वह बात यों की यों रह गई। राजस्थान में आ गये। हमारे सामने यह प्रश्न था कि देव कमिशन ने क्या रिपोर्ट दी। पता लगा कि उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि इस वक्त वातावरण इतना गरम है और इसमें जो मैटिरियल हमारे सामने रखा है, जो प्रूफ और गवाहियां हमारे सामने आई हैं वे इतनी काफी नहीं हैं कि जिनके आधार पर हम प्रांत परिवर्तन कर दें। लेकिन जब शांत वातावरण होगा तो हम जनमत से, प्लेबिसाइट or any other suitable method से जनमत जानकर इसका फैसला करेंगे। इसके बाद जब एस. आर. सी. कमीशन मुकर्रर हुआ उस

[डा. श्री मंगलसिंह]

वक्त हमने सोचा कि बस अब तो हमें न्याय मिलेगा। और इस कमीशन के सिलसिले में हिदायतें निकलीं कि इसके बारे में कोई आंदोलन न किया जावे, कोई मीटिंग न की जावे, कोई प्रोसेशन नहीं निकाला जावे और ए. आई. सी. सी. से भी खास तौर से कांग्रेस-मेनों के लिए ये आदेश आये। शांत भाव से रहो और कमीशन को जानने का मौका दो। कमीशन धौलपुर नहीं गया पर कमीशन जयपुर में आया तो यहां बैठे ही बैठे उसने सारी जानकारी की। वह वहां कभी नहीं गया। उनके समक्ष यह बात रखी गई कि वहां के लोग कहीं बाहर जाना नहीं चाहते। यह बात चाहे तो राजा की ओर से कही गई और चाहे दिलचस्पी रखते हैं उनकी तरफ से कही गई। वे लोग सतर्क थे और बराबर कोशिश में थे कि यह चिड़िया कहीं हाथ से निकल नहीं जावे।

(हंसी)

उनकी तरफ से कोई दो बसों में कुछ लोग धौलपुर से बुलवाये गये थे।

श्री मथुरादास माथुर—आप चिड़िया हैं क्या ?

डा० श्री मंगलसिंह—पर आप तो बाज हैं न, जो चिड़िया को खतम करते हैं। जिस पर बैठे उसी का सफाया किया। खैर माफ करिये। मुझे अपनी बात कहने दें। हम एम०एल० ए० लोगों ने कमीशन के सामने उत्तर प्रदेश में जाने के लिये बयान दिया।

तो मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार से हम आशा में बैठ रहे और दूसरी तरफ वे लोग इस प्रकार की कोशिशें करते रहे। हमारे लिए तो यह इन्सट्रक्शन कि कोई प्रोपेगेंडा मत करो और उधर यह हालत रही कि उन्हें सब कुछ करने की छूट। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय है।

खैर जो हुआ सो हुआ। पर तथ्य जो है वह तो नहीं टाला जा सकता। मैं इतनी बातें नहीं कहता, वे आवश्यक भी नहीं थीं, लेकिन यह रिपोर्ट एक बार सदन में पहले भी आई थी और उस पर विचार हुआ था उस वक्त दुर्भाग्यवश मैं बीमार था और इस कारण यहां आ नहीं सका था। लेकिन मैंने दूसरे या तीसरे दिन अखबारों में पढ़ा कि हमारे समाजवाद और हर दिल अजीज मुख्य मंत्री महोदय और हमारे नेता सदन के भी और पार्टी के भी, ने यह कहा कि धौलपुर राजस्थान में रहना चाहता है। वहां की जनता राजस्थान में रहना चाहती है, वहां की जनता यू० पी० में नहीं जाना चाहती है और जो यू० पी० की बात करते हैं वे सही नहीं हैं, गलत हैं। शायद और भी कड़े शब्द उन्होंने यहां इस बारे में इस्तेमाल किये थे। और........

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। मैंने यह कहा था कि अगर आगरे का एक प्रांत बने और धौलपुर उसमें रहे तब तो धौलपुर के लोग आगरे में जाना चाहते हैं पर वर्तमान यू० पी० में जाना वे पसन्द नहीं करेंगे।

डा० श्री मंगलसिंह—आगरे का प्रांत बनाने का जिक्र उस समय था ही नहीं । आप कहने में, और बातें करने में तो चतुराई जरूर रखते हैं; इसकी मैं तो मानता हूं । इसकी परीक्षा की क्या जरूरत है । यह बात कही गई थी । और इतना ही नहीं । माननीय मन्त्री ने कह दिया कि धौलपुर से आने वाले सज्जन ने भी इसका समर्थन कर दिया है । अब सवाल इस बात का है कि मेरी यह मान्यता है कि धौलपुर का बहुत अधिक भाग और वहां की जनता यह समझती है कि हमारा कल्याण उत्तर प्रदेश में जाने से ही हो सकता है । इसका यह मतलब नहीं कि राजस्थान में नहीं रहेंगे या वहां रहने से हमारा कुछ अकल्याण हो जावेगा ।

लेकिन वह ऐतिहासिक दृष्टि से और जितनी भी दृष्टियों से एक हिस्से को दूसरे में विलीन करने की रखी गई हैं उन सब दृष्टियों से उसका कल्याण, उसका भला, उसी में है जो कि उत्तरप्रदेश में जाने में हो सकता हैं । मेरी मान्यता यह है लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और एक सज्जन जो कि वहां से आये हैं उन्होंने कहा अपनी मरजी से अथवा उनसे कहलवाया गया, मैं नहीं कह सकता, (हंसी) लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि कहा नहीं है, यह हो सकता है, लेकिन सदन में बहुत से सवालों के जवाब और बहुत सी बातें बहुत ही फिसलती हुई कही जाती हैं, वह झूठ नहीं होती हैं, लेकिन उनके दो मायने हो सकते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने नहीं कहा और उन्होंने (धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य) स्वयं ही कहा होगा । लेकिन जो कुछ भी है मैं इस बात को मान लेता हूँ कि उन्होंने अपने ही विचार को कहा होगा । तो फिर जब मैं धौलपुर के दो तिहाई हिस्से से आता हूं, क्योंकि डबल कन्स्टीटुएन्सी का वह हिस्सा है, और वे सिंगल कन्स्टीटुएन्सी से आते हैं । लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी के हाथ बहुत लम्बे हैं । वह यहां बैठे हुए भी राजस्थान के गांव गांव की हालत और वहां की सूचना प्राप्त कर सकते हैं । वह साधन हमको प्राप्त नहीं हैं । हमको साधन उतने ही प्राप्त हैं कि जाकर देखें और लोगों की जानकारी प्राप्त करें । जनमत क्या है यह मालूम करें, तो अब दोनों बातें पड़ गई हैं एक तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की बात काट सकने के स्थान अथवा स्थिति में नहीं हूं और अपनी मान्यता पर भी उतना ही मुझे विश्वास है जितना उन पर मुझे करना चाहिए । तो अब तय कैसे हो कि आया वहां की जनता उत्तरप्रदेश में जाना चाहती है, कि नहीं जाना चाहती है । तो मैं अपने नेता से इजाजत चाहूंगा कि इसी (विषय) के ऊपर मुझे इस सदन की सदस्यता से इस्तिफा देने की अनुमति मिल जाय, और मैं इसी प्रश्न पर एक बात बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं यद्यपि मैं नहीं कहना चाहता एक बात बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं यद्यपि मैं नहीं कहना चाहता था, कि मैं इसी प्रश्न पर वहां से फिर चुनाव लड़ता हूं और अपने चुनाव नोटिस में साफ लिख दूंगा कि मुझे वे लोग मत दें जो अपना और धौलपुर का कल्याण उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होने में मनाते हों और वहां का जनमत क्या है, इस प्रकार से वह मालूम हो जायगा और मेरे साथी जिन्होंने यह कहा है या जिनसे यह कहलवाया गया है, उनके लिए भी अपनी बात को सत्य करने के लिए दूसरा कोई चारा नहीं है वे भी त्यागपत्र दें ।

श्री कुम्भाराम आर्य—अब इलेक्शन आ रहा है । अगर यह इलेक्शन से ही यह काम होनेवाला है तो...............

डा० श्री मंगलसिंह—आप डिस्टर्ब क्यों करते हैं ? मुझ गरीब के साथ यह अन्याय क्यों करते हो ? आपके लिए तंग करने को और बहुत लोग हैं।

श्री कुम्भाराम—आप डाकुओं के खानदान में से हैं।

डा० श्री मंगलसिंह—परन्तु आप तो खुद डाकू हैं। यह आप क्या कहते हैं ? (घंटी) ऐसा क्यों करते हैं ? मुझे क्षमा करें। मैंने जो कुछ कहा है उसे मैं वापिस लेने को तैयार हूं यदि ये बातें एतराज के काबिल हों।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—उधर से भी ले लिया जाय तो अच्छा हो।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैंने कुछ कहा नहीं है।

डा० श्री मंगलसिंह—मैं कह रहा था कि मुझे इजाजत दी जाय इस प्रश्न को लेकर मैं इस सदन के सुन्दर वायुमंडल में से भी त्यागपत्र दे दूं और फिर इसी इश्यू के ऊपर जो मतदान देने वाले यह समझते हैं कि धौलपुर की जनता का कल्याण उत्तरप्रदेश में ही जाने से हो सकता है केवल वही मुझे वोट दें, यह मैं अपना मैनिफेस्टो लिख दूं, और दूसरे लोग भी दे दें। अब सवाल इसमें उठ सकता है टिकिट डिस्ट्रिक्ट वाली बात का तो मैंने कांग्रेस के खिलाफ कोई बात कही नहीं है।

दूसरी बात मैं यह भी, अध्यक्ष महोदय (उपाध्यक्ष महोदय), कह दूं कि उनकी मांग का जो प्रार्थनापत्र है, धौलपुर की जनता ने जो आवेदनपत्र इस मांग को लेकर स्टेट्स मिनिस्ट्री के सामने रखा था उसको पी. सी. सी. के अध्यक्ष ने सिफारिश करके मेरे सामने रखा है। इसलिए कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है वहां इस हमारी मांग को न्यायपूर्ण मांग को उन्होंने स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं कि उसी प्रकार से अगर यह सदन भी हमारी इस मांग को सहृदयता और न्यायपूर्णता से स्वीकार करता तो बहुत अच्छा था। मेरा विचार था कि संशोधन रखूं, लेकिन मैं रखने की स्थिति में नहीं हूं, इच्छा होते हुए भी नहीं रख सकता हूं इसलिए मेरा यह सुझाव है कि गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट जाय उसमें यह उदारता रखी जाय, यह कम से कम सवाल खुला हुआ तो रखा जाय। जो तारीख देव कमीशन ने पोस्टपोन्ड कर दी थी और मुकद्दमों का फैसला नहीं किया था वह सवाल खुला तो रखा जाय, और यदि इस समय उत्तरप्रदेश में मिलाने की सिफारिश करने की स्थिति में सरकार नहीं है तो मैं नम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा सरकार से कि इस विषय पर दयापूर्ण न्याय करें, दयामिश्रित तो बहुत अच्छा होगा।

तो अब हम धौलपुर के लोगों को क्या क्या तकलीफें हैं राजस्थान के अन्दर वह बात है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा।........

श्री उपाध्यक्ष—संक्षेप में कहिये।

श्री मंगलसिंह—अध्यक्ष महोदय (उपाध्यक्ष महोदय), बिल्कुल ठीक है। यहां साढ़े तीन लाख आदमियों के मरने और जीने का सवाल है इसलिए यदि दो, चार मिनिट अधिक ले लूं तो क्षमा करें।........

श्री सुखाड़िया—मरने का प्रश्न ही नहीं है।

डा० श्री मंगलसिंह—जो शासन करते हैं वे मारने को ही दया समझते हैं, और मरने का सवाल इस संसार में कहीं है, यह तो उनको मालूम ही नहीं हो सकता है; इसलिए आपके लिए यह कहना मामूली सी बात है। लेकिन जो पैरों के नीचे दबे हुए हैं, जो कुचले जा रहे हैं, अन्याय में पिस रहे हैं, उनके हृदयों से पूछिये तो आपको मालूम हो। आपके पैरों में जूते नहीं काट रही है, मेरी जूती मेरे ही पैर में काट रही है। इसलिए जरा दया के भाव से देखें। आज सात साल के करीब हुए राजस्थान को बने हुए, लेकिन धौलपुर से आने के लिए राजस्थान में कोई रास्ता नहीं है। वह केवल धौलपुर के लोग राजस्थान से उत्तरप्रदेश में जाना चाहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट हमें धक्का दे दे कर, किक मार मार कर भगाना चाहती है। आज तक धौलपुर से राजस्थान में आने के लिए कोई रास्ता नहीं बना। वह बड़ी कठिनाई नहीं है, सरमथुरा से २४ मील करौली है और उसका १० मील धौलपुर में है और १४ मील करौली की ओर है और इधर १० मील की सड़क नहीं बनाई है ताकि हम लोग राजस्थान में सीधे चले आयें। इधर धौलपुर से भरतपुर से मऊ रूपवास होती हुई सड़क जा सकती है उसकी लंबाई केवल ४२, ४३ मील है और उससे सीधे भरतपुर हम चले जा सकते हैं, सीधी राजस्थान में आने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन भरतपुर जो हमारे जिले का केन्द्र है वहां जाने के लिए ७२ मील हमको सड़क से पड़ता है, जिसमें २४ मील राजस्थान के हैं, उसमें से १४ मील धौलपुर की और १० मील भरतपुर में और बाकी ४८ मील आगरा जिले में पड़ते हैं। यह कठिनाई है रास्ते की।

अब पढ़ाई की दृष्टि से देखिये तो राजस्थान में धौलपुर का विद्यार्थी सिवाय मेडिकल कालेज में ३, ४ के और कोई नहीं पढ़ता है। आगरे में ३५० लड़के धौलपुर के पढ़ रहे हैं। हमारे यहां केवल एकमात्र हाई स्कूल था और उस हाई स्कूल के लिए यह प्रार्थना की गई थी कि इसको इन्टरमीजियेट कालेज और क्रमश: इसको डिग्री कालेज बना दें तो हमारे यहां लड़कों को पढ़ने का कुछ आराम हो जाय। जब राजा राज्य करते थे तो कम से कम ८, १० हजार रुपये साल के वे स्कालरशिप देते थे क्योंकि वे कालेज नहीं बना सकते थे। तो इस प्रकार से वह स्कालरशिप बन्द होगई और यहां पढ़ने का रास्ता रुक गया। अब हमारी गवर्नमेंट ने बड़े कृपापूर्वक इन्टरमीजियेट कालेज के बजाय मल्टी परपज कालेज बना दिया, ग्यारहवीं क्लास तक खोलने की बात करी, और एक बिल्डिंग भी बनी। उसका नतीजा क्या हुआ कि अब तक तो धौलपुर के लड़के मैट्रिक्यूलेशन पास करके आगरा पढ़ने जाते थे। अब ६ वीं क्लास में एडमिशिन उनको बाहर जाकर लेना पड़ेगा। वहां मल्टी परपज स्कूल में वही लड़के जिनकी दिलचस्पी बढ़ई, दर्जी, लुहार, और कुम्हार होने की

(डा. श्री मंगलसिंह)

है वही पढ़ सकते हैं जो प्रतिभाशाली हैं, इन्जीनीयर होना चाहते हैं, डाक्टर होना चाहते हैं अथवा एडमिनिस्टेटर्स होना चाहते हैं उनके लिए रास्ता बन्द है और मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां लड़कों का दिमाग उतना ही अच्छा है, यदि अधिक ज्यादा अच्छा नहीं है तो जितने के राजस्थान के दूसरे हिस्सों के लड़कों का है। अनको इस प्रकार से बलपूर्वक, अत्याचारपूर्वक, अत्याचार शब्द कड़ा हो जायगा, बलपूर्वक आगे नहीं बढ़ने के लिए रोक लगा दी है। मैं कहता हूं कि यह अच्छा नहीं है।

इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। वे लड़के कहां जायं ऐसा दूसरा कोई हाई स्कूल वहां है ही नहीं। जहां मल्टीपरपजेज स्कूल्स बनाये, मिस्त्री बनेंगे, लुहार बनेंगे, कुम्हार बनेंगे अगर उनको लुहार, कुम्हार और मिस्त्री बनाने के भागी हम ही हैं। (हंसी) हमको तो बनाया जाय लुहार, कुम्हार, मिस्त्री और जयपुर,जोधपुर और बीकानेर के जो रहने वाले है उनको बनाया जाय एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे ऊपर राज्य करते रहें और हमारी गर्दन पर वसूला चलाते रहें, यह नहीं हो सकता है। हमको यह स्थिति सहन नहीं हो सकती।

एक माननीय सदस्य—तारीफ इसमें है।

डा० श्री मंगलसिंह—हम इतने नीचे नहीं थे, नीचे नहीं जा सकते हैं। खैर, यह विवाद-ग्रस्त नहीं है।

तो यह हाल है शिक्षा का। चिकित्सा के बारे में मैंने एक बार कहा था सदन में। मैं जल्दी जल्दी में और कह दूं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बिल पर बहस हो रही है।

डा० मंगलसिंह—बिल पर ही हैं। लेकिन जनता का असंतोष है, जनमत इसके खिलाफ है।

धौलपुर का जनमत क्यों बना है, आप कैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं यह कह रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह जनरल में कर लेगे।

डा० मंगलसिंह—जो आपको रुचिकर होता है उसके लिए दस मिनिट और देदें और जो रुचिकर नहीं होता है उसके लिए नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्पष्ट कर दूं। मेरी रुचि और अरुचि का तो सवाल नहीं पैदा होता है। यह तो उपाध्यक्ष पर निर्भर है समय निर्धारित करना। जो बातें आप कह रहे हैं वह बिल के दायरे के बाहिर हैं। जिस बिल को हम

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

आज समाप्त करना चाहते थे: ११। बज चुके हैं। और भी बोलने वाले हैं बिल पर, बिल के क्लॉजेज पर चर्चा हो तो ठीक है, मल्टीपरपज स्कूल्स के लिए जब शिक्षा की डिमान्ड आयी थी उस वक्त चर्चा की जा सकती थी।

डा० श्री मंगलसिंह—मैं समझता हूँ कि धौलपुर राजस्थान की सीमा के अन्दर है और इसलिए चर्चा करना भी सीमा के अन्दर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सीमा से बाहर जाना चाहता हूँ परन्तु मुझे बाहर जाने नहीं दिया जाता; मेरी शिकायत ही यही है।

(हंसी)

मैं लीडर की आज्ञा मान लेता हूँ। चिकित्सा की बात छोटी है, लम्बी नहीं है। धौलपुर होस्पिटल में १२० बेड्स थे और जब क्लासिफिकेशन्स के रूल्स बने तो उसके अन्दर १०० बेड्स जहां हों उसको 'बी' क्लास बनाया जा सकता है, तो उसके तीन चार महीने पहले ही उस होस्पिटल के दो टुकड़े कर दिये और एक ७५ बेड्स का और दूसरा ६५ बेड्स का। सौ बेड्स एक अस्पताल में नहीं रहने से वह 'बी, क्लास में नहीं आसकता था लिहाजा उसको 'सी' क्लास कर दिया। स्पेशि-लिस्ट ग्रेड का एक डाक्टर भेजने के लिए निवेदन किया, बहुत प्रार्थना की, तो बडी मुश्किल से एक स्पेशल ग्रेड का डाक्टर भेजने का आश्वासन दिया परन्तु कोई नहीं गया, फिर प्रार्थना की गई इसलिय एक दूसरे स्पेशल ग्रेड के डाक्टर को भेजने की आज्ञा दी गई उसके साथ साथ उनको विलायत दो साल के लिए पढ़ने के लिए भेज दिया। धौलपुर से तनख्वाह पाते रहे और धौलपुर में कोई नहीं पहुँचा, वे विलायत में पढ़ते रहे, वे वापिस आगये हैं या नहीं, यह मुझे नहीं, मालूम लेकिन धौलपुर में कोई नहीं पहुँचा यह सही है।

समय हो गया है, मेरे मन में बहुत कहने की इच्छा है। वह धौलपुर है जहा ११०० वर्गमील क्षेत्र है, वह धौलपुर हैं जहां ३॥ लाख की आबादी हैं, वह धौलपुर हैं जिससे ४० लाख रूपया प्रतिवर्ष वसूल होता है, और उस पर १२,१३ लाख रुपया खर्च किया जाता हैं, वह धौलपुर शहर है जो २५ हजार आदमियों की आबादी का शहर है, और वह धौलपुर के जिसके अन्दर राजस्थान की सबसे बडी नदी चम्बल है, वह धौलपुर है जिसमें सतयुग के राजा मकुन्द के आराम करने की जगह थी, और वह धौलपुर है कि जब कान्त यवन ने श्री कृष्णा का पीछा किया था तो उनकी रक्षा की, थी यह वह धौलपुर है जहां राणा सांगा को शरण दी। और वही धौलपुर आज लावारिस हो रहा है। (हंसी) कोई टके सेर भी नहीं पूछता है—क्या समय परिवर्तन है।

एक माननीय सदस्य—वक्त खराब करते हैं।

डॉ० श्री मंगलसिंह—धौलपुर एक तरफ दिल्ली से बम्बई जाने वाली बडी रेलवे लाईन से और दूसरी ओर दिल्ली से बम्बई जाने वाली ग्रान्ड ट्रन्क रोड के बीच में बसा हुआ है। इतना सुन्दर शहर है उसकी यह हालत कर दी। न मुझे और दूसरे लोगों को यह तो परि........का रहने का स्थान

[डा० श्री मंगलसिंह]

है, यह बात सहन नहीं हुई और मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया कि आप उत्तर प्रदेश में जाने की बात करते हो, हम आपके ऊपर रूपया खर्च क्यों करें। यहां तक कहा गया। एक दफा अस्पताल और स्कूलों की बात कर रहे थे, मैंने निवेदन किया था कि हमारे यहां पूरे स्कूल्स नहीं है, तो मुझे कहा गया कि राजस्थान में इतने नहीं हैं, हम सब को बराबर लाना चाहते हैं और तब ही हम आपकी तरफ देखेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मानलो आपके पास सौ गाये हैं उनमें से बीस दूध देती है और ८०-टाली है और सब गाये रखने वाले जानते हैं कि दूध देने वाली गायों में और नहीं देने वाली गायों में उनका खिलाने पिलाने में कुछ फर्क रखते हैं और यदि फर्क नहीं रखते हैं तो बीस गायें दूध देने वाली है वे भी टल हो जावेंगी। धौलपुर से १४० लाख रुपया वसूल होता है वह और केवल १२,१४ लाख धौलपुर पर खर्च होता है, वह भी खत्म हो जायगा। धौलपुर में एक दफा १५ लाख १३ लाख बोरी बाजरा बीकानेर भेजा गया। मैं समझता हूँ कि धौलपुर रियासत में इतना बाजरा पैदा नहीं होता जितना भेजा गया, वह मध्यभारत से स्मगलिंग होकर आया था और नतीजा यह हुआ कि धौलपुर को मण्डी करार दे दिया गया, उसमें बड़ा अनाज है और मण्डी प्राप्त होने का डिसएडवान्टेज हो गया।

एक माननीय सदस्य—मण्डी से तो फायदा होता।

डा० श्री मंगलसिंह—इस तरह से नहीं मिलता। मण्डी कर आदि अधिक लग गये हैं।

इस प्रकार से मैं यह कहूंगा कि अगर धौलपुर की जनता की इच्छा के अनुसार उत्तर प्रदेश में जाने दिया जाय तो बहुत अच्छा है। और यदि यही विचार है कि नहीं बलपूर्वक रखेंगे और अनाज की मण्डी और अन्य लाभदायक हिस्सों को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मेरी यह नम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि उसको कुछ लाड़ प्यार से रखें, यह भी तो नहीं होता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—असली बात यह है।

(हंसी)

डा० श्री मंगलसिंह—यह भी तो नहीं मानते, अफसोस की बात तो नहीं है। हमारी फरियाद दीवारों पर पड़ती है और हमारी बात को कोई सुनता नहीं। मुख्य मन्त्री क्षमा करें, मैं यह कहना नहीं चाहता था लेकिन आपने दया भाव उमड़ा दिया और विशेष कृपा की इसलिए कहना पड़ा। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग धौलपुर से यहां आये। उन्होंने कहा कि छोटी सी नाला नदी पड़ती है उसको बांध दिया जाय। कुछ सिंचाई हो जायगी मन्त्री महोदय ने पूछा कि कुओं में पानी हो जायगा, पशुओं के पीने के पानी की सुविधा हो जायगी मन्त्री महोदय ने पूछा कि ये जगह किसके क्षेत्र में पड़ती है। किसी ने मेरा नाम ले लिया। मंत्री जी ने मुंह बना कर कह दिया कि तुम अपने

[डा० श्री मंगलसिंह]

क्षेत्र की बात करो। जिस आदमी ने मुझको कहा था मैंने उसको कहा कि गलत कहते हो। तुम हमारे आपस में झगड़ा मतभेद कराना चाहते हो। लेकिन अगर इसमें एक अंश भी सत्य था तो आपका कोमल हृदय काम नहीं कर सकता। (हंसी) आपका कोमल हृदय निर्बल हो जायगा, क्योंकि, साथी सब एक से हों तब ही कोमलता रह सकती है। मैं तो अब भी उसको गल्ती समझता हूँ।

एक माननीय सदस्य—सोचने की बात है।

डा० **श्री मंगलसिंह**—सोचने की बात हो जाती है। मान लीजिये यदि मैंने यह बात कह दी कि मैं बेवकूफ हूँ; झगड़ा मिटा, और आप कहें कि आप बेवकूफ हैं। क्योंकि आप खुद स्वीकार करते हैं, यह जो आपका आर्गूमेंट है, मैं आपको नम्रतापूर्वक बताऊं, कि ये हमारी सभ्यता की बात नहीं है।

मैं इतनी ही बात कह कर बैठ जाना चाहता हूँ, अन्त में कि देश या प्रदेश की एकता के लिए और देश और प्रदेश के हित के लिए, लाभ के लिए और मुझ को या धौलपुर को जहन्नुम में भी जाना पड़े तब भी धौलपुर तैयार है इस बात के लिए। मैं राजस्थान को ऐसा ही अच्छा समझता हूँ जितना उत्तर प्रदेश को। लेकिन आर्गूमेंट करते हैं कि इतना सेक्रेफाइस करना पड़ा। धौलपुर इस बात के लिए तैयार है कि देश के हित के लिए, उनके लाभ के लिए, उसकी एकता के लिए, प्रदेश की एकता के लिए, हर प्रकार का त्याग करने और कष्ट सहने के लिए तैयार है. सात साल सहा, वह सात साल और सहने के लिए तैयार हैं।

(करतलध्वनि)

लेकिन यह बात कही जाती है कि हम उत्तर प्रदेश में जाना नहीं चाहते, राजस्थान में रहना चाहते हैं यह कटे पर नमक छिड़कना जैसा है; कृपा कर ऐसा न कहें। आप तलवार उठाकर हमारी गर्दन काटना चाहें तो हम गरदन को हिलावेंगे नहीं। इसलिये नहीं कि हम को दर्द नहीं होता है, या मोत का डर नहीं है, गर्दन कटने में दर्द जरूर होगा बल्कि इसलिये नहीं हिलावेंगे कि कहीं आपकी तलवार का वार खाली नहीं चला जाय। गर्दन कटवाने को हम तैयार हों और उसकी कीमत में कृपा करके यह तो ख्याल किया जाय कि गवर्नमेन्ट जो सिफारिश करे उस समय इस पर विचार करें। और यदि आपने यह विचार किया है कि हम तो जाने ही नहीं देंगे चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो। इसके बाद में मुख्य मंत्रीजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और आशा करता हूँ कि मेरी प्रार्थना पर सहृदयता पूर्वक विचार करेंगे और इस विचार को केन्द्रीय सरकार के पास भेजने की कृपा करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उपाध्यायजी, वह आज सारे देश के सामने एक अहम मसला है और कुछ हद तक अपने इसी प्रदेश के लिये, मैं मानता हूं कि यह इतना ही अहम मसला है। पहले इसका जो मसविदा कानून का हमारे सामने आया उसके अलग अलग भाग पर अपनी राय मैं दूं मैं समझता हूँ इस मसले पर हमारे दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि कौनसा वह सिद्धान्त है जिस के आधार पर हमें अपनी राय मुकर्रर करनी चाहिये। इस पर दो शब्द मैं अर्ज करना चाहता हूँ।

एक विचारधारा है मुल्क में और कुछ थोड़ा सा आभास सदन में होगा, इस विचारधारा का आधार यह है कि हमारे मुल्क का एकता, हमारे देश की एकता के दृष्टिकोण से प्रान्तों के विभाजन का प्रश्न नाया तथा पुनर्गठन का प्रश्न यह मामला और गौण प्रश्न है इसका कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है और देश की एकता कोई बुनियादी बात है जिसे हमें ध्यान में रख कर चलना चाहिये। मैं समझता हूं उपाध्यायजी, एक ओर यहां कोई भी आदमी इस बात को स्वीकार करेगा कि आज भी और पहले भी मुल्क की एकता का प्रश्न, देश की एकता का प्रश्न, ऐसा था और है जिसमें कमी नहीं आने देनी चाहिये। लेकिन इस के बावजूद प्रश्न फिर भी हमारे सामने यह रहेगा कि इस एकता का निर्माण कैसे किया जाय और उसका एक इतिहास है। आज यह मसविदा हमारे सामने आया है उस मसविदे की शुरूआत आज से ३ साल पहले हुई है। उपाध्यायजी, जब देश के कुछ भाग में वहां के रहने वाले लोगों ने प्रश्न खड़ा किया, विशेष कर आन्ध्र में वहां के लोगों ने यह प्रश्न प्रस्तुत किया कि देश की एकता का निर्माण करने का केवल एक ही मार्ग है और वह यह कि भाषावर प्रान्त रचना के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाय। यह हमारी बदकिस्मती समझिये, या देश की बदकिस्मती समझिये कि जिस सिद्धान्त को आज से कई वर्ष पहले कांग्रेस ने स्वीकार किया था, जिस सिद्धान्त के आधार पर सन् ४६ में आम चुनाव के समय घोषणा करके आम चुनाव लड़े थे, उसी सिद्धान्त को लागू करने का जब मौका आया श्री कोटिरामल्लु की मृत्यु की कीमत चुकाने के बाद आंशिक रूप से स्वीकार करने की स्थिति देश के नेताओं के सामने आई। श्री कोटिरामल्लु की मृत्यु के बाद आन्ध्र का निर्माण किया गया उसके बाद यह प्रश्न आया कि चाहे केरल, चाहे करनाटक, चाहे राजस्थान, चाहे पंजाब या अन्य लोगों का प्रश्न हो भाषावर आधार पर उनका पुनर्गठन किया इस प्रश्न के पुनर्गठन आयोग को पैदा किया जाय। हकीकत यह है कि इस उसूल को आज तक माना और इसी उसूल पर कायम रह कर राज्य पुनर्गठन आयोग या बाद में भारत सरकार की केबिनेट सब कमेटी चलती तो सम्भव है आपसी मतभेद, झगड़े, मन मुटाव, खून खराबी आदि बातें देखने को नहीं मिलती। लेकिन आज वाद विवाद करते समय हमें इसके इतिहास की घटना को सामने रखना पड़ेगा जिस घटना के बारे में कुछ उल्लेख विरोधी दल के नेता ने किया और उन घटनाओं से देश के अलग अलग इलाके के लोगों में मन मुटाव हुआ। लेकिन जितना मन मुटाव हुआ उससे कहीं ज्यादा तनाव की स्थिति पैदा हुई। मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो देश के नेता कहलाते हैं, समाज के नेता कहलाते है और जिन्होंने गैरजिम्मेदाराना तरीके से काम किया है। उन्होंने यह कहा है कि भाषावार प्रान्त रचना को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। आज यह मसविदा हमारे सामने है केरल बनाना है, तामिलनाड

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बनाना है आन्ध्र का सूबा बन गया अब विशाल आन्ध्र के लिये रजामन्दी है। और भी कई सूबे बने और भाषावार के आधार पर बने। राजस्थान भी भाषा के रूप में कायम है। मैं समझता हूँ उसूल भाषावार के आधार पर एक किस्म से हैं। लेकिन जब बम्बई का प्रश्न आया और जब इस प्रश्न को हल करने का समय आया तो यह मानना पड़ेगा और मैं कहता हूँ विरोधी दल के नेता ने जैसा कहा वह सेन्ट परसेन्ट सही है कि भारत सरकार के बडे बडे नेता दब गये। गुजरात के पूंजी पतियों का दबाव समझिये या और लोगों का दबाव समझिये या और लोगों का दबाव समझिये लेकिन दब गये, निहित स्वार्थ के कारण हिचकिचा गये। समुचित महाराष्ट्र को कबूल किया लेकिन यह तय किया कि बम्बई महाराष्ट्र का भाग नहीं रहेगा। जब उनसे पूछा गया कि किस आधार पर यह निर्णय किया तो उत्तर दिया कि बम्बई के निर्माण में दूसरे लोगों की भी पूंजी लगी है, बहुत कुछ दूसरे लोगों ने भी खर्च किया है इसलिये भाषा के लिहाज से, आबादी के लिहाज से महाराष्ट्र के भाग हो सकते थे बावजूद भी बम्बई को महाराष्ट्र का भाग नहीं रख कर अजमेर की श्रेणी का पार्ट सी स्टेट रखा। वहां पर ४०-५० लाख लोगों की आबादी होते हुए भी यह पार्ट सी. स्टेट बनेगा महज इसलिये कि जिन लोगों ने पूंजी लगाई है उन लोगों के हाथ में विटो पोवर की स्थिति आई। यह आपका उसूल है तो यह बेहूदा है। यदि यह उसूल है तो कल जाकर राजस्थान के लोग यह कह सकते हैं कि कलकत्ते को बनाने में हमने पूंजी लगाई है इसलिये इसको पार्ट सी. स्टेट बनाइये तो यह बेहूदी बात होगी। लेकिन बम्बई के मामले में उसूल ठुकराया गया और इस कारण से लोगों में मन मुटाव पैदा हुआ। आज लोग कहते हैं कि असलियत को देखे बिना कहते हैं कि छोटे से इलाके के लिये क्यों इस तरह से तकाजा कर रहे हैं। ठीक बात है। देश में ऐसा वातावरण होना चाहिये कि छोटी मोटी बात के लिये लड़ाई की स्थिति पैदा न हो।

लेकिन वह कब होगा, तभी होगा जब कि इस उसूल को मानेंगे इस उसूल में चाहें कितना ही बडा आदमी क्यों नहीं आये, इसी उसूल से काम हो।

आज राजस्थान में भी इस हद तक ऐसी समस्याएं आ रही हैं, धौलपुर से आये हुए माननीय मित्र बोल रहे थे, काफी आवेश की भावना से बोल रहे थे, कुछ मित्रों की राय कोई मतलब नहीं रखती, कुछ की राय है कि धौलपुर उत्तर प्रदेश का इलाका रहना चाहिये, कुछ कहना है कि राजस्थान में ही रहना चाहिये। मध्यभारत और राजस्थान के बीच में कुछ सीमाओं का खुला प्रश्न हमारे सामने आया, मेरा कहना है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमें इस बारे में वही उसूल का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। जो इलाके ऐसे हैं जिनके बारे में भी निश्चत तौर से जानकारी करना है, छानबीन करना है उनके बारे में छानबीन की जाय लेकिन छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने के बारे में तनाजे की जरूरत नहीं। जो क्षेत्र ऐसे हैं कि जो राजस्थान में हैं परन्तु जिनकी संस्कृति भाषा, रहन सहन राजस्थान से मेल नहीं खाते हैं और ऐसा प्रश्न आये तो मैं नही समझता कि हठधर्मी का उसूल अपनाना चाहिये।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस लिये मैं यह ठीक मानूंगा कि आज के दिन हम इस बहस में न पड़े कि अमुक हिस्सा इसमें आना चाहिये और अमुक इसमें नहीं आना चाहिये बल्कि बहस इस बात पर होनी चाहिये कि अगर देश में एकता करनी है तो भाषावार प्रान्तों का निर्माण कीजिये और बाउन्डरी एडजस्टमेंट करने की बात हो तो दोनों प्रान्त मिल कर बाउन्डरी कमीशन के जरिये छोटे मोटे मामलों को तय करें, यह बुनियादी चीज है जो सेंटर को करनी चाहिये।

और चूंकि हम इस बिल में भी इस उसूल से भटक गये, मैंने बताया कि बम्बई के बारे में कि उसूल से भटकने का यह नतीजा हुआ कि देश में आग लग गई और तनाव की स्थिति पैदा हो गई।

यह बीमारी क्या थी? यह बीमारी यह थी कि जिस उसूल को माना, उस उसूल से घबरा गये और उस बीमारी का इलाज करने की बजाय, बुखार की तो अभी हालत है मरीज की और उसे ठंडे पानी से नहलाया जा रहा है, संभव है कि थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाय पर नमोनियाँ हो जायगा। भाषावार प्रान्तों के उसूल को माना भी, तनाजे की स्थिति पैदा की, कांग्रेस कमेटी के मेम्बर कुछ इधर कुछ उधर, देश में एक पार्टी में ऐसी हालत पैदा हुई और यह होने के बाद बी. सी. राय मैदान में आये, श्री कृष्ण बाबू बिहार की तरह से मैदान में आये और सुबह उठे तो सुना कि बंगाल और बिहार का विलय हो गया, मैंने सोचा उपाध्यक्ष महोदय, कि झगड़ा क्या था, कुछ क्षेत्र बंगाल में रहने चाहिये या बिहार में, इस झगड़े का निबटारा नहीं हुआ, श्री कृष्ण बाबू ने कहा कि स्तीफा दे दूंगा. इस छोटे क्षेत्र के बारे में उसूल का मतभेद था वह तो हल नहीं हो पा रहा था और चले हैं बंगाल और बिहार का विलय करने। इसका नतीजा क्या हुआ, बंगाल कांग्रेस में इस पर विचार हुआ तो १५ शर्तें रखीं, एक शर्त यह थी कि हमको राइट ऑफ ससेशन होना चाहिए, बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा कि अगर ससेशन की बात हुई तो मैं कभी मानने वाला नहीं हूं। नतीजा यह हो रहा है कि बंगाल और बिहार में इस विलय का विरोध हो रहा है। नतीजा इसका यह हुआ कि विधान बाबू और राय बाबू की हालत खराब हो रही है और कलकत्ते में आज सत्याग्रह हो रहा है कि १५ अप्रेल का होने वाले इस मर्जर के मामले को ड्रोप कर दिया जाए।

देश से हमें सबक सीखना चाहिये। एक बार दक्षिणी प्रदेश की हवा चली थी और राजस्थान में भी मनचले लोगों की कमी नहीं, जब सारे देश में हवा चली तो राजस्थान में भी पश्चिमी प्रदेश की हवा चली। राजस्थान तो सम्हाले नहीं सम्हलता और पश्चिमी प्रदेश बनाने चले, महाराष्ट्र को तो बम्बई दिया नहीं जाता और पश्चिमी प्रदेश बनाने चले। मुझे खुशी है कि वह बुलबुला आया और थोड़े दिनों बाद खत्म हो गया पर, वही पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है जोनल कौंसिल के रूप में इसे रख दिया गया है कोओर्डिनेशन का काम करने के लिये जोनल कौंसिल को रखा गया है और यह आगे के लिये इसके लिये सोलिड जमीन बनेगी। अंग्रेजों के समय में एक प्रणाली थी, जहां उन्हें लगता था कि राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति ज्यादा है और विधान सभाओं में उन जगहों से ऐसे आन्दोलनकारी लोग बहुमत में चुन कर न

Page No 80

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आ जाय इसलिये ऐसे स्थानों में कौंसिल्स चुन ली गई इससे ६ साल तक उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता, लोअर हाउस में उनका बहुमत आ गया तो कौंसिल हाउस बना रहेगा। यह बीमारी हमारी कई क्षेत्रों में रखी गई और हमारे यहां ऐसा देख रहे हैं कि और जगह डबल चेम्बर है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है। डबल चेम्बर का तरीका प्रगति को रोकने का तरीका है जो साम्राज्यवाद ने ईजाद किया था।

इसी तरह जोनल कौंसिल का तरीका भाषावार प्रान्तों के उसूल को चोट पहुँचने वाला रास्ता है बंगाल बिहार का विलय नाकामयाब रहा यह जनता ने बता दिया, दक्षिण प्रदेश की हवा उठी और बुलबुले की तरह खत्म हो गई, आज नहीं तो कल देश में होकर रहेगा, भारत सरकार कह रही है कि बम्बई को हम महाराष्ट्र का अंग मानने को तैयार नहीं पर दुनियां देखेगी कि संयुक्त महाराष्ट्र का अंग बम्बई बन कर रहेगा, क्योंकि वह महाराष्ट्र का अंग है। अगर कोई यह सोचे कि जोनल कान्फ्रेन्सेज से लोगों के दिमाग से यह बात चली जायगी, तो यह उनकी भूल होगी।

उधर श्री बाबू बताने लगे कि ४ करोड़ हैं बिहारी हम इस मसले को हल कर लेंगे तो इधर राय बाबू कहते हैं कि आबादी से क्या होता है हम इन्टेलेक्चुअल से इसे हल करेंगे।

ज्यादा लोगों की यह वाजिब इच्छा है कि हमारे प्रदेश भाषावार आधार पर बनें जिससे लोगों को अपनी अपनी भाषा में काम करने का मौका मिले, राज काज में अपनी भाषा का प्रयोग करने का उन्हें मौका मिले, उनकी प्रगति हो और जब इस उसूल को मानेंगे तभी देश में शान्ति होगी।

मैं समझता हूं कि इस कानून के मसविदे में पश्चिमी प्रदेश से उड़ा कर राजस्थान को जोनल कौंसिल बनाने का तरीका बनाया गया है मुझे इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता। यह शिकायतों का एक नया दफ्तर होगा, इसमें किसी तरह से तथ्य नजर नहीं आता। तो यह तो हुई जहां तक इसके बारे में आम तौर से स्थिति की बात।

अब दो तीन चीजों की ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि सबसे पहले उस क्षेत्र के बारे में जिन इलाकों के बारे में बाउन्ड्री एडजस्टमेंट हुआ उसके बारे में क्या हल होना चाहिये इसके बारे में पहले कह दिया गया था। कुछ और भी चीजें हैं और मैं यह समझता हूँ कि उनका स्वागत किया जाना चाहिये। जहां तक राजप्रमुख के पद को खत्म करने का जिक्र है वह पार्ट 'ए' स्टेट होने से खत्म हो जाता है और इस चीज का हमें स्वागत करना चाहिये और मैं समझता हूँ कि पार्ट बी. और सी. स्टेटों को समाप्त करने का जिक्र है उस चीज का भी हमें स्वागत करना चाहिये और मैं समझता हूं कि इनके बारे में आज किसी भी व्यक्ति की दो राय नहीं हो सकतीं। राजप्रमुख की दकियानुसी प्रणाली थी और उसको खत्म होना ही चाहिये था। अब राजप्रमुख के पद भी समाप्त हो जावेगा और राजस्थान पार्ट ए स्टेट का रूप ले लेगा यह एक नई चीज है इस तरफ तरक्की जरूर हुई है।

Page No 81

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आबू और अजमेर के सिलसिले में जो कुछ हुआ है वह भी ठीक चीज हुई है। अजमेर एक छोटा सा टापू राजस्थान के बीच में था और वह इसलिये अंग्रेज के जमाने म कायम किया गया था कि वहां पर अंग्रेज का रजिडेन्ट रहा करता था और नसीराबाद में उनकी फौजी टुकड़ी रहती थी। यह साम्राज्यवाद के रूप में काम में आती थी। अब न तो अंग्रेज हैं और न उनका जल जला है अब देश आजाद हुआ है और देश को उन्नती करनी है। साम्राज्यवाद की बोरीये विस्तर गोल हो चुके। अब कोई कारण नहीं कि वह अलग राज्य बना रहे। इसलिये अजमेर का जो इलाका वह भी राजस्थान में मिलाया जायगा यह भी स्वागत करने योग्य कदम है। लेकिन अब अजमेर के विलय के बाद तरह तरह की हवाएं उठती हैं। जिम्मेदार लोग जो कल तक चीफ मिनिस्टर थे और आज के मुख्य मंत्री भी और एक तारीख के मुख्य मंत्री अपनी राय डाल देते हैं और कहते हैं कि अजमेर का विलय तो हुआ सो ठीक है अब राजधानी अजमेर को बनाई जानी चहिये। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न राजस्थान के इतीहास में पुराना प्रश्न है। इसको क्षेत्रीय तौर पर समझा लें। कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह का रहने वाला हो, थोडा बहुत सेन्स रखता हो वह इस बात को मानता है कि केपिटल के लिय स्युटेबल प्लेस जयपुर से दूसरी नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि यह समझते हुए भी फिर कोई भी व्यक्ति अपनी जगह को जहां से वह आया है स्युटेबल माने तो कोई रही नहीं। मैं मानता हूं कि आज राजस्थान में जो राजस्थान की राजधानी है वह सब दृष्टि से वाजिब है और रहेगी। बावजूद इसके कोई क्षेत्रीय भावना रखता हो वह अपने स्थान को अच्छा बता सकता हैं। मैं यह कहूंगा कि जोधपुर में ऐसे भवन हैं जो जयपुर से ज्यादा स्युटेबल हैं लेकिन यह कोई राजधानी के लिये उचित बात नहीं। राजधानी के लिये सब दृष्टिकोण होना चाहिये। हमें मौजूदा समय में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी तरफ देखना चाहिये। पार्टए और बी स्टेटों के परिवर्तन हुए राजस्थान का एकीकरण हुआ और वह भी उस तरह का परिवर्तन हुआ। यदि इस सब की ओर देखें और इस तरफ लग जावें कि केपिटल कहां होनी चाहिये तो मैं यह कहूंगा कि यह कोई मोजू बात नहीं है। मुझे तो इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता। मैं तो यह कहूंगा कि इस संबन्ध में सब प्रकार की बहस समाप्त करके इसको उन्नती की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

एक दो और भी बातें हैं। मसलन एक प्रश्न हाई कोर्ट के जजों के वेतन का भी खड़ा हो सकता है। मेरे कोई मित्र हैं वे कहेंगे कि हमको सबको एक साथ एक ही लेवल में करना चाहिये। हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह राजस्थान के लिये बड़े गर्व की बात है, घमन्ड की बात हैं, जैसा मैंने सुना और समझ पाया, अभी हमारे यहां हाई कोर्ट के जजों की तनख्वा को एक लेवल मे लाया गया। मैं यह मानता हूं वेतन एक ही लेवल में होना चाहिये अलग अलग लेवल की स्थिति नहीं होनी चाहिये। लेकिन जहां जहां तनख्वाह कम हो उसको बढ़ा कर एक लेवल में करने के बजाय जहां तनख्वाह ज्यादा हो वहां पर उनकी तनख्वाह कम करके एक लेवल में कर दिया जावे। सब की तनख्वाह एक समान कर दी जानी चाहिये। यह क्या कि इस समाजवादी पेटर्न में भी लोगों की तनख्वाह तीन तीन हजार रुपये हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह समाजवादी पेटर्न करीब

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कराह कर रोयेगा और उसकी आत्मा कहेगी कि मेरे सिद्धान्तों को मानने वाले जब उनकी पोकेट में पैसा आता है तो सिद्धान्त की बात को भूल जाते हैं। अगर आपको एक ही लेवल में वेतन का स्थिर करना है तो जहां जहां ज्यादा तनख्वाह है कम करदेनी चाहिये। माननीय गृह मंत्री ने काफी जानकारी इस संबन्ध में प्राप्त की होगी और दूसरी सब जगहों के आंकड़े एकत्र किये होंगे। अभी जब चीफ मिनिस्टर इसका उत्तर देंगे तो कागज सामने रखेंगे और कहेंगे कि १७ में से १४ में इतना लेवल है। अगर आपको लेवल एक करना है तो करना है। इसके लिये दूसरा मौजू तरीका है वह यह है कि बड़ी बड़ी तनख्वाह हैं उनको कम कर दी जावे। और अगर कोई कहे कि यह क्या कर रहे हो तो कह दीजिये कि सोशियल पेर्टन के नाम पर कम कर दिया गया है। यह भी एक प्रश्न आया कि जिस पर थोड़ी बहुत राय हुई और मैं समझता हूँ कि इसका भी कोई नतीजा निकलना चाहिये।

अब अंत में मैं एक बात का जीक्र करना आवश्यक समझता हूँ और वह यह कि जब यहां पर बहस हुई और उस बहस में कुछ घटनाएं हुईं और कुछ एक ही पार्टी में अलग अलग राय हुई उससे मुल्क के लोगों में भी अलग अलग भावना है। ऐसा भी विचार पैदा होगा लेकिन हमको सब टंटों को छोड़ कर मिलिट्री डिसिप्लिन पर वापस चले जाना चाहिये। अभी यह कहा गया कि बड़ा प्रान्त बनना चाहिये। यह क्या की अलग अलग प्रदेशों को अलग अलग सरकारें हों और अलग अलग विधान सभाएं हों। सारे देश में एक ही पार्लियामेंट हो और मुल्क के सब जिले हों तो मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष, कि अगर हम इस बात को मानते हैं तो वस्तु स्थिति से आंखे मूंद कर चलते हैं। हमें आंखे खोल कर चलना चाहिये। अगर कोई यह समझे कि खतरे से बचने के लिये रेगिस्तान में जाकर बालू मिट्टी में अपना सिर दबाकर यह चाहता है कि यह चाहता है कि वह बंब के खतरे से बच जायगा यह वाजिब नहीं है। आंख मूंदने से कोई खतरा नहीं मिट सकता है। बालू मिट्टी में सिर दबने से खतरा नहीं मिट सकता है। यही बात हमारे कांग्रेस के बड़े नेता श्री राजगोपालाचार्य कहते हैं, उनकी भी यही राय है। उनकी यह राय है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया ?

कौन कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट ने समस्या पैदा कर दी ? कौन कहता है कि यह पुनर्गठन का प्रस्ताव सामने आने की वजह से समस्यायें पैदा हुईं। हम भूले नहीं इस बात को पुनर्गठन का आइडिया बना ही नहीं था देश में कांग्रेस की तरफ से और सरकार की तरफ से विरोध हो रहा था, तब क्या हुआ तब आन्ध्र सूबे के अन्दर जो हालत पैदा हुई और ऐसी हालत पैदा हुई जिसके नाते श्री रामोलू को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा जो भाषाई राज्य का विरोध करते थे और आज भी कर रहे हैं वे श्री राजगोपालाचार्य उस समय मद्रास के मुख्य मंत्री थे उन्होंने दिल्ली को टेलिफोन किया कि आन्ध्र की हालात हमारे बूते से बाहर है आप आंध्र सूबे की घोषणा कर दो। इस तरह से भाषाई राज्य का श्री गणेश हुआ, यह समस्या तो पहले से ही थी नई समस्या कोई पैदा नहीं हुई, उसके बाद कर्नाटक का प्रश्न पैदा हुआ, केरल का प्रश्न पैदा हुआ इस तरह से इसकी शुरूआत तो इस पुनर्गठन की रिपोर्ट से पहले से ही हो गई थी। उन लोगों का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह उद्देश्य था कि हमें अपनी भाषा में कामकाज करने का मौका मिले, हम अपनी भाषा की उन्नति कर सकें इसीलिये उन लोगों ने भाषावार प्रान्त रचना को अपनाने पर जोर दिया, ताकि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा की उन्नति कर सकें। उनकी इस प्रकार की भावना ने और उनके संघर्ष ने हमारी केन्द्रीय सरकार को मजबूर किया और उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। आज हम यदि यह सोचते हैं कि जो कुछ हुआ वह सब भूल जाय उसके ऊपर परदा डाल दें जिन लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया जिन्होंने इसके लिये आन्दोलन किया साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध और राष्ट्रीय एकता का निर्माण किया क्या वे बातें भूलने जैसी हैं कदापि नहीं। आज हम इस प्रकार का कार्य करने वाली पार्टियों के नाम को देखें तो हमें पता चलेगा कि उनका नाम, उनका संगठन भाषावार प्रान्त के आधार पर संगठन था। आज जो मध्यप्रदेश का संगठन है, वहां की कांग्रेस पार्टी का संगठन है या अन्य पार्टियों का संगठन है उनका नाम मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बल्कि विदर्भ कांग्रेस कमेटी के नाम से है, महाकोशल कांग्रेस कमेटी के नाम से है, केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी को भी लीजिये उसके नाम भी इसी प्रकार के हैं। उनकी प्रान्तीय शाखायें इन्हीं यूनिट्स के आधार पर बनी हुई हैं जिस आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है। जहां हमारी वह भावना है जो औचित्यपूर्ण है वहां हमें अपनी अपनी प्रान्तीय भाषाओं के विकास के लिये सत्र मिलना चाहिये, उसकी प्रगति के लिये मौका मिलना चाहिये, जिन संस्थाओं के संगठनों ने देश के एकता के निर्माण के समय बराबर यह वादे किये थे कि चाहे इतिहास का चक्र घूम जाय किन्तु जो वादे भाषाई राज्यों के हमने किये थे वे कभी नहीं भूले जा सकते। चाहे बंग भंग, जैसा आन्दलोन भी क्यों न छिड़ जाय भाषायी प्रान्तों की रचना होगी। साम्राज्यवादी शक्तियों को देश से भगाने के लिये हमने राष्ट्रीय एकता के नाम पर बंग भंग का आन्दोलन किया यह, इसलिये कि किसी न किसी तरह राष्ट्रीय एकता कायम रहे। उस समय की लड़ाइयां आपने किन्हीं उसूलों को स्थापित करने के लिये लड़ीं आज आप उन वादों से क्यों अलग होने जा रहे हैं। यह तानाशाही का प्रश्न नहीं; यह तो उसूल का प्रश्न है, जहां तक इस रिपोर्ट से राजस्थान का ताल्लुक है यह ठीक बात है राजस्थान की एक इकाई बनकर हमारे सामने आई अब जो कुछ हमें मिला है उसी से सन्तोष मानिये। इस इकाई के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिये यह भी आवश्यक है जो कुछ कमी है उसको राजस्थान सरकार के सम्मुख लाइये। राज्य पुनर्गठन आयोग ने जिस चीज को स्वीकार किया राजस्थान एक इकाई बनकर आई, देश के अन्दर जितनी भाषायें हमारे विधान के अन्दर रिकगनाइज हुई राजस्थानी भाषा को उसमें शामिल नहीं किया गया, किसी ने राजस्थानी के लिये किसी ने आवाज नहीं उठाई। संभव है यह चीज हमारे लीडर आफ दी हाउस को पसन्द न हो, उसूलन विरोध न करते हुए भी उन्होंने इसके लिये जोर लगाना ठीक नहीं समझा। चाहे उनकी कोई राय हो यह उनके अकेले का प्रश्न नहीं, यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं यह सारी राजस्थान की जनता का प्रश्न है, लोगों का प्रश्न है जो देहातों में रहते हैं, ऐसे ८० फीसदी लोगों का प्रश्न है यदि हम सही मायने में उनको राज काज में मौका देना चाहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के उसूलों पर देहातों को ले जाना चाहते हैं जो कुछ उन्होंने कर दिया उस पर सन्तोष ही व्यक्त किया जाय। इसके साथ साथ यह भी निवेदन कर दिया जाय कि विधान में जिन १३ भाषाओं को सम्मिलित किया गया है उसमें

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

राजस्थानी भाषा को भी मान्यता दी जाय। हमारी यह प्रार्थना उसमें सम्मिलित की जानी चाहिए राजस्थानी भाषा को भी रिकगनाइज्ड भाषा के रूप में जोड़ना चाहिये। और इसके साथ साथ इसके प्रगति के प्रोत्साहान के लिये योजनाबद्ध कार्दवाही की जानी चाहिये, ताकि जो राजस्थान का पुनर्गठन हो रहा है वह सही मायने में उसकी उन्नति हो पायेगी। इतनी मिसाल हमे अपने सामने रखनी चाहिये कि जो कुछ भी हमने निश्चय कर लिया है उस पर कायम रहें। मैं समझता हूं जहां तक राजस्थान के पुनर्गठन का प्रश्न है किसी के मतभेद होने का सवाल नहीं, यदि कुछ हिस्स इससे चला जाता है या कुछ हिस्सा इसमें मिलता है तो हमें दुख और हर्ष नहीं होना चाहिये हमें इसके लिये भी कुछ उसूल तय करने चाहिये आखिर कार हमें यह उसूल तय करना होगा कि किस किस प्रकार के हिस्से को हमें रखना है, किस किस को जाने देना है बिना उसुल तय किये यह कहना कि लोहारू हमें मिलना चाहिये, धौलपुर हमारे से नहीं जाना चाहिये यह ठीक नहीं है। यदि उसूल के आधार पर लोहारु हमें मिलता है तो ठीक, यदि उसी उसूल के आधार पर धौलपुर उत्तर प्रदेश में जाता तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिये। जहां तक इस कानून के मसविदे का सवाल है किसी के मतभेद होने की बात नहीं। यह जो मेरे सुझाव थे हाई कोट के जजेज़ के संबन्ध में, बाउन्ड्री के डिमार्केशन के संबन्ध में और इसके अलावा जो उसूल भाषायी प्रान्त की रचना के आधार भूत हैं उनको हमारे इस प्रस्ताव में शामिल किये जांय और इस प्रकार की राय हमारे इस विधान सभा द्वारा राज के जरिये भेज दिया जाय। मैं इस संबन्ध में यह भी निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि जिन पार्टियां ने इस प्रदेश की इकाई को कायम रखने के लिये जो प्रस्ताव पास किये हैं वे उस पर भी हमेशा कायम रहेंगे वे उस सिद्धान्त की रक्षा करने में हमेशा कटिबद्ध रहेंगे, जहां जहां भी इस प्रकार का प्रश्न उठता है वहां उन्हें उसका समर्थन करना चाहिये। राजस्थान की इकाई के पक्ष में बोलते हुए हमें यह भी मानना चाहिये कि बंबई संयुक्त महाराष्ट्र को मिलना चाहिये हमें इस सिद्धान्त को भी स्वीकार करना होगा अगर हम इस सिद्धन्त को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भी जो कुछ सिद्धान्त होंगे उनको भी दूसरे लोग स्वीकार करने में नहीं हिचकेंगे। अवसरवादी बनकर चलना दूसरी बात है। लेकिन जो सिद्धान्त एक बार मन्जूर कर लिया उसी पर कायम रहेंगे इन शब्दों के साथ मुख्य मंत्री से यह निवेदन करूंगा जिन सुझावों को मैंने रखा है उनको समावेश करते हुए उन सिफारिशों को भारत सरकार के पास भेजेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—भैंरूसिंह।

जो संशोधन आपने दिया है उसमें छ आइटम हैं, उन ६ आइटम में से नं. २, ५, और ६ को डिसअलाउ किया गया है, बाकी के तीन आइटम्स पर आप बोल सकते हैं।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री ने राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस प्रस्ताव पर मैंने एक संशोधन प्रस्तुत करने के इरादे से मैंने सदन में

Page No 85

[श्री भैरूसिंह]

वह प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष की सेवा में प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव को द्वारा मैंने यह मांग की थी कि मुख्य मंत्री के प्रस्ताव में यह संशोधन किया जाय।

"यह सदन भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये राज्य पुनर्गठन विधेयक १६५६ में वर्णित राजस्थान राज्य के पुनर्गठन संबन्धी प्रावधानों का समर्थन करते हुए निम्न लिखित मांग करता है।

पहली मांग यह थी परमानेन्ट जोनल कोन्सिल समाप्त किये जाय। दूसरी मांग यह थी जो रिजेक्ट कर दी गई लेजिस्लेटिव कौंसिल को समाप्त किया जावे, चौथी मांग यह है कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज को कोन्स्टीट्यूशन में सेफ गार्डन दिया जावे। तीसरी मांग यह थी कि बिना जनता की राय जाने निर्वाचन क्षेत्रों में हेर फेर का अधिकार नहीं होना चाहिये।

पांचवी मांग जिसको इजाजत नहीं दी गई स्टेट के स्थान पर प्रोविन्स माने जावें तथा उसी प्रकार का विधान में संशोधन किया जावे।

छटा जिसकी अनुमति नहीं दी गई एकात्मक शासन व्यवस्था लागू करने के लिये विधान में आवश्क प्रावधान किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष, जिन तीन मुद्दों पर मैंने माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है उनमें से पहला है इस राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबन्ध में जिन जोनल कौन्सिल्स की चर्चा की गई है वह जोनल कौन्सिल्स समाप्त की जावें। इस सम्बन्ध में सदन के विरोध दल के नेता ने व एक विशेष दल से संबन्धित माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया था। सदस्य ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि जोनल कोंसिल को समाप्त किया मैं भी इस मत का हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं।

अपना यह मत इस सदन में प्रस्तुत करूं उससे पूर्व यह भी बता देना चाहूंगा कि राज पुनर्गठन के सम्बन्ध में जिस पर जोधपुर से जाने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि हमने बुनियाद में कुछ भूल की है वह बात उनकी तरफ से शायद इस कारण से हुई कि राज के पुनर्निमाण में हमने भाषावार प्रान्तों की रचना को विशेष महत्व नहीं दिया। मैं समझता हूं कि भूल उस जगह नहीं हुई, उस जगह तो सावधानी से काम लिया गया है और उचित ही कदम उठाया गया है। पर भूल उस जगह पर हुई जहां हम भाषावार प्रान्त निर्माण से हटकर प्रान्तीयता की भावना के चक्कर में पड़कर एकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, जो भारत के लिये विशेष प्रकार की सुविधा जनक और एकतन्त्रताओं में बान्धे रखने वाली जो शासन प्रणाली थी, उसको इस सारे चक्कर में भूल गये।

इसके बाद राज पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई और उस पर जो जनमत जानने का सरकार ने प्रयत्न किया वह जनमत की जानकारी उन्हें मिली बम्बई और महाराष्ट्र के उस भीषण काण्ड के रूप

Page No 86

[श्री भैरू सिंह]

में, भाषवार प्रान्तों की रचना को लेकर जो सदस्य यह समझते हैं कि देश में एकता लाई जा सकती है मैं समझता हूं कि वे भूल करते हैं। इसके प्रमाण में बम्बई का काण्ड हमारे सामने है। महाराष्ट्र और गुजरात के रहने वालों में इस प्रकार की भेदभाव की बात पैदा हो सकती है, आगजनी अपहरण, बलात्कार, लूट पाट और सम्पत्ति विनष्ट की ये सारी बातें हो सकता हैं, मैं समझता हूं कि वे सारी की सारी बातें इस कारण से हुई कि हम ने भाषावार प्रान्त के नाम से वह जहर उनमें पैदा किया कि वे यह समझने लगे कि हम महाराष्ट्र की भाषा बोलते हैं और गुजराती समझने लगे कि हम गुजराती बोलते हैं, दोनों ही हम एक साथ नहीं रह सकते। तो हमें इससे यह दलील लचर मालूम होती है कि भाषा के आधार पर हम एकात्मक रूप ला सकते हैं। मैं यह समझता हूँ कि यह असम्भव है इस तरह से।

अब हमारे सामने एक प्रश्न है कि भारत एक देश है और इसमें किस तरह एकता रही सकती है। यह सब मानते हैं कि देश में एकता रहनी चाहिये। कुछ लोग कहते हैं और सोचते हैं कि भाषा के आधार पर जितने ज्यादा देश के टुकड़े हों, कहता बड़े, बड़े। हम उस स्थिति को एक्सप्लोइट करके फोरिन एलीमेन्ट की सहायता से देश को छिन्न भिन्न करके अपना समाज स्थापित करलें, अपना प्रभुत्व जमा लें। मैं समझता हूँ कि देश की भाषावार प्रान्तों की रचना के आधार पर ऐसी कोई योजना उनकी तरफ से बनती है तो यह समझ में आती है। पर हमारा देश एक है और उस एकता को बनाने में और बनाये रखने में योगदान करने वाले लोगों का आज बहुमत है, जो देश की एकता को छिन्न भिन्न नहीं देखना चाहते ऐसी स्थिति में हमें चाहिये था कि हम एक-तन्त्रात्मक शासन पद्धति को इस प्रकार के विविध ग्रामों में स्वीकार कर लेते तो न आज यह दिक्कत आती न जनता को दिक्कत होती और पंजाब में सिक्खों को और महापंजाब के समर्थकों को खुश करने के लिये जो रीजनल कौन्सिल की बात जबर्दस्ती माननी पड़ रही है उसके मानने की नौबत ही आती।

हम एक कानून बनाते हैं। राजस्थान में उसकी रूपरेखा और ही है, मध्यभारत उसे किसी और ही रूप में बनाता है, बम्बई कुछ और ही ढंग का बनाता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि कानून वे सब बनाते हैं और एक ही मतलब के लिये बनाते हैं, किसानों के लिए कानून बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये कानून बनाते हैं और अनेकों प्रकार के इसी तरह के कानून बनाते हैं। तो यह सब अलग अलग नहीं बना कर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारी लोकसभा इस तरह के कानून बना दे और वे सब पर लागू कर दें तो यह इच्छा के प्रतिकूल कौनसी बात हो जाती है। तो इस तरह से यदि वे सब एक साथ मिलकर कानून बनावें जो सारे भारत पर लागू हों तो यह ज्यादा उचित होगा। इससे एकरूपता आवेगी और यह ज्यादा अच्छा होगा बनिस्पत इसके कि विधान सभाएं अलग अलग कानून बनाते जावें और निरर्थक उसमें पैसा व्यय किया जावे जो कानून एक ही जगह बन सकता है और थोड़े से खर्चे में बन सकता है। आखिर केन्द्र में जो लोग बैठे हैं, लोक सभा में जो लोग बैठे हैं वे भी

[श्री भैरूंसिंह]

तो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको भी तो जनता ने ही चुन कर भेजा है। आज बम्बई में शराबबंदी है, राजस्थान में नहीं, हालां कि वहां भी और यहां भी एक दल की सरकार है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है क्या बम्बई में शराब पीने से नैतिक पतन ज्यादा होता है जो कि रोकना जरूरी है और राजस्थान में शराब पीने से नैतिक पतन कम होता है या नहीं होता, क्या बात है, जिससे कि यहां लागू नहीं होता? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि देश में एकता लानी है तो हमें एकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाना होगा। भाषा के आधार पर लोगों की भावनाओं को उभाड़कर जो जनता का एक्सप्लोइटेशन किये जाने की बात की जा रही है उसको रोकना होगा यूनीटरी फार्म आफ गवर्नमेंट हमें स्वीकार करना चाहिये। इसके लिये हमें अपने कान्स्टीट्यूशन में भी आवश्यक संशोधन करना चाहिये।

हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारा देश एक रहा है। इस में अलग अलग राज्य बनें, ऐसा नहीं होना चाहिये। लोग कहते हैं कि अमेरिका में भी यूनियनें बनाकर एक संघात्मक राज्य है। मैं इस बात को मानने वाला नहीं। अगर इस बात को आप स्वीकार करते हैं तो स्टेट के नाम पर प्रोविन्सेज को कायम रखकर उनको हम अपने पावर डेलीगेट कर सकते हैं। कान्स्टीट्यूशन ने वे अधिकार दे रखे हैं पर इससे देश का भला होने वाला नहीं है।

आज हम देखते हैं कि एक प्रान्त को दूसरे प्रांत में मिलाने के कारण एक जहर सा फैल गया है सारे देश में और बहुत मुमकिन है कि आगे ये ही अधिकार हमने और बढ़ाकर उन्हें दे दिये तो कोई भी ऐसा जहर फैलने का मौका आया और मिलिटरी और पुलिस का उनका जोर बढ़ गया तो उस सूरत में सारे भारत की संघीय सरकार के खिलाफ कोई भी बड़ा षड्यन्त्र भी किया जा सकता है और इससे देश की एकता भी छिन्न भिन्न हो सकती है जिसका परिणाम यह भी हो सकता है कि हम अपनी स्वतंत्रता से भी हाथ धो सकते हैं। तो इस तरफ से हमें सावधान होना होगा।

हमारा एक संघ है, उसके नीचे जितने भी प्रांत हैं हम उनको पावर भी डेलीगेट कर दें और इस संघ की सारी कार्यवाही पूरी करदें। उस में भी एकतन्त्रात्मक शासन से यह मतलब नहीं है कि हम उनको समाप्त ही कर दें। समाप्त भी कर सकते हैं और और नहीं भी कर सकते हैं, पर यह निश्चित है कि उनके ओटोनोमस पावर की चैकिंग जरूर होगी और हम उनको पावर भी डेलीगेट करेंगे उसी रूप में; न कि उनका पावर इस इस प्रकार से बना रहे कि वे कोई जहर फैलने की स्थिति में आने पर देश की एकता को नुकसान पहुँचा बैठें।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि भाषा के पचड़े में हम न पड़ें, प्रांतीयता और क्षेत्रीयता के पचड़े से दूर रहें और इस दृष्टि से कि हमारा देश एक है और इसकी एकता को बनाये रखने के लिये प्रयत्न करें और इस एकता को बनाये रखने के लिये एकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार करने के लिये आगे बढ़ें।

[श्री भैरूसिंह]

मैंने जोनल कौंसिलों के बारे में अपना संशोधन पेश किया था । जब चारों तरफ राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर भाषण प्रतिक्रियाएं होना शुरू हुईं, चारों तरफ झगड़े बढ़ने लगे और लोगों में इस प्रकार की एक प्रेरणा मिली कि संघर्ष करके जो चाहो सो प्राप्त करो तो सेंटर के नेताओं को चिंता लगी कि इसे किस तरह से रोका जावे, इस पर किस तरह से एक जबर्दस्त रोक लगाई जावे तो सोच कर लोक सभा में उन्होंने घोषणा की कि सारे देश को पांच भागों में विभक्त कर दिया जावे । पर इसमें कोई तन्त है ऐसा नहीं लगता । लेकिन इस घोषणा से एक नतीजा जरूर हुआ । जो लोग अलग अलग मनोवृति के कारण से एक दूसरे में मिलने न मिलने कारण संकर्लिमक भावना लिये हुये थे वे जोन के बारे में सोचने लगे और छोटी छोटी भावना दूर हुई और जोन का नक्शा सामने आ गया । यदि उस समय जोन की बात नहीं कही जाती तो जो गंदा वातावरण था उसमें निरन्तर वृद्धि होती। ६ जोन्स की बात आई । जोन्स के बाद बंगाल और बिहार के विलय की बात आई है, बंगाल और बिहार के विलय के बाद राजस्थान को मिलाकर पश्चिमी प्रदेश बनाने की बात, ये सारी बातें डेवलप की गई हैं । राजस्थान के एक विशेष दल ने कहा कि हम किसी महाराष्ट्र या गुजरात से नहीं मिल सकते हैं, एक दूसरे विशेष दल ने कहा कि हमें मिल जाना चाहिए। वैसे सारे देश में बंगाल और बिहार को लक्ष्य बनाकर सब लोगों ने अपनी राय व्यक्त की । एक बड़ा प्रोविन्स बने उससे मेरा विरोध नहीं है । एक छोटा प्रोविन्सेस ने उससे मेरा विरोध नहीं है । वह किसी प्रान्त में मिलता है तो उससे मेरा विरोध नहीं है, कोई दूसरा प्रान्त इसमें आकर मिले तो मेरा इससे कोई विरोध नहीं है । सारी चीजों की राष्ट्रीयता, देश हित की दृष्टि से, एकता की भावना से, निर्माण करने की आवश्यकता है । वह एकता की भावना जोनल कौंसिल से किसी प्रकार से पूरी नहीं हो सकती । इस विधेयक को यदि आप देखेंगे तो जो जोनल कौन्सिल्स हैं वे केवल एडवाइजरी कौन्सिल्स हैं । उन्हें किसी प्रकार का पावर नहीं है । उसमें एक केन्द्रीय सरकार का मन्त्री होगा, चीफ मिनिस्टर्स होंगे और दो दो मंत्री होंगे और एडवाइजर्स के नाते चीफ सेक्रेटरीज़ भी होंगे, प्लानिंग कमीशन की ओर से मनोनीत कोई एक व्यक्ति होगा, और उसका काम होगा क्या कि एडवाइस करे। जो एडवाईस करें उसको यदि प्रान्तीय सरकार मानती है तो ठीक और अगर नहीं मानती है तो किसी प्रकार से जबरदस्ती थोपे जाने वाली चीज नहीं है । एक कौन्सिल बनाते हैं, उसके लिए एक सेक्रेटेरियेट नियुक्त करते हैं, खर्चा आप बढ़ाते हैं और खर्चे का कोई उपयोग न हो और मिनिस्टर्स में; माननीय उपाध्यक्ष, यह स्पष्ट बताऊंगा, चाहे राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री में यह भावना न हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि राजस्थान वालों की यह भावना हो सकती है कि पंजाब सरकार से ज्यादे से ज्यादा खींचकर राजस्थान का लाभ उठायें । पंजाब वालों की ऐसी भावना नहीं हो लेकिन फिर भी वे चाहेंगे कि राजस्थान से ज्यादे से ज्यादा खींचकर पंजाब को फायदा पहुँचाएं । तो तीनों मंत्री एक मुख्य मंत्री और दो उनके साथी मंत्री लोगों के साथ अलग अलग प्रान्तों को रिप्रेजेन्ट करने के लिए एक स्थान पर पहुँचेंगे, एडवाइजरी कौन्सिल में निर्णय करने के लिए तो उनकी भावनाएं अपने अपने प्रान्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए होंगी, उससे यह समझना चाहिए कि यह भावना

[श्री भैंरु सिंह]

बनेगी, और प्रान्तीयता की उस भावना को समाप्त करने की वह बात नहीं हो सकेगी। मैं समझता हूँ कि वह जो भावना है वह विशेष प्रकार से डेवलप होगी।

दूसरी चीज जब कि इसके संबंध में लोक सभा में प्रधान मंत्रीजी ने भाषण दिया। यदि उस भाषण को मैं समझता हूँ, ठीक प्रकार से देखा जाय तो ऐसा भी संकेत था कि आगे चलकर इन जोनल कौंन्सिल्स को और भी अधिकार दे सकते हैं। मैं यह मानता हूँ कि यह उसी बात को संकेत करता है। हमने इस विधेयक में परमेनेन्ट जोनल कौंन्सिल्स का पढ़ा है। तो इसमें परमेनेन्ट शब्द का उपयोग किया है। परमेनेन्ट शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है यदि हम डेवलपमेंट के परपज के लिए जोनल कौंन्सिल्स का निर्माण करते तो जब तक डेवलपमेंट का काम चलता है हम उस समय तक जोनल कौंन्सिल्स की बात मानते। लेकिन इसमें परमेनेन्ट शब्द है और उस परमेनेन्ट शब्द की ताईद प्रधान मंत्री ने लोक सभा में इस प्रकार की संकेतात्मक भाषा में किया कि आगे चलकर और भी इनको अधिकार दिये जा सकते हैं। वह इस बात की रूपरेखा है कि आगे चलकर इस प्रकार के बड़े बड़े प्रान्त बनाने वाले हैं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष, फेडरल कन्स्टीट्यूशन में और फेडरल कन्स्टीट्यूशन के आधार पर बनी हुई गवर्नमेंट में बड़े बड़े प्रान्त बनेंगे और उन प्रान्तों को आटोनोमस प्रान्त बना दें तो उससे किसी तरह का देश के लिए भला होने वाला नहीं है। यह होगा तो किसी के लिए भी ठीक नहीं, लेकिन यदि भारतवर्ष में बड़े बड़े प्रान्तों को आटोनोमस पावर्स दे दी गई तो अच्छी चीज नहीं होगी। आप भले ही बड़े प्रान्त बनाइये लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट को पावर्स डेलीगेटेड होना चाहिए। आटोनोमस पावर्स नहीं होना चाहिए। मेरी मान्यता ऐसी है कि बड़े बड़े प्रान्त आप बनायें लेकिन देश के भले के लिए यदि एकतन्त्रात्मक शासन नहीं अपनाया गया, यदि पावर्स आटोनोमस न होकर, डेलीगेटेड पावर्स होंगी तो देश केहित में वह चीज अच्छी रहेगी।

दूसरा मैंने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह लेजिस्लेटिव कौंन्सिल को समाप्त करने के लिए था। इस सारे विधेयक में इस बात की चर्चा है कि इस बिल से इन राज्यों की असमानता को दूर करने की व्यवस्था की गई है, ए, बी और सी, इन तीन श्रेणी के राज्यों को हटाया और है उनकी जगह केवल दो राज्य रखे गये हैं। एक वह राज्य जो केन्द्रीय सरकार के आधीन होंगे और दूसरे वह राज्य जो स्टेट कहलायेगीं और जिनकी हम आटोनोमस पावर्स दे रहे हैं। तीन की जगह दो बनाये। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि तीनों में समानता लाने के लिए किस २ जगह चेष्टा की है। मैं मानता हूँ कि समानता का वातावरण बनाया जाय।

दूसरी चीज जो देखी है तो वह कौंन्सिल आफ स्टेट्स हैं। जिन जिन राज्यों में पहले से कौंन्सिल आफ स्टेट्स थी उनमें कौंन्सिल आफ स्टेट बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश जिसमें मध्य भारत भी शामिल हुआ है, भोपाल भी शामिल हुआ है और जिसमें और भी राज्य, विन्ध्य प्रदेश, शामिल हो रहा है, उस राज्य में पहले मध्य प्रदेश में कौंन्सिल ऑफ स्टेट होने के कारण उस राज्य में भी कौंन्सिल ऑफ स्टेट का निर्माण करने वाले हैं। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो

Page No 90

[श्री भैरूंसिंह]

राजस्थान में अजमेर शामिल हो रहा है और राजस्थान दूसरे प्रान्तों से इतना आगे नहीं है कि उस बात के लिए इग्नोर कर दें। वहां भी लेजिस्लेटिव कौन्सिल होनी चाहिए। लेकिन वह मेरा दृष्टिकोण नहीं है। उस बात का प्रिन्सीपल रख कर मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव कौंन्सिल बनायेंगे, पंजाब में लेजिस्लेटिव कौन्सिल, बनेगी, पेप्सू भी पंजाब में शामिल हो रहा है तो वहां से भी एडहाक बेसिस पर कुछ सदस्य उसमें लिये जायेंगे, मैसूर में लेजिस्लेटिव कौंन्सिल बनेगी। मतलब यह है कि जहां जहां पहले लेजिस्लेटिव कौंन्सिलें थीं और जहां नहीं थीं वहां पर एडहाक बेसिस पर रिप्रेजेन्टेटिव नियत करके हमने लेजिस्लेटिव कौंन्सिल बनाने की योजना बनाई है। लेकिन राजस्थान को उससे महरूम रखा है। इसलिए मैं समझता हूं, राजस्थान को महरूम रक्खा है यह राजस्थान की सारी जनता इन सारी लेजिस्लेटिव कौन्सिल्स का विरोध करे और मांग करे सरकार से कि इन लेजिस्लेटिव कौन्सिल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यह बात नहीं है कि हम उसके बिना कोई काम नहीं कर सकेंगे या कोई काम करेंगे तो वह अनुचित होगा। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली को वही अधिकार हैं जो कि यू. पी. की लेजिस्लेटिव असेम्बली को हैं, मध्य प्रदेश की असेम्बली को हैं, पंजाब और मैसूर को लेजिस्लेटिव असेम्बलीज को हैं। यदि राजस्थान विधान में गलती होने का कारण बनता है तो गलती सारे भारतवर्ष की जितनी विधान सभाएं हैं उन सब से होगी। अगर गलती नहीं होती है जबरदस्ती लेजिस्लेटिव कोन्सिल का रूप उनके ऊपर रखने की आवश्यकता क्यों महसूस करते हैं। राजस्थान वाले यह कह सकते हैं कि सारे भारतवर्ष में लेजिस्लेटिव कौन्सिल के बिना समर्थन के भी काम ठीक प्रकार से चलाया जा सकता है। हमारे सामने ऐसी कोई रुकावट भी नहीं आती है। जो कुछ इस प्रकार के नोटस तैयार किये हैं उन नोटस में भी इस बात का संकेत नहीं है कि लेजिस्लेटिव कौन्सिल के बिना काम चल नहीं सकता। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, कि आज राजस्थान की जनता इस भारतवर्ष में लेजिस्लेटिव कौन्सिल के नाम से जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को दूर करने के लिए अपनी भावना भारत सरकार के समक्ष इस रूप से रखना चाहिए कि इन सारी लेजिस्लेटिव कौन्सिल्स को समाप्त करें।

तीसरे संशोधन के द्वारा हमने मांग की थी, माननीय उपाध्यक्ष, कि जितने डिलिमिटेशन आफ कन्स्टीट्यूएन्सी हों वह डिलिमिटेशन जनता की राय के बिना न हो। उसमें कोई हेर फेर नहीं होना चाहिये। इस विधेयक में इस बात का संकेत है कि हमें इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाने हैं। फरवरी सन् ५७ में इलेक्शन सम्पूर्ण करने की एक योजना का एक आभास इस सारे विधेयक से मालूम होता है। सरकार से इसमें एक मांग की है कि इस विधेयक के द्वारा यदि डिलिमिटेशन जिन २ नये क्षेत्र हैं में हेर फेर करने की आवश्यकता है। उन कन्स्टीट्यूएन्सीज का डिलिमिटेशन करना है तो उन कन्स्टीटुएन्सीज का डिलिमिटेशन बिना जनता की राय लिये ही हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, कि इस बात से जबरदस्त नुकसान होने वाला है। यह एक ऐसा अनडेमोक्रेटिक स्टेप है कि जिस अनडेमोक्रेटिक स्टेप की आलोचना किये बिना कोई भी नहीं रह सकता। थोड़ी सी दो लाइनें हैं, यदि आप चाहें तो पढ़कर सुना दूं। इसमें पेज ८ पर पैरा ३० पर लिखा है, माननीय उपाध्यक्ष,

[श्री भैरूसिंह]

"Since the re-delimitation of constituencies has to be finished with in a period of four or five months at the most from the date of passing of the Bill, the procedure presdecribed for the Commission in clauses 42 and 44 is much shorter than that laid down for the former Commission in the Act of 1952. Clause 42 requires the appointment of associate members only in regard to the seven "new" States and the number of such members for each state is reduced to five. Clause 44 dispenses with the previous publication of the commission's deproposals and public sittings which were laid down in the former Act."

माननीय उपाध्यक्ष, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब इस नये हेरफेर के कारण यदि निर्वाचन क्षेत्र में किसी प्रकार का हेरफेर कमीशन उचित समझेगा तो पहले पब्लिकेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि कमीशन के द्वारा यदि कोई ऐसी बोडी नियुक्त की जाती है कि जिस बोडी में या तो उनका बहुमत हो और बहुमत नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति हों कि जो किसी विशेष राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध रखते हों। तो उनका दृष्टिकोण केवल इतना सा होगा कि हम केवल इस विधेयक में जो ऐसी धारा आने वाली है उस धारा का फायदा उठा कर हम अपने ही दल के लोगों को या जिस दल में विशेष रुची हो उस दल के सारे के सारे लोगों की जिस प्रकार की रुची हो उसी प्रकार की कोन्स्टिटीयुएन्सीज़ निर्माण करना चाहें वे निर्माण करें। इससे सबसे ज्यादा खतरा उन विरोधी दलों को पैदा हो जायगा जो आज भारतवर्ष में किसी न किसी दल के रूप में विरोधी दल में बैठते हैं। विरोधी दल जो आज के डेमोक्रेटिक सेट में विरोधी पक्ष में बैठते हैं, सरकार की आलोचना प्रत्यालोचना करते हैं, वे आज प्रजातन्त्र के लिए स्वस्थ नहीं होंगी हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं। बल्कि हमारा यह दृष्टिकोण है कि सरकार के जो अच्छे २ काम हैं उनकी सराहना करें, बुरे काम हैं, सरकार के जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं, उनको क्रिटिसाइज करें, कि सरकार कहीं खड्डे मे न गिर जांय। अगर विरोधी दल को न्याय का प्रोटेक्शन देना है तो दें। लेकिन जो विधेयक में व्यवस्था की गई है वह वैसी ही रही तो इस सारे षडयन्त्र के कारण से जो कोई इसके लिए समिती होगी वह विचार करेगी, विरोधी दल के सदस्य किसी प्रकार की राय दे सकेंगे, राय क्या देंगे, हेर फेर हो जायगा और पता नहीं लगेगा कि किस प्रकार की इस तरह से हेरफेर हुई है। राजस्थान का लोहारू का हिस्सा जा रहा है, सिरोंज जा रहा है और राजस्थान में अजमेर मिल रहा है। अजमेर शामिल होता है और अजमेर में जिन निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण कर चुके हैं, उस क्षेत्र में अगर किशनगढ़ शामिल होता है जो पहले निर्वाचन में किशनगढ़ का हिस्सा आता था उसकी पूर्ति के लिए इस प्रकार घटाते या बढ़ाते हैं तो फिर हमें आगे के लिए भी यहां करना पड़ेगा और जयपुर सीकर और दूसरे हिस्सों के निर्वाचन क्षेत्रों के हिस्सों को भी घटाना बढ़ाना पड़ेगा और जब तक पूर्ति नहीं होती है तब तक बढ़ाते रहेंगे। इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि अजमेर के शामिल होने से लोहारू या सिरोंज के निकल जाने से हमारे यहां प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, अगर वे इस दिशा में नहीं सोचें तो अच्छा है। मैं समझता हूं कि भूल हो गई होगी और उस भूल को दुरुस्त करने के लिए

[श्री भैरूसिंह]

सदन से मेरी ख्वाहिश है कि भारत सरकार से यह सदन निवेदन करे कि विरोधी दलों को जायज प्रोटेक्शन देवे और ऐसे उन सदस्यों को विरोधी दल में एक पार्टी के रूप में हैं। इन कोन्सिटीट्युएन्सीज़ के हेर फेर में उनकी राय लें और राय जानने से पहले उनका पब्लिकेशन करायें और जानकारी दें और अगर नहीं करते हैं तो माननीय उपाध्यक्ष, यह एक प्रकार से अनुचित होगा।

इन तीनों चीजों के अलावा इस बात का उल्लेख किया गया कि अजमेर को राजधानी बना दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना बड़ा सरल है और करना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं कि अजमेर की जनता के बीच में खड़े होकर कहें कि अजमेर को राजस्थान की राजधानी बना दी जाय तो सचमुच अजमेर के लोग खुश होंगे लेकिन समूचे प्रांत की जिन पर जिम्मेदारी है, समूचे प्रांत की शासन व्यवस्था की जिन पर जिम्मेदारी है, इस कारण से राजधानी बनायें कि आज की सरकार रद्दी है, आज की सरकार सब की जरूरीयात को पूरी नहीं कर सकी है, आज की सरकार भ्रष्टाचार में फंसी हुई है और इस कारण से सोचें कि अजमेर को राजधानी बना देने से सरकार बनेगी, सुधार हो जायगा लेकिन मैं समझता हूं कि यह सोचना ठीक नहीं है। यह सोचना पड़ेगा कि अजमेर को राजधानी बनाते वक्त जयपुर में राजधानी के कारण जनता से जो पैसा इकट्ठा किया है, जो सामग्री इकट्ठी की है उसका क्या होगा? करोड़ों रुपया जो यहां खर्च किया गया किया उसका क्या होगा। अजमेर को राजधानी बना दी जाय तो करोड़ों रुपयों का वहां के लिए साधन करना पड़ेगा, जब कि आज हमारे राजस्थान के बजट में एक करोड़ ७० लाख का घाटा है और जो करोड़ों रुपया वहां और लगाना पड़ेगा उसके लिए, उनको पूरा करने के लिए अजमेर पर टैक्सेज लगाने पड़ेंगे, नये टैक्सेज इम्पोज करने पड़ेंगे बल्कि सारे राजस्थान पर इम्पोज़ करने पड़ेंगे। कोई यह कहे कि अजमेर सेन्ट्रल प्लेस है, केन्द्रीय स्थान है और उसके कारण वहां राजधानी बनाई जाय। केन्द्रीय स्थान में भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेसिलिटीज़ को देखना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में पहले राजस्थान बनने के समय एक इन्क्वायरी कमीशन नियुक्त हुआ था और उसने इन सारी चीजों की जांच पड़ताल की थी। उसको भी हमको देखना होगा। उसने यह कहा था कि जयपुर के सिवाय राजधानी का मुकाबला और नहीं कर सकता। तो पहले जो कमीशन अपोइन्ट हुआ था उसने सारी चीजों को देखा था और अपनी राय प्रकट की थी कि जयपुर राजधानी होनी चाहिए। अजमेर की जो अब भी इम्पोर्टेन्स है वह वही बनी हुई है और उसके महत्व को काम नहीं कर रहे हैं। बिल में भी उल्लेख आया है, बिल में भी यह मान्यता दी है कि मसलन अजमेर है, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर रह सकता है, कलेक्टर वहां रह सकता है, जेल्स हैं, हाई-स्कूल हैं, कालेजेज़ हैं, जो जो मेडीकल फेसीलिटीज़ हैं, बनी हुई हैं उनको कोई धक्का नहीं लगेगा, बिल में प्रोटेक्शन दिया गया है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजधानी अजमेर से हटने के बाद उनकी सरकार की ओर से यह प्रयत्न होना चाहिए कि अजमेर का जो आज महत्व बना हुआ है वह बना रहे और अजमेर के लोगों को यह जरा भी आभास न होने दें कि राजस्थान में मिलने के कारण हमारी दुर्गति हुई है और हमारी जो सुविधायें हमको मिलती थीं वे छीन लीं गई हैं। अगर इस प्रकार की दुर्भावना नहीं रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि वहां के

[श्री भैरूसिंह]

के लोग राजधानी के बजाय जिले की बात को स्वीकार कर लेंगे। जयपुर के बजाय अजमेर में राजधानी बनी तो कितनी कठिनाइयां आवेंगी वे इसको सोचेंगे और किस प्रकार राजधानी का निर्माण कर सकेंगे।

अब उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इस बात का उल्लेख था कि मामूली बाउन्डरी एडजस्टमेन्ट करने के लिए बाउन्डरी कमीशन अपोइन्ट करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान में कोई झगड़ा नहीं है, बदकिस्मति से झगड़ा हुआ, वह लुहारू के पास का हो सकता है, या राजस्थान और पजाब के बीच में कोई गलतफहमी हो गई तो वह हो सकता है। इनको दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक ढिलाई दिखाई देने वाली नीति अपनाई है, अनिर्णायक द्योतक नीति अपनायी है और यह कहा कि मामूली मामूली बाउन्डरी एडजस्टमेंट के लिए एक बाउन्डरी कमीशन नियुक्त किया जावेगा जो बाउण्डरी डिस्प्यूट तय करेगा। हमारी ढिलमिल नीति के कारण ही हमने देखा कि एस. आर. सी. रिपोर्ट के प्रकाशन से झगड़ा देखा और बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमारे देश में प्रथकता की भावना पैदा करने वाली हैं, चाहे वे बाउन्डरी डिस्प्यूट हों, चाहे वे प्रांतीयता की भावना हों। उनको एक साथ क्यों नहीं खत्म कर देते। लड़ने की गुन्जाइश क्यों रखते हैं? एक दृष्टिकोण होना चाहिये और इस झमेले से निकल कर राष्ट्र के निर्माणकारी कार्यों की ओर लगना चाहिये, और उन निर्माणकारी कार्यों में ज्यादा हाथ बटावें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने ढिलाई रखी है। अतः राजस्थान की विधान सभा भारत सरकार से निवेदन करे कि बाउन्डरी कमीशन की नियुक्ति से जो ढिलाई की नीति दिखाई गई है वह समाप्त करे और बाउन्डरी डिस्प्यूट हो बोर्डर डिस्प्यूट हों उनको जितना हो सकता है उनको एक साथ जल्दी से जल्दी किसी तरह निपटा दें और इस प्रकार की व्यवस्था करें तो ठीक होगा।

माननीय उपाध्यक्ष, इलेक्शन्स के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि इस बिल में इसका विशेष ध्यान रखा गया है। राजस्थान के ऊपर असर पड़ता है डिलिमिटेशन्स ऑफ कोन्स्टिट्यूएन्सीज़ का। भारत वर्ष में एक विशेष प्रकार की नीति अपनायी गई। वह यह है कि जिन जगहों में दो वर्षों में असेम्बलीज़ के चुनाव वापिस हुए हैं, उनको पांच वर्षों का पीरयड होता है और पांच वर्षों तक वे चलेंगी। लेकिन बद किस्मती से एक ऐसे स्थान पर जिसके लिए यह कहा करते हैं कि आज की वर्तमान सरकार ऐसा समझती है कि वहां दुबारा चुनाव करायें तो वह दल न आ सके। पेप्सू का लिया था, लेकिन जो खास जगह जिसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह तेलंगाना जिसको मिलाया आन्ध्र में और उसके लिए विशेष प्रकार की नीति अपनायी गई है कि वहां सेमी इलेक्शन कर लिये जावें। आन्ध्र में नये चुनाव हुए थे, पांच वर्ष तक की अवधि पूरी होगी तब तक जो तेलंगाना उसमें मिलाया जायगा वहां पांच वर्ष की अवधि तक सेमी इलेक्शन कराये जावेंगे। इस सम्बन्ध में आगे दिक्कतें आवेंगी। तेलंगाना के पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं होगी कि आन्ध्र के चुनाव होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के एक साथ चुनाव नहीं हो सकेंगे। इसलिये राजस्थान की जनता की ओर से मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो आन्ध्र की जनता, या तेलंगाना की जनता की इस चुनाव के नाम पर विषम परिस्थति की व्यवस्था इस विधेयक में आई है उसे दूर करने के लिये भी भारत सरकार से निवेदन किया जाय और इस प्रकार का निवेदन राजस्थान सरकार के लिये भी गौरवपूर्ण बात होगी।

[श्री भैंरूसिंह]

हाई कोर्ट के जजेज़ के लिये भी एक जिक्र आया है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है कि जहां सारे राज्यों मेंसमानता लाने की चर्चा करते हैं वहां हाईकोर्ट के जजेज़ के लिये भी समानता लानी चाहिये, इसकी मैं ताईद करता हूँ और इस दृष्टिकोण से ताईद करता हूं कि तनख्वाह बढ़ाकर समानता लाने की कोशिश न करें। तो जिनकी तनख्वाह ज्यादा है उनकी तनख्वाह राजस्थान के हाईकोर्ट के जजेज के समान निर्धारित करें तो अच्छा होगा।

इतना कहकर मैं यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार को भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहिये कि सारी प्रान्तीयता की भावना को समाप्त करने के लिये एकात्मक शासन व्यवस्था एडोप्ट करें। इसका कारण यह है कि आज भारतवर्ष में एक दल कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में बदकिस्मती से कम्युनिस्टों की सरकार बन सकती है या हिन्दू महासभावालों की सरकार बन सकती है। या जनसंघवालों की सरकार बन सकती है और उनको ओटोनोमस पोवर है, तो नतीजा यह होगा कि भारत सरकार के आदेशों का वह तब तक पालन करेगी जब तक उसकी इच्छा है। जब तक आदेश मानती है तब तक तो ठीक है नहीं तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। कोई इस कल्पना को मानकर चले कि भारतवर्ष के सब सूबों में एक ही कांग्रेस की सरकार होगी· लेकिन मुमकिन है कल या परसों किसी तरह से दूसरी पार्टी की सरकार हो सकती है। इसको दूर करने के लिये एक ही उपाय है और वह यह कि एक जनता का एक राष्ट्र हो और उसमें सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हों। भारत वर्ष में एक ही राष्ट्रपति हो, एक हो विधान सभा हो। एकता की भावना को एकत्रित करने के लिये सभी विधान सभाओं को समाप्त करके ओटोनोमस पोवर्स डेलीगेट करके इस देश में युनिटरी फोर्म ओफ गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश करें। इस प्रकार से शुरूआत हुई तो अच्छा होगा। मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन को राजस्थान विधान सभा भारत सरकार के पास पहुँचायेगी। मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार से यह बात निवेदन करें।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता बोलें।

श्री जसवन्तसिंह—अब वक्त हो गया है। आज ८ बजे शुरू किया था।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसको एक बजे समाप्त करना है, इसलिये मैं जवाब दे दूं।

श्री वेदपाल त्यागी—अभी तो बहुत से लोग बोलने वाले हैं।

श्री जसवन्तसिंह—आज १ बजे तक का टाइम रखा था क्या ?

श्री वेदपाल त्यागी—१२॥ बजे तक का था।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जहां हम पहले ६ घंटे तक बैठते थे तो १२॥ बजे ही क्यों समाप्त किया जाता है। १ बजे तक तो बैठना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह—६ घंटे बैठते थे उस समय विशेष कार्य था।

श्री उपाध्यक्ष—१ बजे तक बैठेंगे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्षजी, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन बिल पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। लेकिन साथ ही जो विचार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अजमेर के लिये रखे हैं उसका मैं विरोध करने का विचार भी रखता हूँ। (हियर हियर)

श्री जसवन्तसिंह—इसमें मैं आपके साथ हूं।

श्री चांदमल मेहता (जारी)—अजमेर राजस्थान के मध्य में स्थित है और राजस्थान का हृदय है। इससे मेरा यह ख्याल है कि मुख्य मंत्रीजी इन्कार नहीं करेंगे और इससे इन्कार नहीं करते हैं कि वह राजस्थान का हृदय है। तो मैं यह मानता हूं कि राजस्थान के हृदय को ठेस पहुँचाने की हिम्मत कभी मुख्य मंत्रीजी नहीं करेंगे।

श्री जसवन्तसिंह—लेकिन कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता (जारी)—मुख्य मंत्री जी को वह इतिहास याद रखना चाहिये जब राजस्थान का निर्माण हुआ था और जब राजस्थान के निर्माण के वक्त राजस्थान के सभी नेता दिल्ली में एकत्रित हुए थे। उस समय अधिकांश लोग, सिवाय जयपुर के लोगों के, यह चाहते थे कि अजमेर राजस्थान की राजधानी बनाई जाय। इस प्रश्न को लेकर बड़ा मतभेद बना और अजमेर कहीं राजधानी नहीं बन जावे, इसके लिये एक नया रास्ता निकाला गया। सरदार पटेल दिलचस्पी रखते थे, जयपुर को राजधानी बनाने के बारे में कुछ खास कारणों से वे चाहते थे कि अजमेर राजधानी नहीं बने और जयपुर को राजधानी बनाने के लिये एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया। सरदार पटेल ने सभी पी. सी. सी. के सदस्यों को और राजस्थान के नेताओं को अपने बंगले पर बुलाया और अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि क्योंकि अब तक जो रियासतें थीं वे किसी न किसी प्रान्त में मिलाई गई हैं लेकिन कोई प्रान्त किसी रियासत में नहीं मिलाया गया है। ऐसी एक भी मिसाल कहीं है कि जिसमें किसी प्रान्त को किसी स्टेट में मिलाया गया हो। इसमें एक वैधानिक कठिनाई है, इस पर सोचना पड़ेगा, इसलिये अजमेर राजस्थान में नहीं मिलाया जा सकता। इस तरह की तरकीब निकाल कर वैधानिक आपत्ति के नाम पर उन्होंने सारा का सारा खतरा दूर कर दिया, वरना यह निश्चित था कि राजस्थान की राजधानी अजमेर बनता। मुख्य मंत्रीजी भीउस वक्त इसी विचार के थे, और एक मरतबा उन्होंने कहा था कि मैं इस विचार का था कि अजमेर राजस्थान की राजधानी बने। मुझे ताज्जुब है कि आज कौनसी राजनैतिक उलझन पैदा हो रही है और कौनसी नाराजगी का भय सवार हुआ है जिसके कारण वे अपनी राय को तबदील करने की बात सोच रहे हैं। मैं मानता हूं और इसमें कोई शक नहीं है कि जयपुर को राजधानी बनाने के बाद काफी रुपये खर्च करने पड़े हैं। उदयपुर भूतपूर्व राजस्थान की राजधानी था और उस पर भी काफी खर्चा करना पड़ा था। लेकिन जब जयपुर को

[श्री चांदमल मेहता]

राजधानी बनाया गया उस समय यह दृष्टिकोण सामने नहीं था कि उदयपुर में काफी खर्चा हुआ है इस लिए जयपुर को न बनाकर उदयपुर को राजधानी बनाया जाय। लेकिन उदयपुर एकान्त में पड़ता था और जयपुर अजमेर के बाद में दूसरे नम्बर पर मध्य में था, इसलिये जो कुछ उदयपुर पर खर्च किया गया है उसको ख्याल में न रखकर जयपुर को राजधानी बनाया गया। आज जब अजमेर सामने पाता है तो इस पहलू पर सोचा जाता है कि जयपुर पर पहले खर्चा किया है। अजमेर राजधाजी होने से जनता को सुभीता है। मध्य में स्थित है, वहां पर आवागमन के अच्छे साधन हैं, इन सब बातों को देखते हुए हमें इस बात के लिए तैयार होना चाहिये। हमने जयपुर पर खर्च किया है। अजमेर पर और खर्चा करना चाहिये, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिये।

अजमेर की खास तौर से अहमियत थी। अजमेर उस जमाने में जब कि प्रांतों में आंदोलन होता था और रियासतों में आन्दोलन नहीं चल सकता था उस समय हम लोग अजमेर में शरण लेते थे, वहां से प्रेरणा लेते थे और वहीं से आंदोलन का संचालन करते थे और आज जब राजस्थान का निर्माण हो गया है, उस अजमेर में उस मुसीबत में राजस्थान के नेताओं ने शरण ली थी, वहां से आंदोलन चलाया था और जिसकी बदौलत आज राजस्थान का निर्माण हो पाया है तो यह मानना चाहिये कि अजमेर हमारा राजनैतिक गुरू रहा है। आज यह दिखाने का मौका है कि हममें कितनी गुरूभक्ति है और उसके लिए हम कितनी दक्षिणा देना चाहते हैं ? मैं आशा करता हूँ कि हमारे सदन के नेता कम से कम गुरू भक्त अवश्य होंगे और चाहे कितनी ही दूसरी बातें उनमें हों। जब लोग समझेंगे कि हमारे नेता कितने गुरू भक्त हैं, कितनी गुरू दक्षिणा चुका सकते हैं, मैं समझता हूँ ऐसी परीक्षा में वे उत्तीर्ण होंगे। वे सब तरह की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। नेता की परीक्षा का सवाल आया तो उसमें भी वे उत्तीर्ण हुए हैं। आज जब गुरूभक्ति का सवाल आया है तो मैं समझता हूं उसमें भी वे जरूर उत्तीर्ण होंगे, चाहे कितना ही पैसा जयपुर पर खर्च हुआ हो। राजस्थान में दूसरी अहमियत की बात यह है कि जनता को सुविधा हो। सुविधा के आधार पर निश्चित तौर से अजमेर राजधानी बनाया जाना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि इसमें जोनल कौंसिल्स बनाई गई हैं। मैं इसमें यह मानता हूं कि वास्तव में इसका कोई खास उपयोग नहीं है, पर इसके पीछे एक भावना है और आगे जाकर छोटे राज्य नहीं रहने हैं और बड़े राज्य कायम करने हैं और बड़े राज्यों में राजस्थान की क्या स्थिति हो, यह एक विचारणीय प्रश्न है। बड़े राज्य बनते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें उत्तरी जोन में रहना चाहिये या दूसरा जोन बनाना चाहिये। उत्तरी जोन में पंजाब, पटियाला बगैरह हिस्से आते हैं जो भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हम से मेल नहीं खाते और बड़े राज्यों का निर्माण हो तो हमारा उनके साथ मेल नहीं खाता। इसलिये इस वक्त हम नोर्दन जोन में नहीं जाना चाहते, हमें सेंट्रल जोन में जाना चाहिये क्योंकि सेंट्रल जोन में मध्य भारत बगैरह है मध्यभारत से हमारी भाषा संस्कृति रहन सहन सब कुछ मिलता है सेंट्रल जोन में रहने से आयन्दा बनने वाले बड़े राज्य में हम अपने आपको एडजस्ट कर सकेंगे।

[श्री चांदमल मेहता]

अजमेर के राजस्थान में मर्ज होने की स्थिति में किशनगढ़ और उसके आस पास की कान्स्टीट्यूएन्सीज़ हैं, उन पर असर पड़ने वाला है, इन नई बनने वाली कान्स्टीट्युएन्सीज़ में वहां की जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया तो ठीक नहीं होगा। अभी से अजमेर में एक बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ है, केकड़ी के लोग मांग करने लगे हैं कि केकड़ी को जिला बनाया जाय और किशनगढ़ के सरवाड और दूसरे हिस्से उसमें लगा दिये जायं। एक दूसरी स्थिति अजमेर में यह पैदा हो रही है कि अजमेर के आस पास के हिस्से अजमेर में मिला दिये जायं। किशनगढ़ की सारी अहमियत हमारे नेताओं ने खत्म की इसके लिये उनको धन्यवाद पर ३ तहसीलें मिला कर किशनगढ की एक कान्स्टीट्युएन्सी बनी है। कम से कम उसको तो बदस्तूर बनी रहने दें। वह तभी हो सकता है जब कि वहां की जनता की राय इस बारे में जानी जाय।

श्री मथुरादास माथुर—और भी भाषण चलेंगे।

श्री प्रभुदयाल—उपाध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग बिल के बारे में कल से चर्चा चल रही है। मैं भी अपनी ओर से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं पहले पहल सिर्फ अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाने के बारे में यह कहना चाहता हूं; मैं समझ नहीं सका कि अजमेर को राजधानी कैसे बनाया जाय, यह प्रजातन्त्र की सरकार है, जहां करोड़ों रुपया लगा है जयपुर में और यह सब तरह से उपयुक्त स्थान चुना गया था, उसको हटाकर राजधानी अजमेर में बनाई जाय, यह कैसे विचार व्यक्त कर रहे हैं ? मैं भी कह सकता हूँ कि बीकानेर में राजधानी होनी चाहिये क्योंकि बीकानेर के राजा राजस्थान बनने से पहले हिन्दुस्तान में मशहूर राजा हुए हैं। हमें जनता की तकलीफों और राजस्थान की आर्थिक दशा को मद्देनजर रखते हुए ठंडे दिल से इसके बारे में सोचना चाहिये। कहने को हम कह सकते हैं कि अजमेर को राजधानी बनाया जाय, दूसरा कहेगा जोधपुर को राजधानी बनाया जाय; पर हमें उचित और अनुचित बातें गंभीरता से सोचनी चाहिये।

अब में लोहारू और सिरोंज के बारे में निवेदन करूंगा। पहली रिपोर्ट में लोहारू को हमारे राजस्थान के साथ रखा था, अब उसे रिपोर्ट में से निकाल दिया गया है, इसका हमें दुख है। जब हमारे यहां से लोहारू को निकाल दिया तो जो हिस्सा सिरोंज हमारे यहां से दिया गया है वह भी नहीं दिया जाना चाहिये था। सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहिये कि मध्यप्रदेश में जो हिस्से दिये हैं, वे नहीं दिये जाने चाहिये।

सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के जजेज़ के बारे में फैसला दिया है कि और जगहों के हाई कोर्ट के जजेज़ को साढे तीन हजार रुपया माहवार तनख्वाह देने का तय किया है और राजस्थान के हाई कोर्ट के जजेज़ के लिये ढाई हजार रुपया देने का फैसला किया है ? मैं नहीं समझता कि यह फैसला कैसे किया ? जब कि बी स्टेट्स को ए में बदल दिया है तो सिर्फ राजस्थान में ही यह फर्क क्यों रखा गया, सब को समान अधिकार मिलना चाहिये।

[श्री प्रभुदयाल]

अब मैं जोन्स के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो हमारी भाषा पंजाब से मिलती जुलती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू काश्मीर इनका नोदर्न जोन बनाया जाय, यह ठीक किया गया है क्योंकि जोन्स सिर्फ एक प्रान्त का दूसरा प्रांत के साथ अच्छा सम्पर्क स्थापित करने के लिये बनाये गये हैं। जिन प्रांतों का नहरों, सड़कों व अन्य किसी किस्म का मिला जुला काम चलता हो जैसे हमारी राजस्थान व भाखरा के नालों का जम्मू काश्मीर व पंजाब से संबंध होता है इसलिये यह बहुत अच्छा जोन बन गया है इससे एक दूसरे प्रान्तों के संपर्क अच्छे बनेंगे व घनिष्ठता बढ़ेगी व अपनी समस्यायें आसानी से सुलझ सकेंगी।

मेरे एक माननीय मित्र ने भाषावार प्रान्त बनाने को कहा। इस बिल में भाषावार प्रान्तों के बनाने का नाम नहीं है। जब भाषावार प्रान्त बनाने का सवाल पैदा हुआ था तो लोगों की भावनायें संकुचित हो गई, लोगों ने इसका गलत अर्थ लगाना शुरू कर दिया। इसलिये सेंटर ने जो कुछ फैसला किया है वही ठीक व उचित मानना चाहिये। बम्बई की मिसाल हमारे सामने है। कितना खून खच्चर हुआ? कलकत्ता में क्या हो रहा है? ऐसी सूरत में भारत सरकार ने सोच समझकर जो फैसला किया है वह ठीक है, हमें उनकी राय का समर्थन करना चाहिये।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य पुनर्गठन आयोग बिल के बारे में जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री लाल बहादुर—मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो तहसील मध्यभारत में मिलने जा रही है उसके बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है। सीरोंज में राजस्थान के राज्य कर्मचारी मौजूद हैं। उनकी ओर मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उस तबके को मध्यभारत को हेंड ओवर करने से पहले मालूम कर लेना चाहिये कि वे राजस्थान के राज्य कर्मचारी राजस्थान में रहना चाहते हैं या मध्य भारत में जाना चाहते हैं। अगर वे लोग राजस्थान में रहना चाहते हैं तो उनके ट्रान्स्फर्स राजस्थान में कर देने चाहिये।

और बाकी सवालात हैं कि हमें इस जोन में मिलाया जाय या उस जोन में मिलाया जाय, मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार जिस इलाके में मिलाना चाहे मिलायें। हमें उसका समर्थन करना चाहिये। मैं उसी का समर्थन करता हूं।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष,.......

श्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, समय हो चुका है और इनको काफी समय लगेगा। कल भी होगा।

श्री वेदपाल त्यागी—मुझे तो पौन घंटा लगेगा। अगर कोई जल्दी समाप्त करना चाहें तो पहले बोल सकते हैं और आज आप एडजोर्न करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—९ को सुबह होगा।

इस पर अभी और भी कोई बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

(विराम)

अच्छा, कोई नहीं बोलना चाहता। सदन की कार्यवाही कल ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। लिस्ट ऑफ बिजनेस आप सब लोगों के पास पहुंच ही गई होगी; उसके माफिक कार्यवाही होगी।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२.५२ मध्यान्ह पर बुधवार दिनांक ४ अप्रेल को ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर.
दिनांक-३ अप्रेल, १९५६

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No 100

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिन्हें प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति हैं —)

२६८. (४५१ एम. एल. एम.) श्री भोपालसिंह एम. एल. ए., डिविजन नम्बर २०—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सच है कि तहसील डेगाणा के जालसु कलां व जालसु खुर्द दोनों गांवों की आबादी सम्मिलित कर कौमवार वार्ड बनाये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) इन दोनों गांवों की अलग २ आबादी क्या है ?

उत्तर

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जालसू कलां की जनसंख्या ५५६, जालसू खुर्द की जन संख्या ३६५.

२८५. (८७१ सी. एम.) श्री श्रीदास गोयल एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १४२—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) कौन २ जिले ऐसे हैं जहां मल्टी परपज़ स्कूल कायम नहीं किये हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

(ख) जिन २ जिलों में उक्त प्रकार के स्कूल नहीं हैं क्या अब वहां प्राथमिकता दी जावेगी ?

उत्तर

क. निम्नलिखित स्थानों पर कायम नहीं किये गये हैं :

१. बूंदी

२. झालावाड़

Page No 101

३. बांसवाड़ा

४. टोंक

५. सीकर

६. जालोर

७. जैसलमेर

८. सिरोही

मल्टीपरपज स्कूल खोलने के आधारित आधारों की पूर्ति अन्य स्थानों पर विशेष तौर पायी गई थी।

ख. जब कभी मल्टीपरपज़ स्कूल खोलने के आधारित आधार पूर्ण होते होगें तो प्राथमिकता अवश्य दी जावेगी।

२८७. (८८। आर. एम.) **श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर** १४२—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) जिला सवाई माधोपुर में कौन कौन तहसील को कितना कितना रुपया सन् ५५–५६ में बतौर तकावी देना स्वीकार किया गया ?

(२) ७ मार्च, ५६ तक कितना कितना रुपया हरेक तहसील में तकावी के रूप दिया गया ?

उत्तर

(१ व २) खण्ड १ व २ की सूचना निम्न प्रकार है—

	तहसील	द्रव्य जो बतौर तकावी देना स्वीकार किया गया	द्रव्य जो ७-३-५६ तक वितरित किया गया
(क)	तहसील सवाई माधोपुर	१८,८००)	१८,५६०)
(ख)	तहसील खण्डार	५५०)	
(ग)	तहसील मलारना चोड	१,०००)	१,०००)
(घ)	तहसील करौली	४,६००)	४,६००)
(ङ)	सपोटरा	८,८५०)	८,८५०)

(च)	गंगापुर	६००)	६००)
(छ)	नादोती	४००)	४००)
(ज)	टोडाभीम	४,६००)	४,६००)
	टोटल	४०,०००)	३६,२४०)

२८६. (८०१ आर. एम.) **महाराज श्री केसरीसिंह, एम.एल. ए. डिविजन नम्बर ७५**—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(अ) सन् १९५३ से १९५५ तक तहसील पाटन जिला बूंदी के कितने तहसीलदारों के तबादले किये गये ?

(ब) इन तबादलों में सरकारी कितनी रकम टी० ए०, डी० ए० के रूप में दी गई ?

उत्तर

(अ) सन् १९५३ से १९५५ तक तहसील पाटन, जिला बूंदी में ३ तहसीलदारों के तबादले किये गये।

(ब) उक्त तबादलों में लगभग ३६० रूपये टी. ए. एवं डी. ए. के रूप में व्यय हुये।

२९०. (८०५. आर. एम.) **महाराज श्री केसरीसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७५**—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;

(क) क्या तबादलों के मुतल्लिक सरकार ने कोई नीति अपना रखी है ?

(ख) राजस्थान में तीन साल के अन्दर कितने तहसीलदारों के तदबाले किये गये; तहसीलवार व जिलावार बताया जाय ?

उत्तर

(क) जी हां, तबादले प्रशासनिक दृष्टि से एवं अधिकारियों की मांग और दण्ड स्वरूप किये जाते हैं।

(ख) राजस्थान में ३ साल के अन्दर जितने तहसीलदारों के तबादले हुये उनकी तहसीलवार व जिले वार सूची संलग्न है। इस सूची में वह सब तबादले शामिल हैं जो नीचे लिखे कारणों से हुये हैं—

१-रिटायरमेन्ट, २-एस० डी० ओ० या एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट के पद पर तरक्की, ३-नई तहसीलों के निर्माण से, ४-विकास खंडों के निर्माण से विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदारों

को नियुक्ति से, ५-प्रोमोशन नायब तहसीदार से तहसीलदार, ६-डिमोशन एवं रिवर्शन, ७ छुट्टी एवं कार्यवाहक प्रबन्ध, ८-अन्य विभागों में डेपुटेशन पर भेजा जाना, ९-और अन्य विभागों से डेपुटेशन से वापिस आने के कारण, १०-प्रशासनिक तबादले ।

सूची तहसीलदारान जिनके तबादले ३ साल में (१९५३-५५) हुए

डिवीजन	जिला	नाम तहसील	संख्या
जयपुर	सीकर	नीम का थाना	२
		दांता रामगढ	३
		फतहपुर	१
		श्री माधोपुर	१
		लक्ष्मणगढ	१
	झुंझुनू	झुंझुनू	१
		उदयपुर	४
		पिडावा	४
		खेतडी	२
	टोंक	टोंक	३
		टोडारायसिंह	४
		मालपुरा	२
		निवाई	४
		अलीगढ	१
		उनियारा	२
		दूनी	१
	स० माधोपुर	स० माधोपुर	४
		महुआ	३
		खंडार	४
		गंगापुर	३
		मंडरायल	४
		वामनवास	१
		हिन्डोन	४

डिवीजन	जिला	नाम तहसील	संख्या
		करोली	१
		सोरली	४
		टोडाभीम	२
		नादोती	३
		सपोटरा	३
	भरतपुर	भरतपुर	४
		डीग	३
		कामा	१
		बाडी	३
		नंदवई	४
		बसेडी	४
		राजाखेड़ा	२
		रूपवास	४
		वैर	२
		धौलपुर	१
		नगर	१
		बयाना	२
	अलवर	अलवर	२
		राजगढ	४
		बानसूर	४
		थाना गाजी	३
		लक्ष्मणगढ	४
		बहरोड	३
		किशनगढ	४
		मुंडावर	४
		तिजारा	३
	जयपुर	जयपुर	४
		आमेर	४
		जमवारामगढ	४

डिवीजन	जिला	नाम तहसील	संख्या
		दौसा	४
		फागी	२
		चाकसू	२
		अराईं	१
		बैराठ	४
		बसवा	२
		सिकराय	२
		लालसोट	३
		सांगानेर	२
		किशनगढ	२
		सरवाड	१
		रूपनगढ	१
		फुलेरा	४
		कोटपुतली	२
		दूदू	२
		बस्सी	१
जोधपुर	जैसलमेर	जैसलमेर	४
		सम	५
		फतहगढ	४
		रामगढ	४
		पोकरन	१
		नाचना	१
	बाड़मेर	बाड़मेर	१
		शिव	२
		पचपदरा	१
		सिवाना	२
		चोहटन	१
	सिरोही	सिरोही	१

डिवीजन	जिला	नाम तहसील	संख्या
		शिवगंज	२
		पनवाडा	१
		रेवदार	२
	जोधपुर	जोधपुर	२
		बिलाडा	२
		फलोदी	२
		शेरगढ	२
		ओसियां	१
	पाली	पाली	१
		बाली	१
		खारची	१
		जैतारण	१
		देसूरी	२
		रायपुर	१
		सोजत	१
	जालौर	सांचोर	[illegible]
		जसवन्तपुरा	२
		जालोर	४
	नागौर	नागौर	२
		मेडता	१
		परवतसर	१
		नावां	२
		डीडवाना	३
		लाडनू	२
		जयाल	१
बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	३
		नोखा	१
		मगरा	१

Page No 107

डिवीजन	जिला	नाम तहसील	संख्या
		लूणकरनसर	३
	चरू	सुजानगढ़	१
		डूंगरगढ़	०
		सरदारशहर	१
		रतनगढ	१
		राजगढ	१
		चूरू	१
		तारानगर	२
	गंगानगर	गंगानगर	०
		करनपुर	१
		रायसिंहनगर	१
		पदमपुर	१
		सूरतगढ	१
		हनुमानगढ	१
		अनूपगढ	१
		नौहर	४
		भादरा	०
कोटा	बूंदी	बूंदी	४
		पाटन	४
		तालेडा	२
		नैनवा	२
		हिन्डौली	१
	झालावाड	झालरापाटन	१
		पचपहाड	२
		डग	३
		गंगधार	२
		पिड़ावा	३
		इकलेरा	४

डिवीजन	जिला	नाम तहसील	संख्या
		बकानी	१
		मनोहरथाना	२
		खानपुर	१
	कोटा	लाडपुरा	२
		डीगोद	२
		वरोड	३
		इटावा	२
		पिपलौदा	४
		चेचट	२
		रामगंज मण्डी	३
		कनवास	१
		सांगौद	२
		बांरा	२
		अन्ता	२
		मांगरोल	१
		किशनगढ	२
		शाहबाद	२
		छबडा	२
		छीपाबडौद	१
		अटरू	२
		सिरोज	४
		लाटेरी	१
उदयपुर	भीलवाडा	भीलवाडा	२
		मांडल	४
		बनेडा	१
		आसींद	१
		शाहपुरा	१
		मांडलगढ	१

डिवीजन	जिला	नाम तहसील	संख्या
		सराडा	१
		रायपुर	१
		हुरडा	२
		कोट्डी	१
		अहाअपुर	२
उदयपुर		गिरवा	१
		नाथद्वारा	१
		गोगुन्दा	२
		राजसमन्द	१
		रेलमगरा	१
		आमेट	१
		कुम्भलगढ़	१
		भीम	२
		देवगढ़	२
		वल्लभनगर	२
		माहोली	१
		भूपालसागर	१
		लसाड़िया	१
		सलुम्बर	३
		सराड़ा	१
		खैरवाड़ा	४
		फलासिया	२
		चित्तोड़गढ़ कोटड़ा	२
		प्रतापगढ़	२
		भैंसरोड़गढ़	२
		निम्बाहेड़ा	१
		चित्तोड़गढ़	१
		कपासन	१

डिवीजन	जिला	नाम तहसील	संख्या
		राजमी	१
		भदेसर	१
		कानेरा	०
		गंगगार	२
		बेगूं	१
		डूंगला	१
		अछनेरा	१
		छोटी सादडी	२
		बडी सादड़ी	०
	वांसवाड़ा	वांसवाड़ा	१
		घाटोल	१
		गढ़ी	२
		कुशलगढ़	१
		बागीदोरा	३
		डूंगरपुर	अभी इस जिले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

२६१. (११५६ सी. एम.) श्री श्रीदास गोयल ए. एम. ए, डिविजन नम्बर २४२—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) छात्रों में चरित्र निर्माण हो इस आशा से सरकार शिक्षा संस्थाओं में क्या कार्यक्रम रख रही है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि दिन प्रतिदिन छात्रों में अनुशासन हीनता बढती जा रही है ?

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार क्या और कब तक ठोस कदम उठावेगी।

उत्तर

(क) छात्रों में चरित्र निर्माण हो इस विषय में सरकार ए. सी. सी., अन. सी. सी. और स्काउटिंग की संस्थाएं चला रही है साथ ही छात्रों द्वारा श्रमदान कराया जाता है और जहां २ संभव होता है उनके लिए छात्र उद्योग केंद्र स्थापित किये जाकर स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) ठोस कदम भविष्य में उठाने का प्रश्न नहीं उठता। भाग 'क' में बताये गये विषयों में प्रगति करने का निरन्तर प्रयत्न किया जावेगा। भविष्य में विद्यार्थियों में और भी अधिक अनुशासन हो उसके लिये विद्यार्थियों में और भी प्रवृतियों को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २७२ का उत्तर देखिये)

सरकारी कोटन फैक्ट्रियां खरीदने के लिये आवेदन पत्र आये उसकी सूची

टोंक जिनिंग फैक्ट्री

मेसर्स केसरी मल दिवान एण्ड कम्पनी	सीकर	३०,०००/०/०
,, एस. कुन्दनलाल	उदयपुर	२५,७५१/०/०
,, कुरालाल रामलाल	ग्वालियर	३५,१११/०/०
,, राजस्थान ओटो स्टोर्स	टोंक	३७,०००/०/०
,, जनता स्टोर्स	आगरा	३६,५५१/०/०
,, राजस्थान कोमर्शियल ट्रेडर्स	उदयपुर	३५५५१/०/०
,, रामलाल एण्ड सन्स	आगरा	२६,१०१/०/०
,, प्रेमकुमार विजयकुमार	जयपुर	३१,१११/०/०

छोटी सादडी जिनिंग फैक्ट्री

मेसर्स केसरी मल दिवान एण्ड कम्पनी	सीकर	४०,०००/०/०
,, नरोत्तम विनोद गुप्ता	उदयपुर	१,२८,६५४/०/०
,, चानमल पुत्र बरदीचन्द नहार	छोटी सादड़ी	१,११,०००/०/०

शाहपुरा जिनिंग फैक्ट्री

मेसर्स केसरी मल दिवान एण्ड कम्पनी	सीकर	३०,०००/०/०
,, भूरामल मांगीलाल	भीलवाड़ा	६१,१०१/०/०
,, जोरावरमल मनीहार	शाहपुरा	६०,०००/०/०
,, राजस्थान मर्केन्टाइल एजेन्सी	उदयपुर	६१,०००/०/०

गुलाबपुरा जिनिंग फैक्ट्री

मेसर्स केसरीमल दिवान एण्ड कम्पनी	सीकर	२,३५,०००/०/०
,, बालूलाल गोपललाल		२,००,०००/०/०
,, मुकन्द ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	गुलाबपुरा	२,३१,१२५/०/०
,, श्रीनिवास वासुदेव	गांधीधाम	३,५१,५०१/०/०
,, पन्नालाल काकरिया एण्ड संस	ब्यावर	२,०५,००१/०/०

चित्तौड़ जिनिंग फैक्ट्री

मेसर्स	भूपाल माइनिंग वर्क्स	भीलवाडा	१,००,००५/०/०
,,	केसरीमल दिवान एण्ड कम्पनी	सीकर	२,००,०००/०/०
,,	झमकुलाल कन्हैयालाल	चित्तौड़	२,२१,०००/०/०
,,	झमकुलाल कन्हैयालाल	चित्तोड़	१,६७,०००/०/०
,,	एस. कुन्नलाल	उदयपुर	१,५४.०००/०/०
,,	रामसुख मथुरालाल भंडारी	चित्तोड़गढ	२,२०,०००/०/०
,,	बद्रीलाल जागेठिया	गंगापुर	१,७५,०००/०/०
,,	नथेमल मूदड़ा	भीलवाड़ा	१,५१,०००/०/०
,,	बद्रीलाल जागेठिया	गंगापुर	२,३१,०००/०/०

भीलवाड़ा जिनिंग फैक्ट्री

मेसर्स	केसरीमल दिवान एण्ड कम्पनी	सीकर	३,५०,०००/०/०
,,	सुन्दरलाल रानी वाला	जयपुर	२,५०,०००/०/०
,,	बालूलाल गोपाललाल		८,२५,५५०/०/०
,,	किसना मिल्स लिमिटेड	ब्यावर	३,५१,०००/०/०
,,	सोभाग एजेन्सीज़ लिमिटेड	भीलवाड़ा	४,००,०००/०/०
,,	जनरल ऑटोमोबिल एजेन्सीज लि०	जयपुर	४,५०,०००/०/०
,,	हीरालाल मालीराम	भीलवाड़ा	४,२५,०००/०/०
,,	नाथूराम गुलाबचन्द	भीलवाड़ा	३,७५,०००/०/०

कपासन जिनिंग फैक्ट्री

मेसर्स	केसरीमल दिवान एण्ड कम्पनी	सीकर	२,४०,०००/०/०
,,	हीराराम प्रहलाद का	कलकत्ता	२,५१,०००/०/०
,,	झमकूलाल कन्हैयालाल	चित्तौड़	१,६१,०००/०/०
,,	राममल बागमल	कपासन	२,२१,१११/०/०
,,	हरकलाल सोमानी	कपासन	२,२५,५११/०/०
,,	गोर्धनलाल सोमानी	कपासन	२,४१,१११/०/०
,,	नथमल मूदडा	भीलवाडा	१,८१,०००/०/०
,,	नथमल गणेशलाल कायरा	उदयपुर	३,००,५५१/०/०
,,	बदरीलाल जागेठिया	गंगापुर	२,०१,०००/०/०
,,	झुमकलाल कन्हैयालाल	चित्तोड	२,५१,०००/०/०

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २६४ का उत्तर देखिये)

क्रमांक	नाम व पद	नियुक्ति तिथि	योग्यता मय योग्यता प्राप्त तिथि	ग्रेड
इन्टर एस० टी सी०				
१.	श्री कमलसिंह सहायक अध्यापक माध्यमिक शाला मदनगंज	२-३-४७	इन्टर ५५ मैट्रिक ५१ एस.टी.सी. ५३	४०-३।२-५५
२.	श्री दिनेशचन्द्र स०अध्यापक प्राथमिक शाला सांभर नम्बर १.	१-६-५४	इन्टर	३५-१-४०
३.	श्री रनजीतसिंह स० अध्यापक मैड़	६-६-५१	,, ५५	,, ,,
४.	मालीराम स०अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक शाला अमरसर	१३-६-५३	बोम्बे इन्टर ड्राइंग	,, ,,
५.	रामेश्वर लाल सहायक अध्यापक राजकीय माध्यमिकशाला रूपनगढ।	१४-८-४१	इन्टर कॉमर्स ५४ मैट्रिक ४१ हैन्डीक्राफ्ट ५०	४०-३।२-५५
६.	दुर्गाप्रसाद सहायक अध्यापक माध्यमिक शाला मदनगंज	१-७-५४	इन्टर ५३	३५-१-४०
ट्रेन्ड मैट्रिक				
७.	मनसुखलाल पारीक सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला फुलेरा	१३-६-४८	मैट्रिक ५५ जे०टी०सी० ५२	३५-१-४०
८	श्री अब्दुलवहाब खां सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला सांभर नं० १	११-११-४७	मैट्रिक ५० एस०टी०सी० ५३	३५-१-४०
९.	श्री भंवरलाल जोशी सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला त्योद	१-६-५४	मैट्रिक ५३ जे०टी०सी० ५४	३५-१-४०
१०.	श्री श्यामसुन्दर लाल सहायक अध्यापक मिडिल शाला भानपुर	१६-६-४८	मैट्रिक ५५ जे०टी०सी० ५३	३५-१-४०
११.	चैन सिंह सहायक अध्यापक माध्यमिक शाला धानोता	१४-७-४६	मैट्रिक ५१ एस०टी०सी० ५३	३५-१-४०

१२.	श्री भगवान सहाय सहायक अध्यापक माध्यमिक शाला बोचून	३१-१०-४६	मैट्रिक एस०टी०सी०	५२ ५४	३५-१-४०
१३.	श्री मुरलीधर शर्मा सहायक अध्यापक माध्यमिक शाला मैसलाना	५-७-४८	मैट्रिक पी० टी० सी एस० टी० सी०	४५ ५० ५३	३५-१-४०
१४.	श्री नन्दलाल व्यास सहायक अध्यापक माध्यमिक शाला किशनगढ़	१-६-५३	मैट्रिक एस० टी० सी०	५१ ५५	३५-१-४०
१५.	श्री धर्मवीरसिंह सहायक अध्यापक मिडिल स्कूल खोरालाडसानी	५-७-४६	मैट्रिक एस०टी०सी०	५२ ५६	३५-१-४०

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २७३ का उत्तर देखिये)

क्रम सं०	लीज़ होल्डर का नाम	खनिज	लीज़ समाप्त होने की तिथि
१	मेसर्स दूदूबाला एण्ड कम्पनी	अभ्रक	७.३.७१
२	,, ,, ,,	,,	७.३.६१
३	मेसर्स हिन्द माइका लि०	,,	१६.६.७१
४	श्री दाऊ दयाल मोहता	,,	१.१०.७१
५	मैसर्स राजस्थान माइनिंग इन्डस्ट्रीज लि०	,,	१८.६.७१
६	,, रामलाल एण्ड संस	,,	१८.६.७१
७	,, मूलचन्द नेमीचंद लि०	,,	२०.६.७१
८	श्री डा० सी० चोपड़ा	,,	१८.६.७१
९	सरदार श्री लाभसिंह चिमनी	,,	१८.६.७१
१०	मेसर्स जगदीश कंस्ट्रक्शन कं०	,,	१६.१२.७१
११	,, जे. सी. सिन्डीकट	,,	१८.६.७१
१२	दीवान श्री मयादास	,,	१८.६.७१
१३	सेठ श्री गजाधर सोमाणी	,,	२३.१०.७१
१४	मेसर्स आयरन इन्डस्ट्रीज़	,,	२.१०.७१
१५	ठाकुर श्री बाघसिंह	,,	१४.६.७१
१६	मेसर्स विजय माइका माइनिंग लि०	,,	१४.६.७१
१७	श्री रामनिवास माछुर	,,	१६.६.७१
१८	मेसर्स मेवाड इन्डस्ट्रीयल कोमर्शियल सिन्डीकेट	,,	१३.६.७१
१९	,, पुसीलाल मानसिंह का लि०	,,	३१.१०.७२
२०	ठाकुर श्री बाघसिंह बेरी	,,	१३.४.७१
२१	,, के १६४	,,	२३.२.७६
२२	श्री डी० सी० चोपडा, ओडिया खेडा	,,	१४.३.७३
२३	श्री भूपालसिंह नाथुर पुर	,,	२८.११.७२

Page No 116

२४	भूपालसिंह माथुर गुन्दली	,,	२८.११.७२
२५	मेसर्स हीरालाल माली राम त० जहाजपुर की ३४	,,	१३.४.७५
२६	,, जे १६१	,,	११.४.७४
२७	मेसर्स हेमचंद मोहनलाल एण्ड कम्पनी जे १५.१६.१०१.१०२.१०३.१६०	,,	१२.१.७४
२८	मेसर्स अशोक मिनरल लि० गलोदिया	,,	२०.३.७५
२९	मेसर्स एसोसियेटड माइनिंग इन्डस्ट्रीज लि० सांकडा	,,	२६.२.७६.
३०	मेसर्स भीलवाडा माइनिंग इन्डस्ट्रीज लि० व्यासलान	,,	२४.६.७४
३१	मेसर्स दी अरावली मिनरल्स लि० धूलखेडा	,,	११.७.७३
३२	मेसर्स अरावली प्रोडक्टस् बालरी खेडा	,,	१७.५.७३
३३	ठाकुर श्री जोरावरसिंह चूडावत	,,	२.१.७६.
३४	श्री जगन्नाथ जोशी	,,	२३.१.७४
३५	मुन्नी श्री गोरधनदास	,,	२१.१.७४
३६	मेसर्स जे. सी. सिन्डीकेट राम्पुरिया	,,	१६.६.७३
३७	,, श्री सुदर्शन मिनरल कं० शाहपुरा	,,	६.१.६१
३८	,, हनुमान कम्पनी गंगापुर	,,	Underdispute
३९	,, राजपूताना मिनरल वर्क्स	,,	३.६.७३
४०	श्री नथमल मूंदड़ा डी १६६	,,	१३.१२.७३
४१	,, एफ १५२	,,	२६.१०.७५
४२	मेसर्स मदनलाल जुगलकिशोर एफ १२४	,,	१८.१२.७३
४३	,, शिवरतन गोरधनदास मोहता	,,	११.४.७१
४४	भंवर श्री सुमेरसिंह	,,	१५.७.७३
४५	मेसर्स परगना सहकारी समिति लि० पुर	,,	१६.८.७३
४६	श्री योगेशचन्द्र शर्मा	,,	२७.१०.७५
४७	मेसर्स किसान मजदूर सहकारी समिति लि०	,,	७.१२.७२
४८	,, भारत उद्योग संघ	,,	१४.५.७३
४९	,, गोवरधनलाल राठी एण्ड कं०	,,	२.१२.६३
५०	,, गिरधारीलाल कन्ट्राक्टर	,,	१७.१२.७४
५१	श्री राम कुमावत	,,	१५.५.७३
५२	श्री मिश्रीलाल बिराणी	,,	२८.२.७६

५३	श्री लक्ष्मी मिनरल्स	,,	Under Coucellation
५४	मेसर्स सेठ फूलालाल मानसिंहका लि०	बेरियल	अवधि २० वर्ष
५५	,, ,, ,,	,,	२८.११.७२
५६	,, ,, ,,	,,	२८.११.७२
५७	,, विजय माइका माइनिंग लि०	,,	१४.६.७१
५८	,, रामलाल एण्ड सन्स	,,	१८.६.७१
५९	श्री वेणीप्रसाद परसरामपुरिया	,,	३०.१०.७४
६०	ठाकुर श्री बाघसिंह	,,	१४.६.७१
६१	रा. ब. सेठ. मूलचन्द सुगनचंद	,,	२७.६.७४

परीशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या १८८ का उत्तर देखिये)

List of primary schools in Bikaner District.

Tehsil	population	institutions S. No. Name of school			Schemes under which running.	remarks
Bikaner	194864	1	G. P. S.	Rly workshop	C- Primery (A)	Pld
		2	„	Karmisar	-do-	
		3	„	Pabu pathshala	-do-	
		4	„	Ramsar	-do	
		5	„	Shivbari	-do-	
		6	„	Shereran	-do-	
		7	„	Ambasar	-do-	
		8	„	Palana	-do-	
		9	„	Sinthal	-do-	
		10	„	Nall	-do-	
		11	„	Gadhwala	III-financed from Central Assistance	
		12	„	Rathkhana	-do-	
		13	„	Power House	-do-	
		14	„	Gosainsar	-do-	
		15	„	Naurangdesar	-do-	
		16	„	Belsar	-do-	
		17	„	Kalsaar	-do-	
		18	„	Sujandesar	-do-	
		19	„	Bonisar ki bari	-do-	
		20	„	Katriyasar	-do-	
		21	„	Sattasar	-do-	
		22	„	Pugal	-do-	
		23	„	Kilchubas	-do-	
		24	„	Kalyansar	-do-	
		25	„	Jaimalsar		
		26	„	Goga Gate.	III Financed Partly by central Assistance and partly by State.	

		27.	,,	Malasar	-do-
		28	,,	Jagwala	-do-
		29	,,	Kanasar	I financed by State Revenae I five year.
		30	,,	Tejresar	-do-
		31	,,	Bamdloo	-do-
		32	,,	Pemasar	-do-
		33	,,	Runiabas	-do-
		34	,,	Kesardesar jatan	-do-
Loonkaransar	39813	35	,,	D hireran	C. Primry (A) old Schemes
		36	,,	Jaitpur	-do-
		37	,,	Kapurisar	-do-
		38	,,	Dulmera	-do-
		39	,,	Kumbhana	II Financed from Central Assistance-
		40	,,	Khiyeran	-do-
		41	,,	Hansura	-do-
		42	,,	Kelan	-do-
		43	,,	Kakarwala	-do-
		44	,,	A, arpura	III Finenced partly by Central Asaistance aud partly by State.
		45	,,	Garabdesar	-do-
		46	,,	Sahejrasar	-do-
		47	,,	Sheroura	-do-
		48	,,	Makrasar	I Financed dy State Revenue
		49	,,	Phooldesar	I Five year.
		50	,,	Delana	-do-
Nokha	72111	51	,,	Jasrasar	C. Pry. Schools (A) Pld
		52	,,	Kakra	-do-
		53	,,	Rasisar	-do-
		54	,,	Raisar	-do-
		55	,,	Surpura	-do-
		56	,,	Dhingsari	-do-

	57 „	Bhamatsar	-do-
	58 „	Badnu	II Financed from Central Assistance.
	59 „	Kuchorbadi	-do-
	60 „	Kubsu	-do-
	61 „	Chitana	-do-
	62 „	Charakhra	II Financed from Central Assistance.
	63 „	Kishnasar	-do-
	64 „	Kuchor Ugni	
	65 „	Utmndesar	-do-
	66 „	Sarunda	-do-
	67 „	Jangloo	I II Financed partly by Central Assistance and partly by State.
	68 „	Roda	
	69 „	Kaku	-do-
	70 „	Illigible	
	71 „	Sindhguru	-do-
	72 „	Monadsar	I Financed by State Revenue — I Five year
	73 „	Desalsar	-do-
	74 „	Berasar	-do-
	75 „	Bhadlan	-do-
	76 „	Bandra	-do-
Magra 23541	77 „	Akhasar	C. Pry. Schools (A) old
	78 „	Gadiyala	-do-
	79 „	Hadlan	-do-
	80 „	Kolayat	-do-
	81 „	Barsalpur	II Financed form Central Assistance.
	82 „	Bajju	-do-
	83 „	Goda	-do-
	84 „	Mandal	-do-
	85 „	Phulasar	-do-

		86 ,,	Nainia	III Financed partly by Central Assistance and partly by State.
		87 ,,	Siana	-do-
		88 ,,	Diatra	-do-
		89 ,,	Bholasar	-do-
		90 ,,	Desore	-do-
		91 ,,	Bikampur	-do-
		92 ,,	Godu	-do-
		93 ,,	Nokhra	-do-
		94 ,,	Shekhsar	-do-
		95 ,,	Chandi	I Financed by State'Renenue I Five year
		96 ,,	Kalsar	-do-
Bikaner	194864	1	Govt New Middle School Bikaner	B. Seconoldry Schools (old)
		2.	Govt. Bhattar M. S. - Gang ashshr	-do-
		3.	Govt. Sadul M. S. Bikaner	-do-
		4.	G. M. S. Udairamsar	-do-
		5.	G. M. S. Devikundasagar	-do-
		6.	G. M. S. Udasar	-do-
		7.	G. M. S. Barisingsar	-do-
Lunkaransar	39813	8.	G. M. S. Lunkaransar	B. Secondary Schools (old)
		9.	G. M. S. Kalu	-do-
		10.	G. M. S. Mahajan	I financed from State revenue
Nokha	72111	11.	G' M. S. Nokha	B. Secendary Schools (old)
		12.	G. M. S. Himmatsar	-do-
		13.	G. M. S. Panchu	I Financed from Stata Revenuo
Magra	23541	14.	G. M. S. Gajner	B. Secondary Schocls (old)

ARRANGEMENT OF STAFF IN NEWLY OPENED PRIMARY SCHOOLS

S. N.	Name of School	Name of the teacher
1	Govt. P. S. Sujandesar	1 Shrinmati Ratna Devi
2.	,, Katrisar	1 Shri Punam chand Kumdhar
3.	,, Sattasar	1 Shri Kishan lal
4.	,, Pugal	1 Shri Megh Singh
5.	,, Kilchubas	1 Shri Babu Lal Khetri
6.	,, Kalyansar	1 Shri Onkar Kishore Saxena

7.	„	Jaimalsar	1 Shri Shyam Sundar.
8.	„	Kuchor Ugni	1 Shri Jawahar lal
9.	„	Nava Gaon (Uttamandesar)	1 Shri Kishan lal
10.	„	Sarunda	1 Shri Bakht awar Dan
11.	„	Guda	1 Shri Hari ram paliwal
12.	„	Mandal	1 Shri Laxmi Chand
13.	„	Phulasar	1 Shri Mehar Deen
14.	„	Hansura	1 Shri Doongar Dass.
15.	„	Kelan	1 Shri Bashir Ahmed
16.	„	Kakarwala	1 Shri Goverdhan lal Sharma.

———

शुद्धि पत्र

३ अप्रेल, १९५६

प्रत्येक पृष्ठ के शीर्षक पर पृष्ठ १८६५ से १६४५ तक जो शीर्षक लगे हैं वे कृपया इस प्रकार पढ़े जावें :—

राज्य पुनर्गठन विधेयक, १९५६ (राजकीय संकल्प पर वाद-विवाद)